CENSUS OF INDIA

1951

VINDHYA PRADESH

ADMINISTRATION REPORT

ENUMERATION



By
N. K. DUBE, M. A.
Superintendent of Census Operations, Vindhya Pradesh.

PRINTED BY B. B. KAPUR AT THE (RAJA) RAM KUMAR PRESS, LUCKNOW, 1952.

LIST OF CONTENTS

PAGE.

| CHA | APTER | I. | Preliminaries | | **** | •••• | **** | **** | •••• | 1 |
|-----|----------|---------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|----|
| CHA | APTER | II. | Preparation of | General | village Reg | gister | •••• | **** | **** | 2 |
| CH | APTER | 111. | Despatch of to | orms and | mst action | s | **** | **** | **** | 4 |
| CH. | APTER | IV. | Numbering of | houses | •••• | •••• | * | **** | **** | 5 |
| CH | APTER | V. | Preparation o | f Enumer | ators | •••• | | **** | •••• | 7 |
| CHA | APTER | VI. | Enumeration: | | **** | **** | •••• | **** | •••• | 8 |
| CH/ | APTER | VII. | Colliction of I | Provisiona | il t otal s | | **** | 9446 | •••• | 9 |
| CHA | PTER V | VIII. | Special Census | Arrange | ments | **** | •••• | •••• | •••• | 10 |
| | APTER | JX. | General . | | •••• | **** | **** / | •••• | •••• | 11 |
| | | er - | | | | | | | | |
| | - | | • · | | | | | | | |
| | | | 4 | A TD | PENDIX . | A | | | | |
| | | | | Ar | FENDIA . | ma. | , | | | |
| | | | ÷ | | | | | | | |
| | • | | • | S | tatements | | 1 | | • | * |
| | | | • | ` | | | | | | • |
| 1. | Census I | Divisio | on & Agency | | •••• | **** | **** | **** | **** | 14 |
| 2. | | | rms and instruc | tions prin | ted | •••• | **** | | •••• | 15 |
| 3. | | | | ••• | -, - , | •••• | **** | 4404 | *** | 16 |
| 4. | | | ersons taken fro | | it departme | | sus work | , | **** | 17 |
| 5. | | r. 1- | ct Census Office | | , | | | • | **** | 18 |
| 6. | Provisio | | | | | | | | •••• | 19 |
| 7. | | | Provisional and | Final tot | tals | | | | | 20 |
| 8. | | | size of Census c | | | •••• | | •••• | **** | 22 |
| 9. | | • | C1 | ••• | | •••• | | | **** | 23 |
| 10. | Office S | | • | | •••• | •••• | **** | | | 24 |
| 11. | | | rpenditure durii | .a. 1050 51 | •••• I | **** | **** | **** | **** | 25 |
| 12. | | | is to whom 1951 | _ | | ····· Lie awarda | | •••• | | 26 |
| 13. | | - | | | | | .1 | **** | •••• | 27 |
| 13. | List UI | person | is to whom Broi | ize medar | is awaitie | 1 | •••• | • • • • | •••• | 21 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | . 1 | | | | |
| | | | | AP | PENDIX I | В | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Ir | nportant | Governme | nt Orders | | | | |
| | • | | r | • | | | | | | |
| 1. | Chief Co | ommis | sioner's order ppointment orde | No. 29 of | 28-7-1950 | authorising | District C | ensu s Offic | ers | 29 |
| 2. | | | of India's order | | | 1950 about | appointme | nt of Super | •••• •••• | 43 |
| | tendent | | | · · · · · / · · · / · · · / · · · · / · | **** | •••• | *** | ···· | | 29 |
| 3. | Chief (| Commi | ssioner's order | No. 20 o | | | | ng any offic | | |
| | | | ensus work | | •••• | •••• | •••• | | **** | |
| 4. | Schedul | ed cas | tes and Schedul | ed tribes o | order | **** | | **** | **** | 30 |
| | | | | | | | | | | |

APPENDIX C

Forms and Instructions

| | | | | | | P | GES. |
|-------|--|----------------------------|--------------|-------------|-----------|------|-----------|
| 1. | Pamphlet No. 1 (Preparation of Gener | aı vulage I | Register) | | •••• | •••• | 33 |
| 2. | Pamphlet No. 2 (Instructions for numl | bering the l | houses) | | | **** | 34 |
| 3. | Pamphlet No. 3 (Instructions for prepared) | aring of Cl | arge Regis | ter) | •••• | **** | 40 |
| 4. | Pamphlet No. 4 (General Census Arrai | ngements) | | •••• | •••• | **** | 41 |
| 5. | Pamphlet No. 5 (Instructions to Enum | erators) | | •••• | •••• | •••• | 51 |
| 6. | Pamphlet No. 5A (Supplementary Inst | tructions to | Enumerat | ors) | | **** | 60 |
| 7. | Pamphlet No. 6 (Instructions for write | ing the Na | tional Citiz | en Register | :) | •••• | 61 |
| 8. | Instructions for the Census of Small S | cale Indust | ries | •••• | •••• | **** | 62 |
| 9. | House list forms | •••• | •••• | **** | •••• | •••• | 64 |
| 10. | Charge Register Forms | •••• | **** , | | •••• | •••• | 65 |
| 11. | National Citizen Register Forms | •••• | **** | **** | **** | **** | 66 |
| 12. | Appointment form of Supervisors and | Enumerato | rs | **** | •••• | | 67 |
| 13. | Hon'ble Home Minister's Message | | | •••• | **** | **** | 67 |
| 14. | Small Scale Industry Census Slip | | **** | **** | •••• | | 68 |
| 15. | Circle Summary Form | **** | 1114 | •••• | **** | **** | 69 |
| 16. | Charge Summary Form | **** | | •••• | pos4 | pete | 71 |
| 17. | General Village Register Form | **** | **** | **** | **** | | 73 |
| 18. | Chart showing contraction for writing | the Enume | ration Pads | , | | •••• | 74 |
| 19. · | Important events in Vindhya Pradesh | during the | last 100 yea | ars. | •••• | •••• | 75 |
| 20. | Fortnightly progress of house numberi | ng and tr <mark>a</mark> i | ning of the | Census St | aff Forms | **** | 76 |
| 21. | Formightly progress report of Hous | e numberi | ng and trâi | ning of the | Census St | aff | |
| | Form | •••• | •••• | **** | **** | **** | 77 |

1951 CENSUS (Enumeration) ADMINISTRATION REPORT FOR VINDHYA PRADESH

CHAPTER I

PRELIMINARIES.

1. Census of small scale Industries:-Census-Commissioner for India informed the State Government vide his No. 116/49 of 10th February, 1949, the proposal for carrying out a Census of small scale Industries in Vindhya Pradesh. The communication was transferred to me. As soon as the instructions for carrying out the census of small scale Industries were received 2,000 copies of the instructions and 10,000 slips were printed in Hindi in the Government Press, Rewa, and 200 copies of instructions and 1,000 slips were sent to each Deputy-Commissioner for transmission to Tehsils. The Tehsildars transferred them to Patwaries. Patwaries during their visit to the villages in their circle filled the slips and returned to the Tehsildars. In Municipal Towns the slips were filled by the Municipal employees under the supervision of the respective Municipal Secretary.

The slips in villages or wardwise bundles of each Tehsil or town were received in my office during August to October, 1950. Sorting and Tabulation of the small scale Industries slips was done at Rewa in my office during October, November and December, 1950, which served as training for sorting. At the average one clerk was engaged daily in this work for 3 months. Total cost in printing of the instruction and slips was Rs. 147-9-6 and of Sorting and Tabulation Rs. 324, total Rs. 471-9-6. A copy of the instructions and slips are attached in Appendix A pages 1 and 2.

2. Appointment of Census Superintendent:—Superintendent of Census' appointment was sanctioned from 24th January, 1950. I did the Census work in addition to my duties as Sale Tax and Excise Commissioner, Vindhya Pradesh upto the end of August, 1950. After-

wards I was relieved of all other work and have devoted all my time to the Census work.

- 3. Indian Census Act of 1948.—Indian Census Act of 1948 was passed by the Indian Parliament and it was in force in Vindhya Pradesh also.
- 4. Notification for taking the Census:— Ministry of Home Affairs Government of India's notification—No. 2-26-49(I) Public dated the 12th January, 1950, was issued for taking the census and for fixing sunrise time on 1st March, 1951, as the reference date.
- 5. Census Budget for 1950-51 for Vindhya Pradesh:—Following budget was sanctioned for 1950-51 as Demand No. 61.:—

| | | | Rs. |
|------|---------------------------|------|----------------|
| A. | Superintendence | | |
| A-1. | Pay of Officers | **** | 4,800 |
| A-2. | Pay of Establishment | **** | 5,800 |
| A-3. | Allowance, Honoraria etc. | 448 | 6,700 |
| A-5. | Other Charges | **** | 10,100 |
| | • | | |
| | Tota | 1 | 27,4 00 |
| В. | Enumeration | | |
| B-1. | Pay of Establishment | **** | 4,900 |
| | Allowance, Honoraria | **** | 2,5 00 |
| B-4. | Other Charges | **** | 17,000 |
| | ν . | | |
| | Tota | 1 | 24,300 |
| | Grand Tota | | 51.700 |

In Appendix A Statement No. 3 gives the details of expenditure in the Districts and Statement No. 11 gives the details of total expenditure in 1950-51.

CHAPTER II

PREPARATION

PREPARATION OF GENERAL VILLAGE REGISTER.

6. Instructions and forms of General Village Register for 1951 Census were printed at the Vindhya Pradesh Government Press, Rewa, and 100 forms and 20 copies of instructions to fill the form were sent to each Tehsil on 31st January, 1950. General Village Registers were received from all the Tehsils by the end of April. These Registers gave provisional number of houses, proposed number of blocks and circles. These figures enabled the preparation of estimates for building up the whole Census organisation and of printing the various forms and instructions. Preparation of the Register is very important and very necessary.

Statement No. I, Appendix A will give the number of blocks, circles and charges formed in Vindhya Pradesh in 1951 Census.

In the village list printed as part of 1951 District Census Hand Books information about the circle No. in which the villages are included in 1951. Census and the number of blocks in every villages are given in columns 3 and 4 and this will be helpful in forming Census circles and blocks in the next census.

- 7. Appointment of District Census Officers:—All Additional Deputy Commissioners were appointed by the Hon'ble Chief Commissioner's order, District Census-Officers to organise and supervise the census work in their respective districts. A copy of the order will be found in Appendix B. All Tehsildars and Municipal-Secretaries were appointed Charge Superintendents for their Tehsils and Municipal Towns.
- 8. Enumeration pads:—Enumeration Pads in the following quantity were despatched by the Government of India from Press, Aligarh direct to District Census Officers in the month of September to November, 1949.

| Code No. | Name of District | No. of Pads of 100 slips |
|----------|------------------|-----------------------------|
| 1 | Datia | 3051 |
| 2 | Tikamgarh | 4319 |
| 3 | Chhatarpur | 5606 |
| 4 | Panna | 3770 |
| 5 | Satna | 5 042 |
| 6 | Rewa | 8389 |
| 7 | Sidhi | 3 448 |
| 8 | Shahdol | 7427 |

In spite of very clear and repeated instructions the enumeration Pads were not carefully kept by some of the District Census Officers. In one district Head Quarter with great difficulty they could be unearthed from a room in an isolated and deserted building. So it is necessary to personally visit the District Head-Quarters and see that they are properly kept.

9. Programme of Census work:—A programme of Census work was drawn up as following:—

Programme of Census work for 1951 Census in Vindhya Pradesh

The following dates were fixed for the censusoperations 1951 in Vindhhya Pradesh.

| S. No. | Work | Date of finishing the work |
|------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Preparation of village and town register | 30-4-1950 |
| 2 | Appointment of District Census Officers by order of Chief Commissioner | 1-6-1950 |
| 3 | Appointment of Charge Superintendent by order of Chief Commissioner | 15-6-1950 |
| 4 | Appointment of Supervisors and Enu- merators by the order of District Magistrate in the printed forms | 1-7-1950 |
| 5 | Preparation of Charge register | . 1-8-1950 |
| 6 | The training of District Census Officers, Charge Superintendents and Super- visors at the District Head Quarters. The information about the date fixed for training in each district was given later | From 1-8-1950 to 30-8-1950 |
| 7 | After training the Charge Superintendent should distribute the following papers and form to each supervisor, | |
| | (1) One copy of Hidayat No. 2 | From |
| | (2) 25% more house list forms than the blocks in the circle | 1-9-1950 to |
| | (3) Circle register or copy of Charge register about the circle | 30-9-1950 |
| | (4) Map of circle | _ |
| | | 1-10-1950 |
| · 8 | Numbering of houses and preparation of houses lists | to 15-11-1950 |
| 9 | Preparation of Abstract of Charge Register. Charge Superintendents should report to District Census Officers about the corrected totals of houses, Blocks and circles and the rough estimated figures of the total population as disclosed from the | |
| | house lists | 1-12-1950 |
| 10 | Enumeration Pads should be made over from District Office to Charge Superintendents according to the estimated population of each charge | 1-12-1950 |

| | | Date of |
|---------|---|-----------|
| S. No. | Work | finishing |
| D. 210. | | the work |
| 11 | Distribution of Enumeration Pads by Charge Superintendents to Super- visors and the training of the Super- visors and Enumerators according to Hidayat No. 4 and 5 | 15-1-1951 |
| 12 | Supervisors should give instructions to Enumerators about Hidayat No. 5 and to make them understand the entry of Pads and distribution of one copy of Hidayat No. 5 and one Pad and sufficient number of slips to Enumerators | 1-2-1951 |
| 13 | Commencement of the first enumer- | |
| 10 | ation | 9-2-1951 |
| 14 | Completion of first enumeration and counting of houseless persons tourists etc. wherever found on the evening | 40 G 1051 |
| | of 28-2-1951 | 28-2-1951 |
| | | (1-3-1951 |
| 15 | Final checking | } . to |
| | mi Promontes should make area | (3-3-1951 |
| 16 | The Enumerators should make over the abstract to Supervisors | 4-3-1951 |
| 17 | The abstract of Supervisors should reach the Charge Superintendents | 5-3-1951 |
| 18 | The abstract of Charge Superintendent should reach the District Census Officer | 8-3-1951 |
| 19 | Despatch of Provisional total by the District Census Officer to Registrar General, New Delhi and Census Superintendent, Vindhya Pradesh, Rewa | 10-3-1951 |

10. Printing of Forms and Instructions:—
One copy of each kind of form and Instruction is attached in Appendix D. All these were printed in Vindhya Pradesh Government Press, Rewa, except the Instructions for Enumerators which were printed in Standard Press, Allahabad as the Vindhya Pradesh Government Press was overworked at that time. All these were printed between January to June, 1950. All Instructions and forms were printed in Hindi.

In 1941 Census of Central India all instructions were consolidated in one book called the Census Procedure Code. This kind of publications comes very late when half work is over. So I preferred printing of the instructions in parts and they were in the hands of those for whom they were meant before the particular work was started and this was very much appreciated by the District Census Officers and Charge Superintendents.

CHAPTER III

DESPATCH OF FORMS AND INSTRUCTIONS

11. All Census Forms and instructions were despatched during April, May and June, 1950 to the Districts. Number of copies of each form and instructions sent to the Districts is given in Appendix Statement No. 2. National Citizen Register Forms were sent by Railway—Parcel and others were sent by lorry services. No forms were lost in transit.

In the Charges a register was maintained to keep an account of the receipt and distribution of forms and instructions and the date on which they were received or distributed.

12. I began my tour to train the District Census Officers, Charge Superintendents and selected Supervisors and some Enumerators of every charge at the District Head Quarters during July and August, 1950.

Touring is an essential part of Census work. It is very necessary to solve the difficulties of the Census Staff on the spot. They require guidance and reminders practically at every step in the beginning. Forms and Instructions Books were often found to be lying in the

Tehsils or District Office and did not move any further. At Tehsils some time it became difficult to trace them. District Census Officer took care to despatch the form but never cared to find out whether they reached their destination and were utilized to their proper use.

13. Charge Register:-Preparation of Charge Register is an important item. preparation is the foundation of all future work. Its columns may be studied. A copy of the form is given in Appendix D. Some Tehsildars avoided its preparation and others left its preparation to the clerks. In my tour I insisted on its preparation. If it is prepared in the beginning the Charge Superintendent will be able to control the work of his Supervisors. One leaf should be given to one circle in the Charge Register. A copy of the page about the entries of a circle is given with the Circle map to the Supervisors and it is named his circle Register. Supervisors were asked carefully to know with the help of the circle map and by walking over the boundaries of their jurisdiction with the Supervisor of the neighbouring circle so that no houses are left out or included in two circles.

CHAPTER IV NUMBERING OF HOUSES

- 14. Charge Superintendents called all the Supervisors during September, 1950 at the Tehsil Head-Quarters and explained to them the method of numbering the houses.
- 15. Each Supervisor was given a copy of the Instructions about numbering the houses, a copy of Circle Register relating to his circle, sufficient number of houses list forms, and Geru (Red Ochre) (about 2 Lbs. for one circle) for numbering the houses. Charge Superintendents personally explained the instructions to the Supervisors and District Officers to Supervisors by holding of these classes.
 - 16. Numbering of houses began in the first

week of October, 1950 and was completed by the end of November, 1950 everywhere. Numbers were painted on the houses by Geru mixed in water. Every house was marked with a number. One number was allotted for every household living in the houses. For the local populations one household was regarded for those whose food was cooked jointly. Composition of household among the immigrants was carefully inquired into. Number of houses in a village or a ward ran serially. When a block began or ended the circle No. Block No. and house number all these numbers were written and the whole thing was enclosed by a circle and when a block ended all the numbers were enclosed by a triangle in the following manner.









Circle numbers used to be on the top then the blocks number and then below it the house number. Circle numbers were allotted by the Charge Superintendent in his charge. They were to be in a serial number beginning from the North West corner of his charge. This was done with the help of the Tehsil Map. Circles were to be compact and were not to overlap or intersect. Block numbers were to be allotted by the Supervisors and house numbering was to be done in presence of the Supervisor who was to fix suitable reasonable and natural boundaries for every block. A block was to be of 40 to 60 houses and a circle was to be of 10 to 15 blocks. Two villages were not to be included in one block. Copy of the Tehsil Map and Copy of Charge Register concerning the circle were given to every Supervisor so that there may be no doubt about the boundary of his circle and also that no hamlet or isolated house were left out of census net. Advances were given to every Charge Superintendents for arranging to purchase Geru in the month of July and August and to distribute it to the Supervisor in September. In towns a small earthen pitcher

was also provided for every Supervisor. In some cases one day wage for a coolie was also allowed to a Supervisor for carrying the earthen pitcher containing Geru solution for house numbering. The numbers were put on the houses in such an order that the enumerators had not to walk unnecessarily in writing the slips in the serial order of the houses.

House number was satisfactorily done in all the Charges. Charge Superintendents toured during the house numbering and supervised the numbering of houses. All-Government Officials from Commissioner down to Kanungo supervised the census work during their tour from house numbering to the Final enumeration. All Government Officials were asked by the Hon'ble Chief Commissioner by a circular letter (Copy in Appendix B) to help in the census work.

17. Simultaneously with the numbering of the houses, the house list was written by the enumerators,

Almost all the Supervisors were taken up from among the Revenue Patwaris or School Teachers in rural areas and in towns the Municipal servants and clerks of the Government Offices were enrolled as Supervisors.

18. When the house numbering was finished the supervisor communicated the figures of the number of occupied houses and the rough figure of the number of population to the Charge Superintendents who in their turn communicated these figures to the District Census Officers and the District Census Officers communicated the figure to the Census Office, Rewa.

Following rough figures of the population were received after the numbering of the houses.

| | District | ; | Population Figures as ascertained during October and November at the time of house Numbering |
|---|------------|------|---|
| 1 | Datia | kenj | 164,851 |
| 2 | Tikamgarh | •••• | 346,752 |
| 3 | Chhatarpur | **** | 497,384 |
| 4 | Panna | **** | 272, 556 |
| 5 | Satna | **** | 5 43,880 |
| 6 | Rewa | **** | 632,549 |
| Ż | Sidhi | **** | 462,766 |
| 8 | Shahdol | | 661,876 |
| | | To | al, 3,582,614 |

CHAPTER V. PREPARATION OF ENUMERATORS

- 19. During December and January after finishing the house numbering the Enumerators and Supervisors were directed before hand to assemble at a suitable place and then they were trained by the Charge Superintendents in the method of filling the enumeration slips and writing of the National Citizen Registers. They were made to fill one or two slips in the presence of Charge Superintendents. The book of instructions was fully explained to them.
- 20. Each Supervisor was given sufficient number of pads according to the totals revealed in the house list.....National Citizen Register forms and instructions for enumerators and the necessary stationery for use in his circle. Every enumerator was given 1 Penholder, 1 pencil, 3 nibs, 3 ink tablets \(\frac{1}{4}\) sheets of blotting paper and one ink stand and every supervisor was given 4 nibs 3 ink tablets \(\frac{1}{4}\) sheets of blotting papers and 1 pencil.

CHAPTER VI.

- 21. Preliminary enumeration was begun from the 9th February. In hilly and forest areas of Tehsils Singrauli, Deosar, Gopadbanas, Shahdol, Beohari, Pawai Bijawer the writing of the slips was begun from 1st February. In the hilly tracts there was a dearth of educated men as enumerators so in many cases the Supervisors of these areas had to do the enumerator's work also. The period of 3 weeks allowed for writing the slips was adequate.
- (22. National Citizen Register was written simultaneously with the slips. The same contractions were used in writing the National Citizen Register. In the morning the slips were written from house to house and in the evening or in the afternoon the National Citizen Registers were written with the help of the slips. For writing the National Citizen Register scriptory charges were paid at Re. 1/- for every 200 names.
- very complicated and difficult but afterwards it was very much appreciated by the enumerators as it reduced the labour of writing very much. A chart showing all the contractions in one page (a copy will be found in Appendix C) was very helpful. It was given to every enumerator. Only names of Backward classes were recorded. List of schedule castes and schedule tribes sanctioned by the Government of India after the enumeration will be found in Appendix B.
- 24. Size of the slip did not prove to be too small after the contractions were studied. Num-

Father's or husband's name was recorded on the slip according to later instructions but it caused difficulty as no space was provided in it.

- 25. Location Code No. of the district was printed on the slip. Location Code No. of the Charge Circle and Blocks and house and name of the village was written on every slip by the enumerators. Charge number was written before the slips went out of the Charge Superintendents Office and Circle number was noted by the supervisor before the slips were given to the enumerators. He had to write the block No., House No. and the name of village on the top of the slip.
- 26. Final checking:—Final checking was begun from the morning of the 1st March and was completed by 3rd March in all the blocks. Sun rise of 1st March, 1951 was the reference date. Corrections were made according to the reference date. New slip at the end of the pad was written if any body was born after the first writing of the slip and before the sunrise of the 1st March and if any body had died before the reference date his slip was cancelled by drawing lines, across it and by writing on the slip that he had died.

CHAPTER VII. COLLECTION OF PROVISIONAL TOTALS.

27. After the final checking all the enumerators met their supervisors at a previously fixed spot on the 4th morning and filled the enumerators abstracts (attached to the booklet of Enumerators Instructions). Every enumeration abstract was to be checked by two other enumerators and then it was to be handed over to the Supervisor along with all the written Census Records with them and blank pads, house list and National Citizen Register. Supervisor then filled the circle summary (copy in Appendix C) for his circle and got it checked by his two intelligent Enumerators.

Every Supervisor handed over the circle summary and all concerned records of his circle (Enumerators abstract attached to the circle summary—Pads written and blank—House lists, National Citizen Register, Circle Register, Circle map all tied in blockwise bundle) to the Assistant to the Tehsildar or Kannungo appointed at centre for the purpose. In every Tehsil 4 or 5 centres were fixed where supervisors of surrounding circles were to assemble and hand over their circle summaries and other records. At the centres the circle summaries were totalled together and were sent to the Tehsil (Charge) Head Quarters.

At Tehsil and Charge Head Quarters the charge summary was prepared on the basis of circle summary and the charge summary was sent to reach the District Head Quarter by the 8th March. The District Census Officer compiled the figures of the charge summaries and prepared the District Total and telegraphed the provisional total to the Census Commissioner

for India, New Delhi and to the Superintendent of Census Rewa on the 10th March, 1951.

Telegrams from all Districts were sent on the 10th March. Detailed instructions about them were issued from my office in January and during my tour I had personally discussed the whole scheme of collection of provisional totals with every district officer. Sufficient advance (about Rs. 100 for each district) was given to the District Census Officer for collection of the provisional totals.

- 28. Comparison of the slips with the National Citizen Register:—After the charge Summaries were despatched by the Charge Superintendent the enumeration slips and the National Citizen Register were compared with each other and entries were made to agree. This was done in the Tehsil Head Quarter from 8th March to 15th March, 1951.
- 29. Despatch of Census Records:—After comparison was over all the census record properly packed was despatched with a clerk by the Charge Superintendents to the Rewa Tabulation Officer. All record was received at Rewa between the 20th and 25th March, 1951.

At Rewa one clerk for every district was made responsible to receive the records. He had to see that the Charge Register, Charge Summary, Circle Summary National, Register, Pads, House list of every circle and blocks in the Charge were received. All the records were brought packed in gunny bags over which the name and number of charge and the number of circle were written clearly.

 ~ 1

CHAPTER VIII. SPECIAL CENSUS ARRANGEMENT

- 30. Collieries:—There are about eight collieries. Each colliery was formed into a census circle and a responsible official of the colliery nominated by the Colliery Manager was appointed Supervisor. Charge-Superintendent had to give special care to see that the work in the collieries was not delayed. Enumerators were nominated by the colliery managers from their staff.
- 31. Railways:—There are only two Railway lines viz. Great Indian Peninsula Railway and the Bengal Nagpur Railway. Timely instructions were issued by the General Manager of the Great Indian Peninsula Railway and there was all co-operation from the G. I. P. Railway Staff, Good deal of correspondence had to be done before the Bengal Nagpur Railway stations started the work.

Bigger stations such as Satna and Shahdol were made into a circle and Station Master or Assistant Station Master was made Supervisor and enumerators were appointed from the station staff. All the small Railway Stations were made into blocks in the circles in which they were situated.

Railway Chaukies and labourers huts were included in the neighbouring villages.

Palaces of Ruling Princes were made separate blocks and Enumerators were appointed from among the personal staff of the Ruling Princes and with their approval.

- 32. Reserve Police Line:—Armed Special Force Line, Hospitals, Boarding Houses, Jails were made into a circle or a block according to their size and Supervisor or Enumerators were appointed from among their staff.
- 33. Fairs:—Big fairs which began before the 8th February and lasted till after the 1st March were made into a seperate block and only such persons were enumerated as had left their houses before the 8th February and were not expected to return before the 28th February.

A list of such fairs should be called from the Charge Superintendents long before and their arrangement should be particularly discussed with the Charge Superintendents and the District Census Officers.

CHAPTER IX GENERAL

- 34. Progress reports from the Charges and District Census Officers were called fortnightly from October onwards. Two forms will be found in Appendix C. Progress return should be called from April in my opinion.
- future:—Formation of Blocks and Circles in future:—Formation of circles in a charge and blocks in a circle have been very helpful in controlling the work and in the distribution of work so I recommend them for future also. A block should consist of 40 to 60 houses, a circle should have 10 to 15 blocks. Papers of each village should be kept separate. Village list printed in the District Census Hand Book will show the circle number for every village and will also give the total number of blocks formed in every village.
- 36. Constant touring on the part of the Superintendent is very necessary without which work is sure to be delayed.
- 37. All instructions should be finalised before January and then only it is possible that whole machinery can be organised. Instructions and Forms should be printed and despatched to the Districts by June i. e. before the rains. If they are sent during the rainy season the form get wet in transit.
- 38. In 1951 Census following staff and allowance to clerks were given.

One clerk at Rs. 40 P. M. with D. A. in every Tehsil Office for 6 months.

Allowance to one clerk at Rs. 10 P. M. for 6 months in every District Office.

Allowance to one clerk at Rs. 10 P. M. for 6 months in every Municipal Charge Office,

It was sufficient though some District Officers and Tehsildars deemed it insufficient.

- 39. Recognition of work:—Thirty six silver and seventy two bronze medals have been awarded for good work for the Census of 1951. List of the reciepients is in Appendix A. Certificates to Supervisors under the signatures of the Deputy Commissioner and to Enumerators under the signature of the District Census Officer have been given. Form of the certificate will be found in Appendix C.
 - 40. Transfer: Superintendent Census

should see that officials who are made responsible for census work should not be transferred by their Superior Officers. Unless he is careful he will find that such transfers when made are reported to him when the official concerned has left his charge.

41. Office Building \- The question of securing suitable accommodation for Census Office did not present any difficulty at the beginning since census work was entrusted to me in addition to my own duties as the Excise and Sales Tax Commissioner. But with the progress of the work when I was relieved of the work of Excise & Sales Tax Departments the question of finding a separate accommodation for census office did present some difficulty. Luckily with the disbandment of the State forces a number of fairly good buildings were vacated in the Military lines at a distance of 11 miles from the Rewa town and a building with 4 rooms was placed at my disposal for the office. This being quite inadequate for purposes of sorting work which required space for about 200 pigeon holes a sufficiently large building belonging to the Defence Department of the Government of India was made available through the good offices of the Registrar General. The question of building was thus solved easily and there was no dearth of suitable accommodation. F

But it is suggested that if there is going to be no permanent census organisation in future the State Government ought to be moved well before the appointment of the Census Officer in the matter of providing for the officer suitable office and residential accommodation.

42. Furniture:—Similar was the state of affairs in the case of furniture also. There was no serious difficulty in securing furniture for the Office. As a result of integration and re-organisation invarious departments of the State some of the offices were either abolished or underwent considerable reduction in their strength and so necessary furniture, though all of it not in good order, was made available without any great difficulty. However, a tendency was noticed that in spite of good and serviceable articles of furniture being available in abundance, some rotten articles were supplied and they had to be hurriedly repaired at some cost to the Government, out of the Census budget.

of paper and stationery was a problem. Despite repeated requests for paper for printing of forms of National Citizen Registers no paper was supplied by the Stationery Stores in time, with the result that they were printed on a paper of very inferior quality then available with the Local Government Press. The paper was of very old stock and was not at all suitable for a record which has to be maintained for another 10 years.

It should, therefore, be so arranged that in future an indent for paper and stationery should be sent to the Stationery Stores at least 6 months before the appointment of the Census Officer so that time is not wasted for want of paper. ?

44. Training of Staff:-The training of staff was commenced as early as August, 1950 and finished by the close of the rainy season by which time some of them had made good progress. It is always advantageous to start the training early as thereby the District Officers and the Charge Superintendents could know their difficulties in time and get over them by reference, if necessary, to the Census Officer much ahead of the target date of starting work. The Census Officer has to exert a great deal in the matter of training of his huge enumeration staff. He has to give much attention in this direction and has, therefore, to undertake extensive touring. Suitable Tehsils and District Head Quarters were fixed for the enumerators to collect to coach them for the job required of them. In order to verify if they had followed the instructions properly surprise visits even in the interior become neces-

45. Age:—The question of age presented real difficulty in the outlying areas and particularly amongst the aboriginals. In order to meet this difficulty local calendars of important events generally known to the people were prepared separately for the Bundelkhand and Baghelkhand Divisions and copies thereof distributed to the enumerators. All possible efforts to ascertain accurate age through the help of important events, village headmen, chowkidars etc., were made. On the whole the age returned

by the people has not been disappointing and can be regarded as fairly accurate.

- 46. Birth place:—There was no difficulty in recording birth place of the people born in the district but some of those coming from other States gave names of villages or odd places and could not give the names of the districts. Such difficulty was mostly felt with the displaced persons. Many of whom could not give the district of origin in Pakistan, Where attempts failed even in the Tabulation Office to locate the district of origin such persons were brought under the head 'District not Stated'. But the number of such persons was few.
- 47. Economic questions:—There was real difficulty, with enumerators deficient in education in distinguishing a 'self supporting person' from 'Earning dependent' and an 'Employee' from 'Independent worker'.
- 48. Sample Verification of the National Register of Citizens:—In order to ascertain the extent of discrepancy in the population totals by tracts between the National Register of Citizens and the Primary Census Abstracts a sample check of 5% for Rural tracts and 10% for Urban tracts was carried out. Districtwise difference between the totals in the National Register of Citizens and the Primary Census Abstracts are as follows:—

| 1. | Datia | _ | .02% |
|----|------------|-----|-------|
| 2. | Tikamgarh | 4 | .01% |
| 3. | Chhatarpur | + | 12% |
| 4. | Panna | . + | 24% |
| 5. | Satna | Ť | 12% |
| 6. | Rewa | + | 12% |
| 7. | Sidhi | - | .03% |
| 8. | Shahol | 4 | 1002% |

Statement No, 14 showing the difference in the totals on sample basis, by tracts is given in Appendix A.

49. Success of the census work is mainly due to the very detailed and timely instructions issued by the Registrar General from time to time and to the personal discussion in the conferences. I express my gratitude to the Registrar General for his help and guidance without which little could have been achieved.

N. K. DUBE, Superintendent of Census Operations in Vindhya Pradesh, Rewa.

[13]
APPENDIX A STATEMENTS.

| Serial No. | No. of Statements | | Name of Statements. |
|------------|-------------------|------|--|
| 1 | Statement No. 1 | *** | Census Division and Agency in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| Z | Statement No. 2 | **** | Number of Forms and Circulars printed in Hindi and supplied and used in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| 3 | Statement No. 3 | 1000 | District Census Charges during 1951 Census Vindhya Pradesh. |
| 4 | Statement No. 4 | 1111 | Number of persons taken from different departments for census work in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| 5 | Statement No. 5 | 1100 | List of District Census Officers and Charge Superintendents in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| 6 | Statement No. 6 | | Provisional Total in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| 7, | Statement No. 7 | *** | Showing the difference between the provisional total for Charges and Districts in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| 8 | Statement No. 8 | 1144 | Showing the number and size of Census Charges for the Districts in Viudhya Pradesh Census of 1951. |
| . 9 | Statement No. 9 | •••• | List of Railway Stations in each District and Tehsil in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| 10 | Statement No. 10 | **** | Office staff which was actually engaged during \$1950-51 in Vindhya Pradesh Census of 1951. |
| .11 | Statement No. 11 | **** | Account of expenditure of Census Operations Vindhya Pradesh, Rewa for the year 1950-51, |
| 12 | Statement No. 12 | **** | List of persons to whom Silver Medal is awarded. |
| 13 | Statement No. 13 | **** | List of persons to whom Bronze Medal is awarded. |

[14]

II. CENSUS DIVISION AND AGENCY IN VINDHYA PRADESH CENSUS OF 1951.

| | | | I | Number of | Ī | : | Number of | f | Average n | umber of | houses pe |
|---------------|-----------------|------|---------|-------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Serial No. | District | | Charges | Circles | Blocks | Charge Superin- tendents | Supervi- sors | Enume- rators | Charge Superin- tendent | Supervi- sor | Enume- rator |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| -1 | Vindhya Pradesh | *** | 37 | 1,765 | 20,648 | 37 | 1,765 | 20,648 | 20,458 | 429 | 37 |
| 2 | Bundelkhand | | 17 | 795 | 8,139 | 17 | 795 | 8,139 | 16,461 | 352 | 34 |
| 3 | Datia | *** | 3 | 85 | 1,067 | 3 | 85 | 1,067 | 11,243 | 397 | 32 |
| 4 | Tikamgarh | | · 4 | 238 | 2,206 | 4 | 238 | 2,206 | 20,394 | 343 | 37 |
| 5 | Chhatarpur | •••• | 6 | 270 | 3,154 | 6 | 270 | 3,154 | 17,666 | 393 | 34 |
| 6 | Panna | *** | 4 | 202 | 1,712 | 4 | 202 | 1,712 | 14,634 | 290 | 34 |
| 7. | Bagelkhand | **** | 20 | 970 | 12,509 | 20 | 970 | 12,509 | 23,856 | 492 | 38 |
| 8 | Satna | •••• | 6 | 2 96 | 3,201 | 6 | 296 | 3,201 | 20,109 | 408 | 38. |
| 9 | Rewa | ••• | 5 | 2 91 | 3,548 | 5 | 291 | 3,548 | 25,284 | - 452 | 37 |
| 10 | Sidhi | *** | 3 | 142 | 2,421 | 3 | 142 | 2,421 | 29,814 | 629 | 37 |
| 11 | Shahdol | **** | 6 | 241 | ,3,33 9 | 6 | 241 | , 3,33 9 | 22,600 | 563 | 41 |

II. NUMBER OF FORMS CIRCULARS PRINTED IN HINDI AND SUPPLIED AND USED IN VINDHYA PRADESH CENSUS OF 1951.

| | - | Enumers | Enumeration Slip. | | | | | | | Other | Forms | and | Circulars | used. | | | | | | | ı |
|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Serial No. | District. | Supplied. | Used. | Pamphlet No. 1 Pre-5 paration of General Village Register. | Pamphlet No. 2 Ins- tructions for num- bering the houses. Pamphlet No. 3 Ins- | truction for prepa- ration of Charge Register. | Pamphlet No. 4 Gene- ral Census Arrange- ments. | Pamphlet No. 5 ins- tructions to Enume- rators. | Pamphlet No. 5-A Supplementary ins- tructions to Enume- tators. | Pamphlet No. 6 Ins- tructions for writ- ing of National citi- zen Register | Instructions for the census of small scale Industries, | House list forms. | Charge Register Forms. | National Citizen Re- gister Forms. | Appointment forms of Supervisors and Enumerators. | Circle Summary Forms. | Charge Summary Forms. | Fortnightly Report Forms. | Home Minister in- formation Forms. | Small Scale Industry Census Slip. | General Village Re- gister Forms. |
| _ | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (7) | (8) | (6) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) (| (22) |
| | Vindhya Pradesh | 4,348,400 | 4,348,400 3,574,690 | 160 | 2,484 | 405 | 100 | 26,300 | 27,232 | 3,584 | 1,600 | 31,520 | 4,423 | 49,958 | 23,040 | 3,422 | 1,466 | 348 | 9,270 8 | 8,000 | 850 |
| 2 | Bundelkhand Dn. 1,615,300 1,270,322 | 1,615,300 | 1,270,322 | 80 | 1,068 | 200 | 46 | 10,150 | 10,128 | 1,430 | 800 | 12,061 | 1,825 | 17,654 | 9,500 | 1,468 | . 899 | 160 | 000'\$ | 4,000 | 400 |
| લ | Datia | . 220,800 | 164,314 | 20 | 103 | 20 | 10 | 1,400 | 1,416 | 201 | 200 | 1,565 | 185 | 2,301 | 1,100 | 157 | 167 | 6 | 1,000 | 1,000 | 100 |
| 4 | Tikamgarh | 471,900 | 366,165 | 20 | 354 | 20 | 10 | 2,850 | 2,125 | 476 | 200 | 3,270 | 496 | 5,001 | 2,500 | 442 | 177 | 40 1 | 1,000 | 1,000 | 100 |
| r, | Chhatarpur | . 595,600 | 481,140 | 20 | 316 | 20 | 14 | 3,500 | 4,218 | 326 | 200 | 4,139 | 298 | 6,351 | 3,900 | 527 | 172 | 40 1 | 1,000,1 | 1,000 | 100 |
| 9 | Panna | 327,000 | 258,703 | 20 | 295 | 30 | 12 | 2,400 | 2,369 | 427 | 200 | 3,087 | 546 | 4,001 | 2,000 | 342 | 152 | 40 1 | 1,000,1 | 1,000 | 100 |
| 7. | Baghelkhand Dn. | 2,733,100 | 2,733,100 2,304,368 | 80 | 1,416 | 202 | 54 | 16,150 | 17,104 | 2.154 | 800 | 19,459 | 2,598 | 32,304 | 13,540 | 1,954 | 798 1 | 188 5 | 5,270 4 | 4,000 | 450 |
| œi | Satna | 664,200 | 555,603 | . 20 | 377 | 20 | 18 | 4,400 | 4,496 | 929 | 200 | 5,010 | 069 | 7,401 | 3,600 | 573 | 237 | 40 1 | 1,500 1 | 1,000 | 100 |
| 6 | Rewa | , 784,800 | 633,706 | 20 | 445 | 55 | 14 | 4,450 | 4,847 | 979 | 200 | 6,332 | 761 | 8,801 | 3,740 | 292 | 212 | 68 2 | 2,270 | 1,000 | 150 |
| <u>3</u> 0. | Sidhi | . 516,400 | 464,302 | 20 | 622. | 20 | ø | 3,000 | 3,225 | 376 | 200 | 3,944 | 530 | 7,101 | 2,700 | 212 | 122 | 40 | 500 | 1,000 | 100 |
| Ξ: | Shahdol | . 767,700 | 650,757 | 20 | 315 | 20 | 4. | 4,300 | 4,536 | 526 | 200 | 4,173 | 617 | 9,001 | 3,500 | 905 | 227 | 40 1 | 1,000,1 | 1,000 | 100 |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

[16]

III. DISTRICT CENSUS CHARGES, DURING 1950-51.

1951 Census Vindhya Pradesh.

| Serial No. | Districts | | District Establish- ment | House Numbering | Remunera- tion to Census Officers | Travelling Allowances to Census Officers | Local Purchase of Stationery | Postage | Freight | Other Charges | Total |
|---------------|------------|------|--------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---------|---------|------------------|--------|
| | | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Chhatarpur | 1010 | 752 | 120 | | 215 | 1,067 | - | 128 | 27 | 2,309 |
| 2 | Datia | 1007 | 516 | 13 | mr* | 184 | 561 | •••• | 124 | 8 | 1,406 |
| 3 | Panna | •••• | 707 | 224 | *** | 154 | 560 | **** | 100 | **** | 1,745 |
| 4 | Tikamgarh | 1114 | 715 | 200 | •*** | 204 | 67 2 | •••• | 200 | **** | 1,991 |
| 5 | Rewa | *** | 845 | 250 | **** | 33 | 1,144 | **** | 100 | 5 | 2,377 |
| 6 | Satna | **** | 929 | 230 | **** | 50 | 1,051 | **** | 157 | **** | 2,417 |
| 7. | Shahdol |) | 994 | 250 | *** | 230 | 996 | **** | 150 | - 444 | 2,620 |
| 8 | Sidhi | | 661 | 100 | **** | 43 | 792 | **** | 100 | *** | 1,696 |
| | Total Rs. | P140 | 6,119 | 1,387 | | 1,113 | 6,843 | | 1,059 | 40 | 16,561 |

[17]
STATEMENT No. IV.

Showing the numbers of persons taken from different departments for Census work in Vindhya Pradesh Census of 1951.

| Serial | Name of Departmen | | Dati a . | Tikam- garh. | Chha- tarpur. | Panna. | Satna. | Rewa. | Sidhi. S | Shahdol. | Remarks, |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| No. | Mame of Departmen | | Per- sons. | Per- sons. | Per- sons. | Per- sons. | Per- sons. | Per- sons. | Per- sons. | Per- sons, | Tomas, |
| (1) | (2) | | (3) | j (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Revenue Department | ***1 | 64 | 77 | 388 | 201 | 189 | 246 | 113 | 96 | • |
| 2 | Education | **** | 105 | 28 | 143 | 30 | 106 | 32 | 39 | 102 | |
| 3 | Treasury | **** | 5 | 3 , | 4 | 4 | 4 | **** | *** | **** | |
| 4 | Bank | | 21 | 76 | 4414 | **** | 2 | ••• | **** | 2 | |
| 5 | Forest | 44 | 7 | **** | 18 | 5 | **** | **** | 1 | 34 | |
| -6 | Medical | **** | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | **** | 1 | 2 | |
| 7 | Diamond Office | •••• | | ••• | **** | 3 | 1000 | **** | | **** | |
| .8 | Supply Office | | 1 | **** | **** | **** | **** | 1999 | **** | 1 | |
| 9 | Police Office | **** | 15 | 4 | 1 - | 4 | 5 | 1000 | **** | 1 | |
| 10 | D. C. Office | *** | 39 | 4 | **** | 4 | 3 | **** | *** | 2 | |
| 11 | Municipal Board | *** | 34 | 1 | 19 | 3 | 13 | 7 | 1 | *** | |
| 12 | Private Offices | 1000 | **** | **** | *** | 3 | **** | 1 | *** | edito | • |
| 13 | Jail Office | | 9 | 1 | 2 | 1 | **** | **** | **** | **** | |
| 14 | Magistrate Court | *1** | **** | **** | **** | 1 | **** | **** | 4110 | *** | • |
| 15 | Agriculture | Hee | 7, | 2 | 5 | 1 | **** | | 3+44 | **** | |
| 16 | Dairy | **** | 4 | *** | **** | *** | | **** | *145 | ••• | |
| 17 | P. W. D. | •••• | 5 | *** | 2 | 3 | **** | **** | í sa | 2 | |
| 18 | Power House | **** | 3 | 2 | *** | **** | 7003 | **** | 1000 | 1100 | |
| 19 | Judicial | | 31 | 4 | 5 | 1116 | **** | | **** | **** | |
| 20 | Sale Tax | **** | 15 | **** | 6 | | | ••• | **** | 2 | |
| 21 | Government Press | **** | **** | *** | 4 | | *** | ъя . | | | _ |
| 22 | Post Office | •••• | **** | **** | 1 | *** | | 1600 | **** | 4110 | |
| 23 | Railway | 1144 | 2 | | 2 | 1000 | 8 | **** | *114 | 4177 | • |
| 24 | Electrical Department | **** | 4 | 1 | 2 | 4000 | **** | **** | 5400 | *** | |
| 25 | M. E. S. | •••• | **** | 4 | 1 | 414 | *** | **** | 4104 | ***** | |
| | D. F. O. | *** | **** | **** | **** | **** | **** | 4*** | **** | 9900 | |
| | A. G. Office | , i.e. | **** | | **** | *** | 1018 | 2 | 4014 | 446 | |
| | Go-operative | **** | 1000 | **** | **** | **** | **** | 2 | ••• | epart. | |
| , | Total | .,,, | 379 | 134 | 605 | 265 | 337 | 290 | 155 | 244 | |

STATEMENT No. 5.

List of District Census Officers and Charge Superintendents in Vindhya Pradesh Census of 1951.

| Division. | District. | Name of district Census Officers. | Name of Charge. | Name of Charge Superintendents with full Designation. |
|-------------------------|------------|--|---|--|
| (I) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Vindhy a Pradesh | | | | |
| Bundelkhand | Datia | Shri R. N. Misra, M.A., LL.B., Additional Dis- trict Magistrate. | Tehsil Datia. Town Datia. | Shri Sheo Kumar Srivastava, Tehsildar, Shri Chatur Bhuj, Secretary, Municipal Board. |
| | | tilci magistiate. | Tehsil Seondha. | Shri M. B. Nomani, Tehsildar. |
| | Tikamgarh | Shri Chandra Pal Singh, | Tehsil Tikamgarh. | Shri Shiva Shanker, M.A., LL.B., Teh-sildar. |
| | | B.Com., LL.B., Additional District Magis- | Town Tikamgarh. | Shri Bhairon Pershad Saksena, Secretary Municipal Board. |
| | | trate. | Tehsil Jatara. Tehsil Newari. | Shri Laxmi Prasad, Gupta, Tehsildar. Shri Sada Shiv Narain, M. A., Tehsildar. |
| | Chhatarpur | Shri Harnam Singh, | Tehsil Chhatarpur. | Shri Madan Singh Pancholi, B.A., LL.B. |
| | | B.A., LL.B., Additional District Magistrate. | Town Chhatarpur. | Tehsildar, Shri Vasdeo Rao, Secretary Municipa |
| | | , | Tehsil Bijawer. | Board. Shri Shushil Chandra Misra, M.A., Tehsil |
| | | | Town Bijawer. | dar. Shri Babu Lal Khare, Secretary, Municipa |
| | | | Town Nowgong. | Board. Shri Bhagwan Das, Secretary, Municipa |
| | | | Tehsil Laundi. | Board. Shri Shri Jiwan Prasad, Tehsildar. |
| | Panna ! | Shri Kanhaiya Lal, Agar- wal, B.Com., LL.B., | | Shri Prabhat Singh, B.A., Tehsildar. Shri Laxmi Prasad Kharey, Secretary, Mu |
| | • | Additional District Magistrate. | Tehsil Ajaigarh, | nicipal Board. Shri Kailash Chandra, B.Sc., LL.B., Teh |
| m + 4(1 . J | | | Tehsil Pawai. | sildar. Shri G. D. Gore, B.A., LL.B., Tehsildar. |
| Baghelkhand | Satna | Shri B. P. Shukla, B.A., | Tehsil Raghuraj- | Shri Sher Singh, B.Sc., LL.B., Tehsildar. |
| | | LL.B., Additional District Magistrate. | nagar. Town Satna. Tehsil Maihar. | Dr. L. P. Khare, Chairman Municipal Boar Shri Chandrama Prasad Srivastava, B.A LL.B., Tehsildar. |
| | | | Town Maihar. | Shri Janki Prasad, Secretary, Municipa |
| | | | Tehsil Nagod. | Board. Shri Mohan Swaroop Mathur, B.A., LL.B. Tehsildar. |
| | | | Tehsil Amarpatan. | Shri Kunj Beharilal Gupta, B.A., LL.B |
| | Rewa | Shri Mahendra Pratap | Tehsil Hazur. | Tehsildar. Shri Vishnu Pratap Singh, B.A., LL,B |
| | | | Town Rewa. | Tehsildar. Shri Bhagwan Prasad, Sharma, B.A |
| | | Magistrate, | Tehsil Sirmour. Tehsil Mauganj. | Secretary, Municipal Board. Shri Shive Bhan Prasad, Tehsildar. Shri Lal Akhand Pratap Singh, B A., LL.B. |
| | | | Tehsil Teonthar. | Tehsildar. Shri Deo Raj Srivastava, B.A., LL, B., Tehsildar. |
| | Sidhi | Shri Kripa Shanker, B.A., LL.B., Additional District Magistrate, | Tehsil Gopadbanas, Tehsil Deosar, Tehsil Singrauli, | . Shri Sri Gopal Narain, B.A., Tehsildar. Shri Shrutwant Singh, Tehsildar. Shri M. P. Ratauri, Tehsildar. |
| | Shahdol | Shri Venkatesh Acharya B.A., LL.B., Additional | Tehsil Sohagpur. | Shri Alopi Prasad Shukla, B.A., Tehsilda Shri Awdhesh Kumar Khare, Secretar |
| | ** | District Magistrate. | Tehsil Bandhogarl Town Umaria. | Municipal Board. h Shri Shive Narain Lal, B.A., LL, B., Tehsild Shri Deep Narain Pathak, B.A., LL, B. Chairman Manicipal Board |
| | | | Tehsil Beohari. Tehsil Pushpraj- garh. | Chairman, Municipal Board. Shri Shive Kumar Sharma, B.A., Tehsilda Shri Rama Nuj Pratap Singh, M.A., LL.E Tehsildar. |

[19] STATEMENT No. 6.

Provisional Total Census of 1951.

| | | | | | | | Population | |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Division | District | | Charges | | No. of Houses | Total | Males | Females |
| Vindhya Pradesh | Eight | | Thirty Seven | **** | 756,957 | 3,577,429 | 1,834,608 | 1,742,821 |
| Bundelkhand | _ | | Seventeen | **** | 279,842 | 1,271,337 | 666,035 | 605,302 |
| Bundeikiland | Datia | | | | 33,729 | 164,215 | 86,460 | 77,755 |
| | Datia | | W 1 '1 D 4' | | | 70,559 | 36,955 | 33,604 |
| | | | Tehsil Datia Town Datia | •••• | 14,862 5,177 | 26,451 | 13,484 | 12,967 |
| | | | Tehsil Seondha | **** | 13,690 | 67,205 | 36,021 | 31,184 |
| | Tikamgarh | 1141 | | | 81,577 | 365,947 | 191,729 | 174,218 |
| | | | Tehsil Tikamgarh | | 28,379 | 124,737 | 65,489 | 59,248 |
| | | | Town Tikamgarh | **** | 3,137 | 13,402 | 6,841 | 6,561 |
| | | | Tehsil Jatara | **** | 28,887 | 128,757 | 67,216 | 61,541 |
| | ` | | Tehsil Newari | | 21,174 | 99,051 | 52,183 | 46,868 |
| | Chhatarpur | •••• | | | 105,998 | 4 82,61 2 | 254,528 | 228,084 |
| | • | • | Tehsil Chhatarpur | **** | 49,276 | 223,624 | 117,610 | 106,014 |
| | | | Town Chhatarpur | **** | 3,168 | 14,096 | 7,394 | 6,702 |
| | | | Tehsil Bijawar Town Bijawar | *** | 29,945 1,366 | 130,490 6,119 | 69,070 3,120 | 61,42 0 2, 999 |
| | | | Town Nowgong | **** | 1,240 | 5,553 | 3,026 | 2,52 |
| | | | Tehsil Laundi | •••• | 21,003 | 102,730 | 54,308 | 48,427 |
| | Panna | •••• | | | 58,538 | 2,58,563 | 133,318 | 125,245 |
| | | | Tehsil Panna | | 22,523 | 100,645 | 51,673 | 48,972 |
| | | | Town Panna | **** | 2,741 | 12,230 | 6,391 | _5 ,839 |
| | | | Tehsil Ajaigarh Tehsil Pawai | •••• | 9,80 0 23,474 | 45,407 100,281 | 23,940 51,314 | 21,467 48,967 |
| Baghelkhand | Four | •••• | Twenty | **** | 477,115 | 2,336,092 | 1,169,573 | 1,137,519 |
| | Satna | •••• | , | | 12 0,657 | 554,820 | 280,845 | 273,945 |
| | | | Talasi Danian Lan | | 46 114 | 217012 | 110,890 | 1.0 < 0.2 |
| | | | Tehsil Raghurajnaga Town Satna | | 46,31 4 5,5 3 2 | 217,823 20,058 | 10,621 | 10 6 ,933 9,437 |
| | | | Tehsil Maihar | **** | 18,034 | 79,944 | 40,015 | 39,929 |
| | | | Town Maihar | ••• | 2,168 | 9,362 | 4,756 | 4,606 |
| | | | Tehsil Nagod | *** | 23,686 | 109,332 | 55,475 | 53,857 |
| | | | Tehsil Amarpatan | **** | 2 4,923 | 118,301 | 59,083 | 59,213 |
| | Rewa | **** | • | | 131,419 | 636,646 | 3 21, 7 90 | 314,847 |
| | | | Tehsil Hazur | **** | 32,878 | 156,592 | 77,768 | 78,824 |
| | | | Town Rewa | **** | 7,147 | 29,673 | 16,633 | 13,040 |
| | | | Tehsil Sirmour Tehsil Mauganj | •••• | 3 0,91 7 35, 224 | 158,078 172,883 | 7 8,760 87,021 | 7 9,318 8 5,862 |
| | | | Tehsil Teonthar | **** | 25,253 | 119,420 | 61,617 | 57,803 |
| | Sidhi | **** | | | 89,441 | 454,388 | 235,237 | 229,151 |
| | | | Tehsil Gopadbanas | | 53,705 | 265,250 | 134,269 | 131,981 |
| | | | Tehsil Deosar | | 20,756 | 113,599 | 58,107 | 55,492 |
| | | | Tehsil Singrauli | **** | 14,980 | 84,539 | 42,861 | 41,678 |
| | Shahdol | **** | | | 135, 598 | 650,238 | 330,692 | 319,546 |
| | | | Tehsil Sohagpur | | 70,638 | 337,734 | 172,008 | 165,726 |
| | | | Town Shadol | **** | 2,243 | 9,281 | 4,987 62.100 | 4,294 |
| | • | | Tehsil Bandhogarh Town Umaria | •••• | 25,686 2,010 | 122,473 8,178 | 62,190 4, 27 5 | 60,283 3,903 |
| | | | Tehsil Beohari | **** | 21,027 | 106,434 | 54,096 | 52,338 |
| | | | Tehsil Pushprajgarh | **** | 13,994 | 66,138 | 33,136 | 33,002 |

[20]

STATEMENT No. 7.

Showing the Difference between the provisional and final totals for Charges and Districts in Vindhya Pradesh Census of 1951.

| Divisoin. | District. | Charge. | r | Provi- sional total. | Final total. | Diffe- rence. | | Remarks) |
|-------------------|------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Vindhya Pradesh | | | | 3,577,429 | 3,574,690 | - 2,73 | 9 - 7.66 | |
| Bundelkhand | | | | 1,271,337 | 1,270,322 | - 1,01 | 5 - 7.99 | |
| • | Datia | Tehsil Datia Town Datia Tehsil Seondha | **** | 164,215 70,559 26,451 67,205 | 164,314 70,656 26,447 67,211 | + 9 | 9 + 6.03 7 + 13.73 4 - 1.51 6 + 8.9 | |
| | Tikamgarh | \ . | | 365,947 | 366, 165 | + 21 | B + 5·95 | |
| | , | Tehsil Tikamgarh Town Tikamgarh Tehsil Jatara Tehsil Newari | **** **** \$100 | 124,737 13,402 128,757 99,051 | 124,821 13,429 128,796 99,119 | + 2+ 3 | 4 + 6.73 7 + 20.11 9 + 3.03 | |
| | Chhatarpur | ••• | | 482,612 | 481,140 | - 1,47 | 2 - 30.59 | |
| | | Tehsil Chhatarpur Town Chhatarpur Tehsil Bijawer Town Bijawer Town Nowgong Tehsil Laundi | 0114 0114 0114 0114 | 223,624 14,096 130,490 6,119 5,553 102,730 | 222,302 14,110 130,578 6,119 5,552 102,479 | **** | 4 + 9.92 8 + 6.74 1 - 1.80 | |
| | Panna | | | 258,563 | 258,703 | + 14 | | |
| Dec. 1. 11.1 cm 1 | | Tehsil Panna Town Panna Tehsil Ajaigarh Tehsil Pawai | **** | 100,645 12,230 45,407 100,281 | 10 ⁰ ,676 12,244 45,410 100,373 | + 3 + 1 | 1 + 3·08 4 + 11·43 3 + •66 | |
| Baghelkhand | _ | | | 2,306,092 | 2,304,368 | - 1,72 | - 7.48 | |
| | Satna . | | | 554,820 | 555,603 | + 78 | 3 + 14·09 | |
| | | Tehsil Raghurajnagar Town Satna Tehsil Maihar Town Maihar Tehsil Nagod Tehsil Amarpatan | **** | 217,823 20,058 79,944 9,362 109,332 118,301 | 217,961 20,183 80,126 9,397 109,615 118,321 | + 13 + 12 + 18 + 3 + 28 + 2 | 5 + 61.93 2 + 22.71 5 + 37.25 3 + 25.82 | |
| | Rewa . | ••• | | 636,646 | 63 3,706 | - 2,94 | 0 - 46-39 | |
| | •• | Tehsil Hazur Town Rewa Tehsil Sirmour Tehsil Mauganj Tehsil Teonthar | **** | 156,592 29,673 158,978 172,883 119,420 | 156,433 29,623 156,704 171,738 119,208 | - 15' - 5' - 1,37' - 1,14! - 21' | 9 - 10·16 1 - 16·88 4 - 87·66 5 - 66·67 | |
| | Sidhi . | | | 464,388 | 464,302 | 80 | | |
| | | Tehsil Gopadbanas Tehsil Deosar Tehsil Singrauli | **** | 266,250 113,599 84,539 | 266,111 113,656 84,535 | - 139 + 52 | 5.22 | |
| | Shahdol . | *** | | 650,238 | 650,757 | + 51 | • | |
| | | Tehsil Sohagpur Town Shahdol Tehsil Bandhogarh Town Umaria Tehsil Beohari Tehsil Pushprajgarh | 1110 1110 1110 1110 1111 | 337,734 9,281 122,473 8,178 106,434 66,138 | 338,243 9,288 122,311 8,175 106,457 66,283 | + 509 + 162 | + 15·05 7 + 7·54 2 - 13·24 3 - 3·67 3 + 2·16 | |

STATEMENT No. 8.

Showing the number and size of Census charges for the Districts in Vindnya Pradesh Census of 1951.

| | No. of Circle. | (17) | 12 | 10 | 13 | o 41 9 | 0 | 114117 | 12 | 9 117 10 10 17 | ∞ | 8976 |
|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|---------|--|-----------|--|------------|--|----------|---|
| sq. | Houses. | (16) | 32 | 35 | 46 | 719 43 42 | 42 | 37 448 37 53 | 31 | 38 396 29 192 238 30 | 21 | . 19 494 37 18 |
| Per sq. mile | Blocks. | (15) | - | - | - | 25 1 | - | 101 | - | 1012 | - | -8 |
| | No. of houses per Block. | (14) | 37 | 34 | 32 | 35 37 | 37 | 34 37 34 34 | 34 | 34 38 35 36 27 31 | 3, | 34 46 30 |
| j č | House. | (13) (| r. | Ŋ | ĸ | លលល | 4 | . 444w | เก | v4444v | 4 | 44w4 |
| rsons 1 | Вюск | (12) | 173 | 15è | 154 | 142 149 172 | 166 | 167 195 167 161 | 153 | 151 170 155 161 121 152 | 151 | 150 292 211 128 |
| o of pe | Circle. | (11) | 2,025 | 1,598 | 1,933 | 1,812 1,392 2,489 | 1,539 | 1,758 2,686 1,764 1,114 | 1,782 | 1,434 2,822 2,106 1,530 1,110 2,628 | 1,281 | 1,243 1,749 1,514 1,195 |
| Average No. of persons per | Сћаг8е. | (10) | 96,613 | 74,725 | 54,771 | 70,656 26,447 67,211 | 91,541 | 124,821 13,429 128,796 99,119 | 80,190 | 222,302 14,110 130,578 6,169 5,552 102,479 | 64,671 | 100,676 12,244 45,410 100,373 |
| Ì | Houses. | (6) | 756,257 | 279,842 | 33,729 | 14,862 5,177 13,690 | 81,577 | 28,379 3,137 28,887 21,174 | 105.998 | 49,276 3,168 29,945 1,366 1,240 21,003 | 58,538 | 22,523 2,741 9,800 23,474 |
| Number of | Blocks. | (8) | 20,648 | 8,139 | 1,067 | 499 177 391 | 2,206 | 749 69 773 615 | 3,154 | 1,469 83 844 38 46 674 | 1,712 | 669 42 215 786 |
| ž | Circle. | (2) | 1,765 | 795 | 82 | 39 19 27 | 238 | 71 5 73 89 | 270 | 155 62 4 4 39 | 202 | 81 30 84 |
| ļ | Charges, | 9 | 37 | 17 | m | | 4 | | 9 | | 4 | |
| 150 | Population in 19 | (2) | 3,574,690 | 1,270,322 | 164,314 | 70.656 26,447 67,211 | 366,165 | 124.821 13,429 128,796 99,119 | 481,140 | 222,302 14,110 130,578 6,169 5,552 102,497 | 258,703 | 100,676 12,244 45,410 100,373 |
| '54 | Ares in Sq. Mile | € | 23,603.1 | 8,859.3 | 733.6 | 406'8 7'2 319'6 | 1,948 | 762 7 776 403 | 3,388.9 | 1,303:3 8:0 1,370:3 7:1 5:2 695:0 | 2,788·8 | 1,213.65 5.55 263.9 1,305.7 |
| | , | | | | | 111 | | 1111 | | 11111 | • | 1::: |
| | Name of Charge. | (3) | | . | | Tehsil Datia Town Datia Tehsil Seondha | | Tehsil Tikamgarh Town Tikamgarh Tehsil Jatara Tehsil Newari | | Tehsil Chhatarpur Town Chhatarpur Tehsil Bijawar Town Bijawar Town Nowgong | | Tehsil Panna Town Panna Tehsil Ajaigart Tehsil Pawai |
| | ric t. | | | | ŧ | | i | | i | | ŀ | |
| | Name of district. | (3) | | | Datia | | Tikamgarh | | Chhatarpur | | Panna | |
| | Name of Division. | (1) | Vindhya Pradesh | Bundelkhand | | - | | | | | | |

STATEMENT No. 8.

Showing the number and size of Census charges for the Districts in Vindhya Pradesh Census of 1951 .-- (Contd.)

| | No, of Circle. | (12) | 13 | 11 | 241112 | 12 | 11221 | 17 | 23 11 14 | 15 15 15 15 15 | <u>16</u> |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|--|-------------|--|---------|--|---|----------------------|
| Per Sq. Mile. | Houses. | (15)(16) | 32 | 4 | 331 331 359 36 36 36 46 | 25 | 1,276 59 51 43 | 22 | 29 14 20 | 25 31 88 11 101 20 | 20 |
| Per Mi | Blocks. | (15) | - | - | H4H8H4 | - | 72727 | - | | 2-2- | ٠, |
| | No. of houses per Block. | (12) (13) (14) | 38 | 38 | 68.64.88 88.88 | 37 | 88848 | 37 | 36 34 50 | 43 37 38 38 | |
| n pe | House. | (13 | 2 | 1 , | 214420 244420 | ທ | ν.4.ν.ν.ν. | 45 | NU NU N | ัณ พ.ศ.ก.ศาม | |
| Ders | Bjock | (12 | 281 | 174 | 176 301 164 214 214 156 | 179 | 174 239 201 164 171 | 192 | 176 187 282 | 208 208 155 152 167 195 | |
| No. of | Circle. | (11) | 2,376 | 1,877 | 1,879 1,346 1,821 2,349 1,797 2,113 | 2,178 | 1,980 2,693 2,656 2,020 2,091 | 3,270 | 4,032 2,066 4,025 | 2,700 3,075 2,322 2,224 2,314 | 4.143 |
| Average No. of person per | Charge. | (10) | 115,218 | 92,601 | 217,961 20,183 80,1 26 9,397 109,615 118,321 | 126,741 | 156.433 29,623 156,704 171,738 119,208 | 154,767 | 266,111 113,656 85,535 | 108,460 338,243 9,288 122,311 8,175 106,457 | 66,283 |
| J. | Houses. | 6) | 477,115 | 120,651 | 46,314 5,532 18,034 2,168 23,686 24,923 | 131,419 | 32,878 7,147 30,917 35,224 25,253 | 89,441 | 53,705 20,756 14,980 | 70,638 2,243 25,686 2,010 21,027 | 13,994 |
| Number of | Blocks. | (8) | 12,509 | 3,201 | 1,240 67 490 44 701 659 | 3,548 | 901 124 781 1,045 697 | 2,421 | 1,512 609 300 | 3,339 1,626 60 805 49 547 | 252 |
|] | Circle. | 3 | 970 | 296 | 116 15 44 44 61 61 56 | 2 91 | 79 59 85 57 | 142 | 55 21 | 241 110 4 55 10 46 | 16 |
| | Charges. | 9 | 20 | 9 | | Ŋ | ~~~~ | 3 | === | 11111 | - |
| .15 | Population in 19 | (5) | 2,304,368 | 555,603 | 217,961 20,183 80,126 9,397 109,615 118,321 | 633,706 | 156,433 29,623 156,704 171,738 | 464,302 | 266,111 113,656 84,535 | 338,243 9,288 122,311 8,175 106,457 | 66,283 |
| 's | Area in Sq. Mile | (4) | 14,743.8 | 2,739.9 | 1,255.7 16.7 398.9 13.6 665.5 389.5 | 2,513.0 | 701.6 5.6 525 .7 693.9 586. 2 | 4,071.8 | 1,838·8 1,479·2 753·8 | 5,419·1 2,255·9 25·6 1,382·9 20·0 1,051·0 | 683.7 |
| | မ် က | | | | ag : : : : : | | 11111 | | !!! | 11111 | मुं |
| | Name of Charge. | (3) | | | Tebsil Raghurajnagar Town Satna Tebsil Maihar Town Maihar Tehsil Nagod Tehsil Amarpatan | | Tehsil Hazur Town Rewa Tehsil Sirmour Tehsil Mauganj Tehsil Teonthar | | Tehsil Gopadbanas Tehsil Deosar Tehsil Singrauli | Tehsil Sohagpur Town Shahdol Tehsil Bandhogarh Town Umaria Tehsil Beohari | Tehsil Pushprajgarh, |
| | trict. | | | i | | · I | | ! | | I | |
| | Name of district. | (2) | | Satna | | Rewa | | Sidhi | ` | Shahdol | |
| | Name of Division. | (1) | Baghelkhand | | | | , | | | | |

[23] STATEMENT No. 9.

List of Railway Stations in each District and Tehsil in Vindhya Pradesh Census of 1951.

| Name of Distr | rict | Name of Tehsil | | | Name of R | Railway S | tation | | Remarks |
|---------------|------|------------------------------------|---------|--------|---|--|--|---|---------|
| (1) | | (2) | | | . (3 | 3) | | | (4). |
| Datia | •••• | Tehsil Datia | | **** | Datia Sonagir Kotara | ,, | y Station | | |
| Tikamgarh | | Tehsil Newari | | ••• | Orchha Newari Teharka | " " " | " " " | | |
| Chhatarpur | ***1 | Tehsil Chhatarpur | | •••• | Harpalpur | n | 17 | | |
| Panna | ,,,, | There is no Railway this District. | Station | in | | | | | |
| Satna | •••• | Fehsil Raghurajnagar | | •••• | Satna Jaitwara Majhgawan Chitahara | 11 11 11 | 1) 49 2) | | |
| | | Tehsil Maihar | | | Jhukehi Amdara Bhadanpur Maihar | 1) 2) 2) | 17 2) 21 21 | , | ٠, |
| | | Tehsil Nagod | | | Unchehra Lagargawan | n n | 1) 1) | | |
| Rewa | **** | Tehsil Teonthar | | **** | Dabhaura | " | n | | |
| Sidhi | •••• | There is no Railway this District. | Station | in | | | | | |
| Shabdol | | Tehsil Sohagpur | | •••• | Ghunghuti Shahdol Burhar Annuppur Jaitahari Venkat Nagar Birsingpur Dhurwasin Kotma Bijuri | 70 27 21 22 22 22 23 24 24 | 21 21 23 23 21 22 21 22 23 | | |
| | | Tehsil Bandhogarh | | *** | Chandia Umaria Karkeli Naurozabad | 1> 14 21 | 35) 75, 79 42 | | |

There are 32 Railway Stations in Vindhya Pradesh, 7 Railway Stations are in Bundelkhand Division and 25 Railway Stations are in Baghelkhand Division.

STATEMENT No. 10.

Office Staff Actually Engaged During 1950-51 in Vindhya Pradesh Census of 1951.

| | ĺ | | | | | Total | Total Number During | uring | ļ | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|------------|---|-----------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | April 50 | 1 May 50 | June 50 | July 50 | August 30 | September 50 | August September October November December January February 50 50 50 51 51 | November 50 | December 50 | January 51 | February 51 | March 51 | Remarks |
| 1 In Superintendent Census Office Rewa | 115 6 | 10 | 12 | 21 | 18 | 16 | 14 | 17 | 18 | 20 | 28 | 51 | |
| U. D. C. 75 + 33 | 1 | 2 | 7 | Ŋ | ú | 7 | N | m | 83 | 4 | 4 | ∞ | |
| L. D. C. 45 + 33 | 2 | 8 | 6 | ю | מע | က | 8 | ಣ | 4 | ın | œ | 16 | |
| V. C. Clerk 25 + 21 | 1 | i | 8 | | က | ы | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | |
| Menial Staff including Pankha Pullers from April to October 15+21 D. A | ; ; | Ŋ | ις | ~ ິ ເ | к | ∞ | 1 | 9 | ~ | ~ | 6 | 17 | |
| II In 8 District Ceusus Offices in each*. | i | • | 1 | i | i | | 1 | 1 | _ | 1 | - | | From 25-9-50 to 24-3-1951. |
| III In 26 Tehsils in eacht | • | i | : | i | ! | 1 | - | | - | - | - | - | From 15-10-50 to 14-3-1951. |
| IV In Municipal Town | Rs. 10 or | | allowance | e was sa | Rs. 5 allowance was sanctioned for each Municipal Town from 1-10-50 to 31-3-51 per month. | or each M | funicipal 1 | Cown from | 1-10-50 to | 31-3-51 р | er month. | | |
| Datia | : | | į | | • | į | 10 P. M. | 10 P. M. 10 P. M. | 10 P. M. | 10 P. M. | 10 P. M. | 10 P. M. | |
| 1 ikamgarh | : | į | ; | ; | : | ! | í | \$ | • | 2 | ţ | • | |
| Chinatarpur Disense | : | : | : | : | : | : | ť. | : | : | 2 | ç | í | |
| Nowas | : | : | : | ŧ | : | : | • | : | : | : | : | • | |
| Panna | • | : | : | : | : | : | • | : | : | | • | • | |
| Satna | | : | i | į - | ! | ! | : | • | • | : | • | : | |
| • | : . | : : | 1 : | : : | : : | Į | 5 P. M. | | 5 P. M. | 5 P. M. | 5 P. M. | ÷ρ | |
| Rewa | : | : | : | : | : | | 10 P. M. | 10 P. M. | | 10 P. M. | 10 P. M. | 10 P. M. | |
| lobhang | : | ! | i | : | : | i | • | | | : | : | â | |
| Omaria | : | : | : | ; | : | i | | • | • | ï | | : | |
| | | | | | | , | - | | | | | | |

*Rs. 10 allowance was sanctioned for each district office per month from 25-9-50 to 24-3-51 or only for 6 months.

[†]Rs. 40 allowance was sanctioned for each Tehsil Office per month from 15-10-50 to 14-3-1951 or only for 5 months.

[25]
STATEMENT No. 11. Form G. F. R. 7.

Account of Expenditure of Census Operations, Vindhya Pradesh, Rewa, for the Year 1950-51.

Demand No. 61-Major Head 47 Miscellaneous Department Census.

| | Head of Items | | Grai Sanctio | | Gra Distril | | d | Tota Prev Mo | riou | S | Expend During Mor | g tl | e | Total Expendit | ure | Balar | ıce | Remark |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|----------------|----|----|--------------------|------|----|-------------------------|------|-----|-------------------|------|-------|--------------|--------|
| | | • | Vote | ed | Voi | ed | • | Vo | ted | | Vot | ed | | Voted | | | | |
| | (1) | | (2) | | (3 |) | | (4 |) | | (5 |) | | (6) | | (7) | | (8) |
| | - | | Rs. | a. p. | Rs. | a, | p. | Rs. | a. | р. | Rs. | a, | p. | Rs. a | . р. | Rs. | a , g |), |
| A. | Superintendence | **** | 27,400 | 0 0 | ••• | | | | - | | ••• | • | | **** | | *** | | |
| A-1. | Pay of Officers . | | **** | | 4,800 | 0 | 0 | 4,08 5 | 13 | 0 | 700 | 0 | 0 | 4,785 13 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| A-2. | Pay of Establish- ment | •••• | **** | | 5,800 | 0 | 0 | 4,277 | 6 | 6 | 833 | 7 | 0 | 5,110 13 | 6 | 689 | 2 | 6 |
| A-3. | Allowance Honar- aria etc. | •••• | 1100 | | 6,700 | 0 | 0 | 4,208 | 5 | 6 | 1,547 | 0 | 0 | 5,75 5 5 | 6 | 944 | 10 | 6 |
| A-4. | Other Charges | •••• | 1110 | | 10,100 | 0 | 0 | 6,591 | 11 | 9 | 940 | 9 | 9 | 7,532 5 | 6 | 2,567 | 10 | 6 |
| Total | A Superintendence | •••• | *111 | | 27.400 | 0 | 0 | 19,163 | 4 | 9 | 4,021 | 0 | 9 | 23,184 5 | 6 | 4,215 | 10 | 6 |
| в. | Enumeration | •••• | 24,300 | 0 0 | ••• | | | ,, | •• | | ••• | | | *** | | 1000 | | |
| B -2 . | Pay of Establish- ment | ••••• | •••• | | 4,800 | 0 | 0 | 1,681 | 1 | 9 | 873 | 13 | 0 | 2,57 ‡ 14 | 9 | 2,225 | 1 | 3 |
| B -3 . | Allowances Honoraria etc. | | *** | | 2,50 0 | 0 | 0 | 2,083 | 1 | 3 | 1,960 | 0 | 6 | 4,043 1 | 9 | 1,543 | 1 | 9 |
| B-4. | Other Charges | **** | 1111 | | 17,000 | 0 | 0 | 3,879 | 1 | 3 | 8,794 | 14 | 3 | 12,673 15 | 6 | 4,326 | 0 (| 5 |
| Total | B. Enumeration | | | | 24,300 | 0 | 0 | 7,643 | 4 | ã | 11,648 | 11 | 9 | 19,292 0 | 0 | 5,008 | 0 | 0 |
| | Grand Total | | 51,700 | 0 0 | 51, 700 | 0 | 0 | 26,806 | 9 | 0 | 15,669 |) 12 | 2 6 | 42,476 5 | 6 | 9,223 | 10 | 6 |



[26]
 List of Persons who have been given President's 1951 Census Silver Medal for Excellent work done During Enumeration.

| S. No. | | Name | | Designation | | What | Census | work was Entrusted |
|------------|------|--|------|---------------------------------------|------|----------|----------|------------------------------------|
| 1 | Shri | R. N. Mishra, M. A., LL. B. | | Additional District Magistra | ate | District | Census | Officer Datia |
| 2 | ,, | Chandra Pal Singh, B. Com., LL. B. | **** | ,, | | ٠, | 11 | " Tikamgarh |
| 3 | ** | Harnam Singh, B. A., LL. B | •••• | 13 | | ,, | ,, | " Chhatarpur |
| 4 | n | Kanhaiya Lal Agarwal, B.Com., LL. I | В. | 33 | | " | ** | " Panna |
| 5 | ,. | B. P. Shukla, B. A., LL, B. | •••• | P | | ,, | ,, | " Satna |
| 6 | ,, | Mahendra Pratap Singh, M.A., LL. B. | •••• | j) | | ,,, | ,, | "Rewa |
| 7 | ,1 | Kripa Shanker, B. A., LL. B. | | " | | p | n | " Sidhi |
| 8 | ,, | Venkatesh Acharya, B. A., LL. B. | •••• | v | | ,, | ,, | " Shadol |
| 9 | ,, | Shive Shanker, M. A, LL. B. | | Tehsildar | *** | Charge | Supdt. | Census |
| 10 | ,, | Bhairon Prasad Saxsena | •••• | Secretary Municipal Board | **** | ,, | ** | Tehsil Tikamgarh Town Tikamgarh |
| 11 | ٠, | Sada Shive Narain, M. A. | ••• | Tehsildar | | n | ,, | Tehsil Newari |
| 12 | 17 | Vasdeo Rao | **** | Secretary Municipal Board | •••• | ,, | ,, | Town Chhatarpur |
| 13 | 11 | Shushil Chandra Misra, M. A. | •••• | Tehsildar | •••• | ,, | 11 | Tehsil Bijawar |
| 14 | " | Babu Lal Kharey | •••• | Secretary Municipal Board | | ,, | ,, | Town Bijawer |
| 15 | ,, | Bhagwan Dass | •••• | Secretary Municipal Board | •••• | " | " | Town Nowgong |
| 16 | ,, | Prabhat Singh, B. A | **** | Tehsildar | **** | ,, | ,, | Tehsil Panna |
| 17 | ., | Laxmi Prasad Kharey | •••• | Secretary Municipal Board | | ., | ,, | Town Panna |
| 18 | ,, | Kailash Chandra, B. Sc., LL, B. | | Tehsildar | , | 2) | ., | Tehsil Ajaigarh |
| 19 | 11 | G. D. Gore, B. A., LL. B | •••• | Tehsildar | **** | ,. | n | Tehsil Pawai |
| 20 | ,, | Dr. L. P. Kharey | | Secretary Municipal Board | •••• | ,, | ,, | Town Satna |
| 21 | ,, | Chandrama Prasad Srivastava, B. LL. B. | A., | Tehsildar | **** | " | 11 | Tehsil Maihar |
| 22 | 1) | Janki Prasad | Him | Secretary Municipal Board | •••• | ,, | ,, | Town Maihar |
| 23 | | Mohan Swaroop Mathur, B. A., LL. E | 3. | Tehsildar | **** | ,,, | ,, | Tehsil Nagod |
| 24 | n | Vishnu Pratap Singh, B. A. LL. B. | •••• | Tebsildar | **** | * | " | Hazur Tehsil Rewa |
| 25 | ,, | Bhagwan Prasad Sharma, B. A., | **** | Secretary Municipal Board | •••• | -22 | ,,, | Town Rewa |
| 26 | " | Lal Akhand Pratap Singh, B. A., LL. | В, | Tehsildar | **** | ,, | 17 | Tehsil Mauganj |
| 27 | " | Deoraj Srivastava, B. A., LL. B. | *** | n | •••• | ,, | ** | Tebsil Teonthar |
| 28 | Sri | Gopal Narain, B. A | •••• | 11 | •••• | ,, | ,, | Tehsil Gopad Banas |
| 29 | " | Shrutwant Singh | •••• | . 29 | •••• | ,, | 13 | Tehsil Deosar |
| 30 | 11 | M. P. Ratauri | | 11 | **** | 3. | ,, | Tehsil Singrauli |
| 31 | ,, | Alopi Prasad Shukla, B. A. | **** | 19 | •••• | 21 | ,, | Tebsil Sohagpur |
| 3 2 | ,, | Awadesh Kumar Khare | •••• | Secretary Municipal Board | **** | ,, | 1, | Town Shahdol |
| 3 3 | ,, | Deep Narain Pathak, B. A., LL. B., | •••• | Chairman Municipal Board | **** | ** | ,, | Town Umaria |
| 34 | n | Shive Kumar Sharma, B. A. | •••• | Tehsildar | **** | n | ,, | Tehsil Beohari |
| 35 | " | Seeta Ram Gupta | •••• | Superintendent Medical Of | fice | Supervi | sor in R | |
| 36 | ,, | Rama Kant, B. A., LL. B. Vakil | •••• | Vakil | **** | Supervi | sor in S | atn a Town |
| | | | _ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

List of the Persons who have been given President's 1951 Census Bronze Medals for good work during enumeration

| S. No | | Name. | | Designation. | | What Census work was entrusted. |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|------|---|-------------------|--|
| 1 | Shri | Shri Kumar Srivastava | | Tehsildar | | Superintendent Census Tehsil, Datia. |
| 2 3 | " | Chhatar Bhuj M. B. Nomanı | •••• | Secretary Municipal Board Tehsildar | | Superintendent Census Town Datia. Superintendent Census Tehsil Seondha. |
| 4 | ; ; ;; | Janki Prasad | •••• | Accountant Municipal Board. | Supervis | or in Tikamgarh Tehsil. |
| 5 | " | Bhadra Gupta Agarwal | •••• | Local Clerk Agricultural | | ator in Tikamgarh Tehsil. sor in Tikamgarh Town. |
| 6 7 | ** | Ram Krishna Deo Laxmi Prasad Gupta | | Tehsildar | | Superintendent in Jatara Tehsil. |
| 8 | " | M. K. Mitra, B. Com. | | Shahdol School Head Master | Supervis | sor Shahdol Town. |
| 9 | 11 | Ganesh Prasad | **** | Naib Registrar | | sor in Newari Tehsil. |
| 10 11 | 23 | Sheetal Prasad Beni Singh | **** | Kanungo Kanungo | | sor in Newari Tehsil. sor in Newari Tehsil. |
| 12 | " | Har Narain | •••• | Naib Tehsildar | Supervis | or in Chhattarpur Tehsil. |
| 13 | ,, | Madan Singh Pancholi | •••• | Tehsildar | Charge S Tehsi | Superintendent Census in Chhatarpur |
| 14 | 79 | Gopal Prasad | | Patwari Maharajganj | | sor Census in Bijawar Tehsil. |
| 15 | " | Pancham Singh | •••• | Patwari Dargawan | | sor in Census Bijawar Tehsil. |
| 16 17 | " | Moti Lal H. C. Diwan | •••• | Patwari Baragaon Overseer P. W. D | | ator Census Bijawar Tehsil. for in Bijawar Town. |
| 18 | " | Jiwan Prasad | | Tehsildar | | Superintendent Census in Laundi. |
| 19 | " | Govind Prasad Chhihulia | ••• | Kanungoo | | or in Laundi Tehsil. |
| 20 21 | " | Sita Ram Shiwpujan Singh | | Clerk, Sale Tax Office | | itor in Nowgong Town. For in Panna Tehsil. |
| 22`` | " | Yaswant Singh | | Naib Tehsildar Devendranaga | | sor in Panna Tehsil. |
| 23 | ,. | Laxmi Prasad | **** | Teacher High School | | ator in Panna Town. |
| 24 25 | " | R. L. Gupta Ram Gulam | 1449 | Naib Tehsildar Kanungo | | ator in Ajaigarh Town. responsibility. |
| 26 | " | Jamuna Prasad | •••• | Kanungo | Centre C | Officer. |
| 27 | " | Sher Singh | •••• | Tehsildar | Charge S | Superintendent in Raghuraj Nagar Tehsil. |
| 28 29 | ,. | Shankar Dutt Bhagwat Prasad | | Patwari Bagaha Patwari Atarhar | | or in Raghuraj Nagar Tehsil. or in Raghuraj Nagar Tehsil. |
| 30 | " | Ram Lakhan | | Local Man | Enumera | itor in Raghuraj Nagar Tehsil. |
| 31 | •, | Chhail Bihari | **** | Teacher H. S Naib Tehsildar | | itor in Satna Town. |
| 32 3 3 | " | Ram Sewak Khare B. L. Pandey | **** | Teacher | | Inspection in Maihar Tehsil. ator in Maihar Town. |
| 34 | " | Brijnandan Singh | •••• | Kanungo | | re in Nagod Tehsil. |
| 3 5 | " | Ram Kripal Kunj Behari Lall | **** | Kanungo Tehsildar | I/C Cent | tre in Nagod Tehsil. Superintendent in Amarpatan Tehsil. |
| 36 37 | " | Pandit Ram Nath Kaul | | Head Master Ram Nagar | | or in Amarpatan Tehsil. |
| 38 | ,, | Hanu Man Singh | | Patwari Huzur Tehsil | Supervis | or in Hazur Tehsil. |
| 39 4 0 | *1 | Sar Nam Singh Jan Mohammad | **** | Patwari Huzur Tehsil Patwari Huzur Tehsil | | sor in Hazur Tehsil. sor in Huzur Tehsil. |
| 41 | ,, | Angad Prasad | **** | Clerk Ayurvedic Department | | stor in Rewa Town. |
| 42 | * | Shankar Dutt | **** | Local Man | | ator in Rewa Town. |
| 43 44 | <i>)</i> } | Gaya Prasad Gopi Nath | •••• | Local Man Teacher School Tera | | ator in Mauganj Tehsil. ator in Mauganj Tehsil. |
| 45 | 21 | Jagdish Prasad | **** | Teacher School Hanumana | Enumera | itor in Maugani Tehsil. |
| 46 | ,, | Shiv Bhan Prasad | **** | Tehsildar | Charge S | Superintendent in Sirmour Tehsil. |
| 47 48 | " | Kaushlesh Singh Dwarika Prasad | **** | Tehsil Staff Tehsil Staff | | or in Sirmour Tehsil. or in Sirmour Tehsil. |
| 49 | " | Ram Kripal | | Local Man | | or in Teonthar Tehsil. |
| 50 | ,, | Ram Sajiwan | •••• | Local Man | | or in Teonthar Tehsil |
| 51 52 | " | Rama Kant Saran Mahabir Prasad | **** | Registrar Kanungo Patwari | | Inspection in Gopad Banas. or in Gopad Banas. |
| 53 | ,, ,, | Ram Pal Singh | **** | Patwari | Supervis | or in Gopad Banas. |
| 54 55 | ** | Mithili Sharan | •••• | Patwari | | or in Gopad Banas. |
| 55 56 | " | Tirath Prasad | •••• | Local Man | | or in Gopad Banas. or in Deosar Tehsil. |
| 57 | " | Lal Man Singh | •••• | Local Man | Supervis | or in Deosar Tehsil. |
| 58 59 | " | Vishwa Nath Singh | •••• | Registrar | | llerk Singrauli Tehsil. |
| 60 | 17 | Keshoe Prasad Nageshwar Prasad | **** | Patwari Patwari | | or in Sohagpur Tehsil. or in Sohagpur Tehsil. |
| δĭ | " | Ram Ashray Lal | **** | Local Man | Superviso | or in Sohagpur Tehsil. |
| 62 | ,, | Ram Singh | | Local Man | Superviso | or in Sohagpur Tehsil. |
| 63 64 | " | Narbada Singh Mahip Singh | **** | Local Man Local Man | | or in Sohagpur Tehsil. or in Sohagpur Tehsil. |
| 65 | " | A. L. Narain Rao | •••• | Local Man | Superviso | or in Shahdol Town. |
| 66 67 | ** | Shive Narain Lall | **** | Tehsildar | Charge S | uperintendent Tehsil Bandhogarh. |
| 67 6 8 | " | Ram Dass Diwedi Rahmat Ullakhan | **** | Local Man Chandia Jangal Chauki | | or in Bandhogarh Tehsil. Or in Beohari Tehsil. |
| 69 | " | Ram Promad Tripathi | •••• | Head Master Pondi | Superviso | or in Beohari Tehsil. |
| <i>7</i> 0 7 1 | * | Ramanuj Pratap Singh | •••• | Tehsildar Ilmania | harge St | sperintendent Tehsil Pushprajgarh. |
| | ** | Ram Gopal Ji Sharma | **** | Secy. Municipal Board Umaria Town. | ssistant | Charge Supdt. in Umaria Town. |
| 72 | " | Babu Lal | **** | Clerk Municipal Board | uperviso | r in Chhatarpur Town |

APPENDIX B.

Important Orders Issued by the Vindhya Pradesh Government

| Serial No. | Substances | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Vindhya Pradesh Government Order No. 29 of 28th July, 1950 regarding the appointment of District Census Officers. | | | | | |
| 2 | Government India's Order No. 2/19/50 of 17th August, 1950 regarding the appointment of Superintendent of Census. | | | | | |
| 3 | Vindhya Pradesh Government Order No. 20 of 6-2-1951 about no transfers between 9th February, 1951 to middle of March, 1951 and other kinds of co-operations of all Government Departments during Census enumeration period. | | | | | |
| 4 | Government order sanctioning the schedule castes and schedule tribes. | | | | | |

CHIEF COMMISSIONER'S SECRETARIAT, VINDHYA PRADESH.

(Sale Tax Excise and Census)

ORDER No. 29

Dated Rewa V. P. the 28th July, 1950.
In pursuance of Section 4 (3) of the Census Act 1948 as modified under the Government of India Ministry of Home Affairs Notification No. 2/26/49 (II)—Public dated the 12th January 1, 1950 the Chief Commissioner Vindhya Pradesh is pleased to authorise the District Census Officers in Vindhya Pradesh to issue the appointment orders of Supervisors and Enumerators within their districts during the Census of 1951.

By Order.

(Sd.) N. K. DUBE. Secretary to Chief Commissioner Vindhya Pradesh, Rewa.

No. 1642-43 XIII 12 Misc./50 Dated 28th July, 1950.

- (1) Copy to Commissioner Census V. P. (with 8 extra copies).
- (2) Copy to Deputy Secretary G. A. D. V. P., Rewa in triplicate for publication in the Official Gazette.

(Sd.) N. K. DUBE, Secretary to Chief Commissioner Vindhya Pradesh, Rewa.

No. 2/19/50-Public.

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS.

New Delhi (2), the 17th August, 1950. NOTIFICATION.

Shri N. K. Dube is appointed Superintendent of Census Operations, Vindhya Pradesh, in addition to his duties as Sales Tax and Excise Commissioner, Vindhya Pradesh, with effect from the fore-noon of the 24th Junuary, 1950.

(Sd.) FATEH SINGH, Deputy Secretary to the Government of India. No. 2/19/50-Public. New Delhi-2 the 17th August, 1950.

Copy forwarded for information to:-

- 1. Chief Commissioner Vindhya Pradesh, Rewa.
- 2. Registrar General India.
- 3. Accountant General Central Revenues, New Delhi.
- Shri N. K. Dube, Superintendent of Census Operations, Vindhya Pradesh, Rewa.
- 5. Ministry of States.

By Order etc.
(Sd.) A. V. RAMAN,
Under Secretary to the Government
of India,

No. F/16/507/Cen/50 Dated 24th August, 1950.

- 1. Copy forwarded to Deputy Secretary G. A. D. for information and record in the personal services record of the undersigned.
- 2. Copy forwarded to Account Officer, V. P. for information and record in the personal services record of the undersigned.
- 3. Copy forwarded to Accuntant Census for information.
- 4. Copy to Secretary, Sale Tax and Excise V. P., Rewa.

(Sd.) N. K DUBE, Superintendent of Census, Rewa.

CHIEF COMMISSIONER'S SECRETARIAT, VINDHYA PRADESH.

(General Administration Department.)

ORDER No. 20.

Dated Rewa the 6th February, 1951.

As the Final Census enumeration work is to be done from 9th February to 28th February, it has been decided that:—

(a) No transfer should be ordered in any, department till the middle of March 1951, without the concurrence of District Census Officer.

- (b) Any employee who has been transferred in any department should not be allowed to proceed on transfer till March 15, 1951, unless he is permitted by the Charge Superintendent or the District Census Officer.
- (c) Subordinate Officers in the Revenue
 Department who are responsible for
 the Census work should not be called
 away from their jurisdiction between
 February 1, 1951 to March 15, 1951,
 without the permission of District
 Census Officer.
- (d) In Rewa, Datia and other twons, clerks of offices who have been enrolled as Supervisors and Enumerators may be given leave on the 1st, 2nd and 3rd March, 1951, for final checking and they should be allowed leave upto 1 P. M. for 4 or 5 days from the 9th February, for enumeration work if so desired in writing by the City, Charge, Superintendents or by themselves.
- (e) District Census Officers and the Charge Superintendent of the Tehsils should tour intensively in their jurisdictions to see that the enumeration from the 9th to 28th February, 1951 is carried on correctly and properly.

By Order.

(Sd.) M. K. Kher, Chief Secretary to the Chief Commissioner.

No. 2231-I/F. 353-50.

Dated Rewa the 6th February, 1951. Copy to:—

- (1) All Departments of the Secretariat.
- (2) All Heads of Departments.
- (3) Registrar, Judicial Commissioner's Court.
- (4) All Deputy Commissioners.
- (5) Superintendent, Census Operations V. P., Rewa with reference to his letter No. 1848/Cen/51 dated February 1, 1951,

(Sd.) S. N. SRIVASTAVA, for Deputy Secretary to the Chief Commissioner.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ACT. 1951

(XXVII OF 1951)

AN

ACT.

Further to amend the Representation of the People Act, 1950 be it enacted by Parliament as following:—

- 1. Short Titles:—This act may be called the Representation of the People (Amendment) Act, 1951.
- Insertion of new Section 3A in Act XLIII of 1950:—After section of the Representation of the People Act, 1950 (hereinafter referred to as the Principal Act) the following Section shall be inserted, namely.
 - "3A Reservation of seats in the House of the People for Schedules Castes and Schedules tribes in certain Part C State (1) of the seats in the House of the People allotted under Section 3 to each of the states of Delhi, Himalchal-Pradesh, and Vindhya Pradesh, one shall be reserved for the Schedule castes; and of the seats so allotted to each of the states of Manipur and Vindhya Pradesh one shall be reserved for the schedule tribes.
 - (2) F or the purposes of this Act, the cases specified in the Sixth Schedule shall be the schedule castes in relation to the Part C State under which they are so specified, and the tribes specified in the seventh schedule shall be the schedule tribes in relation to the Part C States under which they are so specified".
- Addition of Sixth and Seventh Schedules to Act XLIII of 1950:—
 - After the Fifth Schedule to the Principal Act, the following schedule shall be inserted, namely:—

"SIXTH SCHEDULE"

(See Section 3A (2))

(Schedule Castes in certain Part C States)

VINDHYA PRADESH.

- 1. Basor (Bansphor).
- 2. Chamar.

| | | | ٠, ٠ | | | | | |
|------------------|--|------|-----------|-----------------------|---|---------------|-----------------|--|
| 3. | Dahait. | | | 7. | Majhi. | | | |
| 4. | Dharkar. | | | . 8. | Mawasi | | | |
| 5. | Dher. | | | 9. | Panika. | | • | |
| 6. | Dom. | | | 10. | Pao " | | _ | |
| 7. | Domar or Doris. | | | Th | The bill has been passed by Parliament. | | | |
| 8. | Kuchbandhia. | | , | | Dated the | | | |
| 9. | Mehtar or Bhangi or l | Dhar | nuk. | | | | Speakar. | |
| 10. | Mochi. | | | I assent to this bill | | | | |
| | "SEVENTH SCHEDULE" | | Dated | Dated the | | | | |
| | (See Section 3 A | (2) |) | | | | President. | |
| Sch | Schedule Tribes in Certain Part C States). | | | | No. 10006-I/F. 618/50, | | | |
| VINDHYA PRADESH, | | | | Dated 6th July, 1951. | | | | |
| , | _ | | | Сору | forwarded to: | ; | | |
| 1. | Agariya. | | | 1. | All Departm | ents of the | Secretariat. | |
| 2. | Baiga. | | | 2. | • | | hand, Nowgong. | |
| 3. | Bhumiya. | | | 3. | | | khand Rewa, for | |
| 4. | Gond. | | | • | | ion and gui | | |
| 5, | Kamar. | | | | • (3 | Sd.) GAY | A PRASAD, | |
| 6, | Khairwar. | | | | * | for D. | S. C.O.A.D. | |
| | By a subsequent order s llowing fourteen castes | | | | | | | |
| | l. Agariya | 5. | Kamar. | 9. | Panika. | 13 | Biar (Biyar). | |
| ; | 2. Baiga | 6. | Khairwar. | 10. | Pao. | 14 | Sonr. | |
| | 3 Phymius | 7 | Monihi | 11 | Drii | | | |

12. Bedia.

8. Mawasi.

4. Gond.

[32]

APPENDIX C.

Forms and Instruction.

- 1 Pamphlet No. 1 (1) Preparation of General Village Register).
- 2 Pamphlet No. 2 (Instructions for numbering the houses).
- 3 Pamphlet No. 3 (Instruction for preparing of Charge Register).
- 4 Pamphlet No. 4 (General Census Arrangements)
- 5 Pamphlet No. 5 (Instruction to Enumerators).
- 6 Pamphlet No. 5A (Supplementary Instructions to Enumerators).
- 7 Pamphlet No. 6 (Instructions for writing the National Citizen Register).
- 8 Instructions for the Census of small scale Industries
- 9 House list forms.
- 10 Charge Register Forms,
- 11 National Citizen Register Forms.
- 12 Appointment form of Supervisors and Enumerators.
- 13 Circle Summary Form.
- 14 Charge Summary Form
- 15 Fortnightly Report Form.
- 16 Hon. Home Minister's Message.
- 17 Small Scale Industry Census Slip.
- 18 General Village Register Form.
- 19 Fortnightly Progress report of House numbering and training of the Census Staff Forms.
- 20 Fortnightly Progress of House numbering and training of the Census Staff Forms.
- 21 Certificate of Enumerator Form.
- 22 Certificates of Supervisors Form.
- 23 Chart showing contraction for writing the Enumeration Pads.
- 24 Important events in Vindhya Pradesh during the last 100 years.

हिदायत नं० १ वास्ते तय्यारी रजिस्टर मवाजियात

- फिलहाल खानापुरी खाना नं० १ से खाना नं १० तक की जाय ।
- २ खाना नं ३ श्रीर ४ में मकानात स्नास गांव के व टोला, खेरा, पुरवा व मजरा के अपलाहिदा आलाहिदा नीचे लिखे अनुसार लिखे जांय:—

| क्रमाङ्क | नाम गांव | नाम गांव व खेरा, टोला व मजरा जो व ऋन्तर्गत हैं। | | घरों की श्राबाद | संस्वय खाली |
|----------|----------|---|------|--------------------|------------------|
| 8 | ₹ | 3 | · | 8 | ų |
| ٤ | धरमपुर | धरमपुर खास | | ५० | - |
| | | टोबा | | | |
| | | (क) कुनबिन टोला | ,,,, | १० | २ |
| | | (ख) पुरनवाडीह | | १२ | Ę |
| | , | (ग) तेलियाना | | ं २ | 0 |
| • | | मीजान गाँव व टोला | | ७४ | १६ |
| ₹ | शंकरपुर | शंकरपुर | | ⊏ 0 | ı y |
| | - | कोई टोला नहीं | 1 | | , |

- ३ खाना नं० ४ व ५ में घरों की संख्या (लगभग) लिखी जावे।
- 8 एक फार्म में एक तरफ कम से कम २५ लकीरें लिखी जानी चाहिये। अगर छुपे फार्म कम पहें तो सादे ताव छुपे फार्मों के बीच-बीच में लगा लिये जावें ताकि छुपे फार्मों की पेशानी से काम चल जावे।
- 4.—गत मनुष्य-गणाना के अनुसार ४० से ६० वरों का एक ब्लाक व १० से २० ब्लाकों का एक सर्किल बनाया जाना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ गिन्ती करने की सहूलियत व पर्याप्त संख्या में एन्यूमरेटर मिलने की सम्मावना पर भी ध्यान रखना आवश्यक है।
- ६—सुपरवाइजर, जहां तक सम्भव हो, सर्किल में रहने या काम करनेवाले प्रतिष्ठित सज्जन या सरकारी मुलाजिम बनाये जाने चाहिये।
- ७—इसकी एक नकल तहसील दफ्तर में रक्खी जाने व दूसरी सेन्सस दफ्तर, रीवा को २५ फरवरी, ५० तक भेजी जाने।
- रू—तहसील (दफ्तर कानूनगोई) के जनरल रिजस्टर से मिलान कर लिया जाना चाहिए कि कोई मौजा या टोका छूट न जावे।

१८५१ की मनुष्य गराना के लिये विन्ध्य प्रदेश में

मकानों पर नंबर डालने की हिदायत

सेन्सस कमिश्नर विन्ध्य प्रदेश रीवा की आज्ञा से मुद्रित

हिदायत नं० २

मनुष्यगणना १६५१

हिदायत नं० २ दिन। इह १-४-५० [डिस्ट्रिक्ट सेन्सस अफसर, चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट व सुपरवाइजरान के लिये]

(१) भारतीय सेन्सस ऐक्ट १८४ - के
श्रनुसार सेन्सस सम्बन्धी काम के
श्रीहदेदारान व हल्काबन्दी
(२) मकानों पर नम्बर लिखा जाना व
तस्यारी फेहरिस्त मकानात HouseList

(३) अन्य आवश्यक सूचना

१-बरएक जिले के डिप्टी कमिश्नर उस जिले के लिये डिस्ट्रिक्ट सेन्सस आफीसर हैं।

२ — जिले को सेन्सस के काम के लिये कई ''चार्ज'' में बांटा गया है।

हरएक तहसील व शहर जिनकी फेहरिस्त डिरिट्रक्ट सेन्सस श्राफीसर के पास पहले ही भेजी जा चुकी है एक-एक श्रलहिदा चार्ज बनाये गये हैं। हरएक "चार्ज" की निगरानी व जिम्मेदारी एक एक चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट पर रक्खी गई है। तहसीलदार सा० व सेक्नेटरी म्युनिसपल बोर्ड को चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर किये जाने की कार्रवाई मुताबिक सिफारिश डिप्टी कमिश्नर सा० जिला की जा रही है।

३-हरएक 'चार्ज' के अन्दर जरूरी संख्या में सरिकल कायम किये जार्वे सहूलियत के अनुमार ५०० से

१००० मकान का एक सरकिल कायम किया जानाः चाहिये। हरएक सरिकल के काम को समय से पूरा कराने के लिये उस सरिकत से सम्बन्ध रखने-व।ले जहाँ तक सम्भव हो मोहकमा माल से सम्ब-न्धित सरकारी मुलाजिम यानी पटवारी, सुपरवाइ-जर मुकर्र किये जावें, बड़े २ भौजे के या कई छोटे छोटे मीजे या एक मोहल्ला या वार्ड का एक सरकिल कायम करना चाहिये । लेकिन एक मौजा या उसके मजरे दो सरिक लों में न शामिल किया जाना चाहिये । चार्ज के धन्दर जितने सरकिल ही उनके लिये नम्बर सिलिसला चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को कायम कर देना चाहिये। तहसील या शहर के नकशे के मदद से साकिल और उनके नम्बर सिलसिला मुकर्र किया जाना चाहिये, उत्तर परिचम के कोने से सरकिली का नम्बर कायम किया जाना चाहिये।

- 8—हरएक सरिकल आवर्यक संख्या ब्लाक में बांटा जाना चाहिये, सहूलियत के अनुसार ४० से १०० घरों तक का एक ब्लाक बनाना चाहिये, सरिकल सुपरवाइजर को ब्लाकों का सिलसिलेवार नम्बर कायम कर देना चाहिये।
- ५-हरएक शुमार कुनिन्दा को मालूम रहना चाहिये कि उनके ब्लाक का कौन सा नम्बर है और यह कि उनका ब्लाक किस नम्बर के सरकिल व किस नम्बर के चार्ज के अन्दर है। गिन्ती करनेवाली स्लिपों (पुर्जी अथवा चुरकों) पर जिला का

नम्बर छुपा रहेगा। शुमार कुनिन्दा को चार्ज नम्बर, सरकिल नम्बर, न्लाक नं लिखना पंडेगा इसलिये इन नम्बरों की जानकारी शुमार कुनिन्दा व सुपरवाइजरान के लिये जरूरी है।

मकानों पर नम्बर लिखे जाने की हिंदायत

- ६ -- मकानों पर नम्बर डालने का काम जरूद शुक्त कर देना चाहिये।
- ७-घरों के एक समूह में एक ही सिलसिले में नम्बर रहना चाहिये यानी अगर एक टोला या गांव में ३००घर हैं तो घरों का नम्बर १ से ३०० तक डाला जावै।
- १-गिन्ती करने के लिये शुमार कुनिन्दा को निगगनी व सङ्कलियत के स्याल से लगभग ५० घर रक्खे जावें व हरएक शुमार कुनिन्दा को बहुत साफ २ समस्ता दिया जावे कि किस नम्बर के मकान से किस नं० के मकान तक किस शुमार कुनिन्दा की जिम्मेदारी गिन्ती करने की रहेगी।
- १० सुपरवाइजर को श्रपनी निगरानी में शुमार कुनिन्दा को अपने साथ लेकर घरों पर नम्बर डलवाना चाहिये ताकि हरएक शुमार कुनिन्दा को मालूम रहे कि उसकी गिन्ती करने की जिम्मेदारी किस घर से किस घर तक हैं। सुपरवाइजर को हर एक शुमार कुनिन्दा की जिम्मेदारी के बाबत अपने पास याददाशत रखना चाहिये, ताकि कितने फार्म व रिलपे शुमार कुनिन्दा को दिये जांग या वापस जिये जांग इसमें गढ़ती न हो।
- ११ गांव में नम्बर डालना उत्तर परिचम के कोने से शुरू करना चाहिये। इस प्रकार नम्बर डाले जावें कि शुमार कुनिन्दा से कोई घर छुट न जावै व गिनने

- के समय नाम लिखने के लिये अन्नावस्थकता से अधिक चलने का कष्टन करना पड़े।
- १२ मनुष्यगग्राना के लिये एक खानदान या कुनबा के रहने की जगह को घर माना जाता है।
- १३ अगर घर का एक निकास हो अगर असमें अन्द्र चार कुनवे या family रहते हों तो उस घर के दरवाजे पर ४ नम्बर २६-२१ नम्बर ढाल देना चाहिये।
- १४ जुनबे से ऋर्ष है एक जुटुम्ब जिनके खाने पीने का प्रबन्ध शामिल में होता है यानी चूल्हा एक हो।
 - १५-बोर्डिझ हाउस, सरायँ, होटल, पुलिस लाइन में कमरे वार नम्बर डालना चाहिये अगर एक बड़े कमरे में बोर्डिझ या होटल में कई लोगे रहते हैं तो उस कमरे का एक ही नम्बर डाला जावे। अगर एक खानदान के आदमी लड़के बच्चे एक घर में कई कमरों में रहते हैं तो उस घर में एक ही नम्बर डाला जावेगा।
 - १६-इर तरह की इमारत या घर, मन्दिर, मस्जिद, दुकान, पड़ाव पर नम्बर डाला जाना चाहिये चाहे वह मनुष्य के रहने के काम में आती हो यान श्राती हो। पड़ाव में भी एक नम्बर डाल देना चाहिये ताकि गिन्ती करनेव ले राहगीर रात को श्रमर कोई वहां ठहर जाय तो उसकी गिन्ती हो जाय | कोई भी जगह जहाँ मनुष्य ठहरते हो या रहते हों नम्बर डालने से छुटना न चाहिये, दरस्त के नीचे, तालाब के किनारे अहाँ मनुष्य टहरा करते हैं नम्बर डाल देना चाहिये ताकि गिन्ती की रात को शुमार कुनिन्दा उस जगह पर पहुँच सकै और वहाँ पर ठहरनेवालों की गिन्ती करलें। मनुष्यगणना का एक मात्र उद्देश्य "कि कोई मनुष्य गिन्ती किये जाने से छुटने न पात्रै" मनुष्य गणना से सम्बन्ध रखनेवालों को अञ्जी तरह याद रखना चाहिये।

१७-एक शुमार कुनिन्दा की निगरानी में जितने मकान रक्खे जायें, उनका एक ब्लाक माना जाये, हर एक ब्लाक के शुरू मकान के नम्बर में व आखीर मकान के नम्बर में व आखीर मकान के नम्बर में व आखीर मकान के नम्बर के कर दिया जाये ताकि हरएक शुमार कुनिन्दा को अपने ब्लाक का हद मालूम रहे। जैसे

₹o ₹

100



ब्लाक के पहले मकान का नम्बर

गोंजाकार से घेर दिया जानै व ब्लाक के आखीर का नम्बर े त्रिभुज में घेर दिया जानै। गोला-कार व त्रिभुज में ऊपर की श्संद्या मकान नं० व नीचे की संद्या ब्लाक नं० लिखी जायगी।

- १८—मकानों पर नम्बर गेरू से डाला जानै | घर के मुख्य दरवाजे पर या उसके पास नम्बर लिखा जानै | नम्बर ऐसी जगह पर डाला जानै कि वह स्थायी रूप से कायम रहे श्रीर मकान के रहनेवाले उसको याद रक्लें व उसको श्रपनी चिट्ठी के पते व दूसरे लिखा पढ़ी के काम में ला सकें । मकान के रहनेवाले से कहा जानै कि जो नम्बर मनुष्य गणाना में डाला जानै उसको स्थायी रूप से कायम रखने की कोशिश करें जब मिट जानै तब फिर से उसी जगह पर वही नम्बर लिख दें, ताकि श्रगर किसी प्रकार की दूसरी जांच भारत सरकार करना चाहै तो इन्हीं नम्बरों के सहारे दूसरे प्रकार की जांच की जा सके।
- १८-शहर, बड़े कस्बों व म्युनिस्पेक्टियों में घर के नम्बर जरूर स्थायी रखने की कोशिश म्युनिस्पेक्टियों को करना चाहिये ।

- २० घरों पर नम्बर डालने के बाद भी यदि कोई मकान नया बन जावे तो पास के नम्बर के साथ 'क' 'ख' 'ग' इत्यादि लिखकर नम्बर डाल देना चाहिये जैसे अगर नम्बर २६ के पास में बाद में मकान बना हो तो २६ क, २६ ख, इस प्रकार नम्बर उस नये मकान में नम्बर डाला जाना चाहिये।
- २१ अगर कोई मकान गिर जानै तो उसके बाबत फेहरिस्त मकान में लिख लेना चाहिये कि मकान गिर गया।
- २२-नम्बर डालने के साथ २ फेहरिस्त मकान (House List) लिख लेना चाहिये इसके फार्म अबहिदा से भेजे जाते हैं। एक शुभार कुनिन्दा की निगरानी में जितने मकान रक्खे जावें उतने के लिये फार्म अलहिदा रहे।
- २३-फेहरिस्त मकान (House List) के फार्म का नमूना

भारतीय मनुष्य गुणना वि० प्र०

(House List) घरों की फेहरिस्त

१-नाम मजरा टोला...........१-नम्बर ब्लांक....... मोहल्ला या वार्ड २-नाम शहर या गाँव......२-नाम शुमार कुनिन्दा ३-नाम तहसील........ ३-नम्बर सर्विल....... ४-नाम जिल्ला...... ४-नाम सुपरवाइजर.......

(इरएक व्लाक की अलहदा फेहरिस्त होगी)

नम्बर जो मकान पर लिखा गया तफसील दर्ज की जाय कि
रहने का मकान, या
दूकान, या मंदिर पड़ाव
र

₹

| घर में रहनेवालों के | तादाद घर में रहने- |
|---------------------|--------------------|
| मुखियाका नाम | वार्लों की |
| ą | 8 |

२४-मकान की फेहरिस्त की एक प्रति तथ्यार की जाने जो सम्बन्धी शुमार कुनिन्दा के पास रहना चाहिये सेन्सस का काम खतम होने पर गिन्ती करनेनाजी स्लिपों के साथ ता० २-३-५१ के बाद को शुमार कुनिन्दा को अपने सुपरवाइजर को दे देना होगा। २५-हरएक सरिकल में नम्बर डाल चुकने के बाद व हाउस लिस्ट लिख जाने के बाद नीचे खिखा गोश-वारा सुपरवाइजर को भर कर एक प्रति चार्ज सुपरि० सा० के पास भेज देना चाहिये ताकि उनके आफिस में गिनती करने के फार्म तकसीम किये जाने का प्रबन्ध किया जा सके।

नकशा रिपोर्ट वायत खतम हो जाने मकानों पर नम्बर डालने की कार्रवाई। नंट सरकिल.......... नाम तहसील..........

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| नम्बर | नाम | नं० सिलसिला |
| सरकिल | सुपरवाइजर | ब्ला क |
| १ | २ | ą |

| किस नम्बर के मकान से किस नम्बर के मकान तक इस ज्लाक में मकान रखे गये हैं | हरएक ब्लाक के शुमार कुनिन्दा का नाम | मकानों पर नम्बर डालने काकाभ खतम होनेकी तारीख | हरएक ब्लाक में तादाद जन- गयाना मुताबिक हाउस बिस्ट |
|--|---|---|--|
| _ 8 | ų | & | 9 |

२६ - चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को हाउस लिस्ट का गोशवारा मिल जाने पर कुल चार्ज के बाबत एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट सेंसस आफीसर के पास व सेंसस आफीस रीवा हस्ब जैल पेशानी में जल्द से जल्द भेजना चाहिये। नकशा रिपोर्ट बाबत खतम हो जाने कार्रवाई मकानों पर नम्बर डालने की ! बाबत चार्ज नम्बर......नाम तहसील.........

नम्बर नाम सरिक्तल के अन्दर सरिक्तल सुपरवाइजर •लाकों की कुल तादाद

सरिक के सरिकल के अंदर मिकानों पर नम्बर अन्दर की जनगणना डालने का काम खतम कुल तादाद मुताबिक हाउस होने का तारीख मकानात लिस्ट

२७-हरएक चार्ज से दफा २६ में दर्ज किया हुआ गोशवारा आ जाने पर कुल जिले का गोशवारा सरिकल, ब्लाफ व मकानात डिस्ट्रिक्ट सेंसत के दफ्तर में इस्व जैल पेशानी में तथ्यार किया जाकर एक प्रति सेन्सस दफ्तर रीवा मेजा जाय ताकि प्रान्त का गोशवारा बाबत चार्ज सरिकल ब्लाफ तैयार किया जा सके।

नकशा रिपोर्ट बाबत खतम होने काम महानों पर नम्बर डालने व तच्यारी House List

| सीरियल नम्बर चार्ज | नाम तहसील या शहर | नाम चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| १ | ર | <u> </u> |

| चार्ज | के श्रन्दर | तादाद | तारीख खतम होने मकानों पर नम्बर | जन गगाना मताबिक |
|--------|------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|
| सर्किल | ब्लाक | मकानात | डालनेका काम | ह।उस बिस्ट |
| S | ¥ | ξ | ی | - |

२ - मकानों पर नम्बर डाखने का काम शुरू हो जाने पर चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट सा० व डिस्ट्रिक्ट सेन्सस आफीसर सा० को दौरा करके इतमीनान कर लेना चाहिये कि कोई गांव, मजरा, मोहरूला, मकान, पड़ाब व आदमी के ठहरने की जगह नम्बर डालने से झूटने न पार्वे। और यह कि सुपरवाइजरान इस हिदायत को बख्बी समफ गये हैं।

मनुष्यगण्ना-सम्बन्धी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें

२१-१ मार्च सन् ११५१ के सूर्योदय का समय भारत सरकार ने समस्त भारतवर्ष के अन्दर मनुष्य गणना के लिये नियत किया है।

इसका अर्थ यह है कि १-३-५१ के सूर्योदय के समय की श्थित मनुष्यगणना के कागजों में दर्ज की जावेगी!

- ३.0-Instructions to Enumerators गिन्ती करने-वार्जों की हिदायत की किताब छप रही है जो छपने पर भेजी जावेगी जो हरएक शुमार कुनिन्दा को दी जावेगी। इस किताब में गिन्ती सम्बन्धी पूर्ण हिदायत रहेगी।
- ३१-सुपरवाइजर को शुमार कुनिन्दों की हिदायत की किताब अञ्झी प्रकार शुमार कुनिन्दों को समका देना होगा।
- ३२-मनुष्य गणना-एन्यूमरेशन पैड की स्लिपों का लिखा जानार फरवरा १८५१ से गुरू किया जावेगा और १ से ३ मार्च १८५१ तक आखीरी जांच की जावेगी। आखीर जांच के बाद एन्यूमरेटर को हाउस लिस्ट के गाथ एन्यूमरेशन पैड थानी गिन्ती की स्लिपें सुपरवाइजर को गोशवारा के साथ देना होगा।
- ३३-Enumeration Pads गिन्ती करने की किताबें जिलों में पहुँच चुकी हैं। हरएक किताब में १०० पन्ने (slip :) हैं। एक पन्ना एक शहस की गिन्ती

के लिये हैं। इन पत्नों पर जिला का सांकेतिका नम्बर छपा हुआ है शुमार कुनिन्दा को चार्ज नं०, सरिकल नं०, ब्लाक नं० व घर का नम्बर हरएक स्लिप पर लिखना होगा, एन्यूमरेशन स्लिप का ठीका साइज व नमूना इस प्रकार है।

| *************************************** |
|---|
| 2 ab |
| c |
| 3,4,4 |
| <u> </u> |
| 5 |
| 78 |
|) |
| 10 |
| |
| |
| 11 |
| |
| 13 |
| 13 |

- ३४-सन् १८४१की माँति १८५१ की मरदुम शुमारी में भी स्लिप (जिसका नमूना ऊपर दिया गया है) में सिर्फ सवालों के नम्बर लिखे गये हैं। सवाल एक अवहदा कागज पर छुपे हुये मिलेंगे। सवालों का उत्तर शुमार कुनिन्दा स्लिपों पर लिखेंगे। उत्तर लिखने के भी संकेत मुकर्रर किये गये हैं जिसमें शुमार कुनिन्दा को अधिक लिखना न पड़े। हिदा-यत शुमार कुनिन्दा में इन संकेतों की तफसील दी. गई है।
- ३५ -सवाल जिनके उत्तर स्लिप पर दर्ज किये जावेंगे--
 - १. नाम व रिश्ता घर के मुखिया से
 - २. राष्ट्रीयता धर्म व जाति (Nationality Religion and Caste)
 - ३. व्याहा, कुंवारा, विधवा, विधुर
 - ४. श्रायु
 - ५, जन्म स्थान

- ६, क्या शरणार्थी है
- ७. मातृभाषा
- दूसरी भाषा जो बोलते हों
- १. (१) खुद कमानेवाला या आंशिक निर्भर रहने वाला या बिलकुल निर्भर रहने वाला
 - (२) दूसरों को नौकर रखनेवाला या दूसरे का नौकर या अपना काम करनेवाला
- १०, आमदनी का खास जरिया
- ११, आमदनी का सहायक जरिया
- १२, पढ़ा श्रनपढ़ा
- १३, क्या बेकार हो
- १४, पुरुष या स्त्री
- ३६-डिस्ट्रिक्ट सेन्सस अपसर सा० (डिप्टी कमि० सा० जिला) को चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट, सुपरवाइजर या प्रयूमरेटर की नियुक्ति व घरों पर नम्बर डालने व चार्ज, सरिकल ब्लाकों को मुकरीर किया जाना व उनकी सरहद कायम करने का काम फीरन शुरू करना चाहिये ताकि बरसात के बाद सेन्सस स्टाफ की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया जा सके । चार्ज सुपरि-न्टेन्डेन्ट व चुने हुए सुपरवाइजरान की ट्रेनिङ्ग सदर मुकाम जिला में जुलाई या अगस्त में किया

जावेगा, तारीख मुकरर करके जरिये डिप्टी कमिरनर जिला इत्तिला दी जावेगी। सुपरवाइजरान की ट्रेनिंग तहसील के सदर मुकाम पर जिरये चार्ज सुपरि-न्टेन्डेन्ट साहब निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेन्सस अफसर सा० अगस्त या सितम्बर में की जावेगी, शुमार कुनिन्दा की ट्रेनिंग सुपरवाइजरान के जिरये से सरकिल के अन्दर अक्टूबर, नवम्बर में की जावेगी व उसी वक्त उनके फार्म व कागजात तकसीम का प्रबन्ध किया जावेगा।

- ३७-हाउस नम्बरिंग से तादाद मकानात व तादाद सर-किल व तादाद व्लाक व तादाद अन्दाजिया जन-संख्या की शालूम हो जावेगी, इन संख्याओं के सहारे डिप्टी कमिश्नर साहब जिला को हिसाब लगा लेना चाहिये कि Enumertion Pads जो उनके यहाँ पहुँच चुके हैं कम तो न पड़ेंगे। एन्यूमरेशन पेड बहुत हिफाजत के साथ रक्खे जांय ताकि बारिश में किसी प्रकार खराब न होने पार्वे।
- इ.ट-किताब 1951 Census Procedure Instructions for use of Districts census officers and Charge Supdt. ह्यपने पर भेजी जावेगी।

भारतीय मनुष्य-गणना, सन् १६५१ विनध्यप्रदेश

हिदायत नं ३ दिनांक १-६-५०

तैयारी चार्ज रजिस्टर

- (१) इरएक सरिकल नये सफे पर शुरू करना चाहिये।
- (२) पहिले पहल खाना नं० (१) से (५) तक की खानापूरी करनी होगी। खाना नं० (३) व (५) की खानापूरी पेन्सल से करनी चाहिये। उन पर स्याही उस वक्त फेरी जायगी, जब कि मकानों पर नम्बर लग जायँगे। तब कुल सही तादाद मालूम हो जायगी। श्रीर उसी वक्त यह भी कर्तई तौर पर मालूम हो जायगा कि कीन से आदमी गिनती करनेवालों का काम करने के लिये तैनात किये गये हैं।
- (३) खाना नं०३ में हरएक ब्लाक दर्ज किया जावे।
- (8) हरएक सरिकल के बाबत नकल सुपरवाइजर को दी जाय।
- (५) जितने सरिकत विजेज रिजस्टर में कायम होकर आये हैं, उसके दुगुने २५ फीसदी ज्यादा चार्ज रिजस्टर के फार्म मेजे जाते हैं, एक प्रति चार्ज रिजस्टर की तैय्यारी में फार्म लगाये जायँ, व एक २ प्रति नकल करने के लिए सुपरवाइजर की दिया जावे, जो सुपरवाइजर के लिये सरिकत रिजस्टर का काम देगा।
- (६) चार्ज रजिस्टर के फार्म हरएक चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास डिस्ट्रिक्ट सेन्सस अगिप्तार सा० को भेज देना चाहिये, ताकि तैयारी चार्ज रजिस्टर की कार्रवाई शुरू हो जाय।

भारत सरकार

निनिस्ट्री आफ होम अफेसर्स विन्ध्यमदेश सेंसस दफ्तर रीवा

डिस्ट्रिक्ट सेंसस आफिसर व चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट

कें लिये

हिदायत नं० ४ दिनांक १०-६-५०

विन्ध्यप्रदेश में १८५१ की मनुष्य गणाना करने का प्रबन्ध

- श—मारत सरकार ने भारतीय मनुष्य गणाना के लिए १ मार्च १६५१ सूर्योदय का समय निश्चित किया है जिसका अर्थ है कि १ मार्च १६५१ को सूर्यो-दय के समय की स्थिति मनुष्य गणाना के काग-जात में दर्ज की जायगी।
- २—मनुष्य गणना को सफल बनाने के लिये अर्थात् कोई मनुष्य गणना से छूटने न पाने, इसिलिये पूर्ण तैयारी अभी से शुद्ध करने की जहरत है।
- ३--- इस सम्बन्ध में अब तक इस्य जैल हिदायतें जारी की गई हैं--- याकि जारी की जा रही हैं---
 - रे—हिंदायत नं० १ दिनांक ३१-१-५० बाबत तैयारी विलेज रजिस्टर।
 - २ हिंदायत नं० २ मकानों पर नम्बर डालने के बाबत दिनांक १-५-५०।
 - ३---हिद।यत नं ० ३ दिनांक १-६-५० बाबत तैयारी चार्ज रजिस्टर ।

- ४—हिंद।यत न ० ४ दिनांक १०-६-५० बाबत प्रवन्ध मनुष्य गणना ।
- ५--हिदायत न ०५ दिनांक १५-६-५० बाबत हिदायत शुमार कुनिन्दा ।
- ४—हिदायत न० २ में ज्यौरा मकानों पर नम्बर डालने के बाबत दर्ज किया गया है। मकानों पर नम्बर डालने के साथ हाउस लिस्ट हर एक ज्लाक के लिये लिखी जानी चाहिये। हाउस लिस्ट के फार्म व हिदायत नं० २ हर जिले में डिस्ट्रिक्ट सेंसस आफीसर सा० के पास भेजी जा चुकी है जो चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट के जरिये सुपरवाइजरान को तकसीम किया जाना चाहिए।
- ५ मकानों पर नम्बर डालनेव हाउस लिस्ट लिखे जानेका काम १५ नवम्बर ५० तक खतम हो जानाचाहिये।
- ६ मनुष्य गणाना ११५१ का कार्य सम्पादन करने के बिये नीचे बिखे अनुसार तारीखें मुकर्रर की चाती हैं।

| नं ० सिलसिला काम ता० खतम काम (१) तैयारी विलेज व हाउस रिजस्टर ३०-४-५० (२) तकरुरी डिस्ट्रिक्ट सेंसस आफीसर ब हुक्म चीफ कमिरनर साहब १-६५० (३) तकरुरी चार्जसुपरिन्टेन्डेन्ट बहुक्म चीफ कमिरनर साहब १५-६-५० (४) तकरुरी सुपरवाइजरान व एन्सुमरेटर बहुक्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सा० जिला छुपे हुए फार्मी पर १-७-५० | (१°) (११) | एन्यूमरेशन पैड जिला दपतर से चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट सा० के पास भेजे जायँ १-१२ ५०० मनुष्यों की संख्या का अन्दाज करके— एन्यूमरेशन पैड चार्ज सुपरि- नटेन्डेन्ट की तरफ से सुपर- वाइजरों को तकसीम व सुपरवाइजरान व शुमार कुनिन्दा की ट्रनिंग मुता- |
|--|---------------|---|
| (प्र) तैयारी चार्ज रिजस्टर १-८-५० (६) जिला सेंसस स्त्राफीसर व १-८-५० चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट व सुपर- वाइजरान की ट्रेनिंग हेडक्या- टर जिला में हरएक जिला के से बाबत निश्चित तारीख की इतिला माइन्दा दी जायगी । ३०-८-५० (७) ट्रेनिंग के बाद चार्ज सुप- रिन्टेन्डेन्ट सा० की तरफ से हरएक सुपरवाइजर को नीचे लिखे कागजात दिये | (१२) | एन्यूमरेटरान को हिदायत नं ० ५ समकाया जाना व पैड की खाना पूरी करना सिखाया जाना एक प्रति हिदायत नं ० ५ व एक पैड या काफी तादाद में स्लिपें हरएक शुमार- कुनिन्दा को दिया जाना। पहिलों गिन्ती का शुक्र |
| जाना चाहिये । (१) एक प्रति हिंदायत नं ०२ १-१-५० (२) जितने ब्लाक सरकिल में से हों उससे २५ फीसदी श्रिधिक ३०-१-५० हाउस लिस्ट के फार्म तक (३) सरकिल रिजस्टर श्रथवा सरकिल के बाबत नकल चार्ज रिजस्टर (४) सरकिल का नकशा नजरी | (\$ x) (\$ 8) | किया जाना } पहिली गिन्ती खतम होना श्रीर साधू, संन्यासी, कंजह, दूसरे यात्री वगैरह जहाँ } २०-२-५१ मिलें २०-२-५१ की शाम को गिन्ती कर लिया जाना } श्रीखीरी जांच } १३५१ से ३३५१ |
| (=) मकानों पर नम्बर डाला १५-१०-५० से जाना व हाउस लिस्ट १५-११-५० लिखा जाना तक | (१६) | शुमार कुनिन्दा का गोश- बारा तैय्यार होकर सुपर- बाइजर को सीपा जाय |
| (१) तकमीला मुकम्मिल चार्ज) रजिस्टर व सही तादाद । मकान ब्लाक व सरिकल के ! | (68) | सुपरवाइजर का गोशवारा } चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास } पहुँच जाय। |
| बाबत रिपोर्ट चार्ज सुपरिन्टे- न्डेन्ट की तरफ से जिला सेंसस आफ़ीसर के पास | (१°) | चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट का गोशवारा जिला सेंसस आफीसर के पास पहुँच जाय |

- (११) जिला सेंसस आफीसर की)
 तरफ से गोशवारा रीवा व > १०-३-५१
 दिल्ली रवाना किया जाय
- मकानों में नम्बर डालने के बाबत हिदायत नं० २ में तफसील दर्ज की गई, उन हिदायतों को यहाँ नहीं दोहराया जाता। हिदायत नं० २ की एक २ प्रति हरएक सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए।
- = इसी प्रकार गिन्ती करने के बाबत न्यौरा हिदायत नं ० ५ में दर्ज है, उन हिदायतों को भी यहाँ नहीं दोहराया जाता, हिदायत नं ० ५ हर एक शुमार कुनिन्दा और हरएक सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए।

हिदायत नं० २ व ५ ध्यानपूर्वेक देखने की जरूरत है।

मरदुम शुमारी के खास इन्तिजाम

र---रेलवे स्टेशन या रेलवे हाता के अन्दर की आबादी या कहीं नया पुल बनता हो वहाँ के मजदूरों को पुल के पास की नई आबादी की मनुष्य गणना वेलेस्टट्रेन में रहने वाले मजदूरों की गणना रेलवे कासिंग पर चौकियों में रहने वालों की गणना----

स्टेशन की श्राबादी का अलहदा ब्लाक या सरिकल जैसी जरूरत हो बना लेना चाहिए। स्टेशन मास्टर से चार्ज सुपिरन्टेन्डेंट को मिलकर पिहले से सब काम ते करना चाहिए। स्टेशन मास्टर की राय से रेलवे स्टाफ में से सुपरवाइकर व एन्यूमरेटर मुकर्रर करना चाहिए। रेलवे मोहक्मा के द्वारा स्टेशन मास्टरों को इस बाबत मोहक्मे से इत्तिला दी जाचुकी है—जिसके बाबत हमारे दफ्तर से अग्रेनी चिट्ठी न ० F—47-147 तागिख २-६-५० द्वारा जिला सेसंस अफसरों को इतिला मे जी गई है। स्टेशन उसी कस्बा या गाँव का एक ब्लाक या सरिकल रहेगा जिस कस्बा या गाँव का एक ब्लाक या सरिकल रहेगा जिस कस्बा या गाँव में स्टेशन कायम है—इसी प्रकार रेल की चौकी व मजदूरों की आबादी के बाबत कार्रवाई की जावेगी।

वैलेस्टट्रेन (गिट्टी ढोने की गाड़ी) को स्टेशन जहाँ उसका हेड कार्टर हो या जहाँ २० फरवरी को शाम के मौजूद हो, गिन्ती करना चाहिए। स्टेशन मास्टर से कहकर वैलेस्ट ट्रेन के गार्ड को या जिसको स्टेशन मास्टर तजवीज करें, वैलेस्ट ट्रेन के लिये शुमार कुनिन्दा मुकर्रर करना चाहिये। इसके बाबत पहिले से स्टेशन मास्टर से निश्चय कर केना चाहिये। रेलवे हाता के अन्दर कुल कार्रवाई मकानों पर नम्बर डालने के बाबत व गिनती करने के बाबत वहीं की जायगी जैसा कि आम तरीका कायम किया गया है।

- १० कोयला खदान या दूसरी खदान इसका भी एक श्रवाहदा सर्किल या ब्लाक कायम करना चाहिये। मैने जर से मिलकर सुपरवाइजर व शुमारकुनिन्दों को कालरी या फैक्टरी स्टाफ में से मुकर्रर करना चाहिये। कुल कारस्वाई मकानों पर नम्बर डालने व गिनती करने के बाबत उसी तरीके से की जायगी जैसा कि श्राम तरीका कायम किया गया है। कालरी का संकिल या ब्लाक उसी गाँव के श्रन्तर्गत होगा जिस गाँव में वह खदान या कारखाना स्थित है।
- ११—फीजी कैन्टोनमेंट, या फीजी झावनी का सरिकल या ब्लाक सम्बन्धी करने में शामिल करना चाहिये। चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट का कमान्डिंग अफसर से मिलकर उनके मातहतान में से सुवरवाइजर व शुमार कुनिन्दा मुकर्र कराना चाहिये और उनको सेंसस का काम सिखाना चाहिये व हिदायतें सममाना चाहिये। कुल कार्रवाई उसी तरीके से होगी, जैसा कि आम तरीका कायम किया गया है।
- १२ रिपयूजी कैम्प, कालें न य स्कूलों के बोर्डिंग हाउस, पुलिस लाइन व अस्पताल जेल इनकी भी अलाहदा ब्लाक या सर्विल कायम करके मोहक्मे के स्थानीय बड़े अफसर से मिलकर उसी मोहक्मे के शुमार कुनिन्दा और सुपरवाइजर

मुकर्रर कराना चाहिये व उनको काम समस्का कर काम लेना चाहिये।

१३—मेला— १ फरवरी से २० फरवरी तक बराबर कायम रइनेवाले मेला का अलग ब्लाक या सर्किल कायम करना चाहिये और वहाँ उन्हीं लोगों को शुमार करना चाहिये जो लोग १ फरवरी से २० फरवरी तक वहाँ रहें, यानी जिनकी गिनती उनके घरों में न होनेवाली हो।

१४ — प्लेग से भगे हुए मनुष्य जो कस्वा या शहर या गाँव के बाहर बागीचों में चन्दरोजा रहते हैं, उनकी अगर सम्भव हो तो उनके मुख्य घरों के नम्बर पर गिन्ती करना चाहिये। उनके चन्दरोजा घरों में उनके मुख्य अथवा मुस्तकिल घर का ब्लाक नम्बर व घर का नम्बर दर्ज करना चाहिये, ताकि उनकी गिनती उनके मोहल्ला में हो जावे।

अगर ऐसा सम्भव न हो तो उसी कस्बे में उनका अलाहिदा ब्लाक या सर्किल कायम करके गाँव के सिलसिले में नम्बर चन्दरोजा घरों का डाल देना चाहिये श्रीर अलाहिदा ब्लाक की गिनती करना चाहिये।

१५-चार्ज रजिस्टर की तैयारी।

पेशानी फार्म चार्ज रजिस्टर

विन्ध्य-प्रदेश के जिला तहसील का चार्ज रजिस्टर

| चार्ज नम्बर नाम चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट | | | | ਟ ∫ | स नाम | किंख नम्बर । सुपरवाइजर | |
|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|---|---|--------|
| नाम मौजा | नम्बर सिल सिला मीजा का जो जनरल विकेश रजिस्टर में हो | नम्बर्सिक्तसिका ब्लाक का | तादाद मकान ध्लाक | नाम गिन्ती करनेवाले का | मकानी पर नम्बर त्ताना खतम हुन्ना उसकी तारीख | ता॰ जिस्स रोजसुपर- बाह्रभर ने मकानों पर ने॰ लगाने की जांच की | कैफियत |
| 1 | 2 | ar | 8 | ¥ | § | 9 | ۲. |

हर एक सुपरवाइजर को हिदायत नम्बर २ (बाबत मकानों पर नम्बर डालने) व जितने ब्लाक हों, उसके सवाये हाउस लिस्ट के फार्म व एक २ प्रति सर्किल रिज (जो चार्ज रिजस्टर में सरिकिल के पन्ना की नकल होगी), व सरिकल का नजरी नकशा जिसमें गाँव या मोहल्ला दर्ज हो, मकानों पर नम्बर डालने का काम शुरू करने के पहिले दिये जावेंगे।

चार्ज रिजस्टर तैयार करने में एक सर्किल के लिये एक फार्म काम में लाना चाहिये। सुपरवाइजर को इसी रिजस्टर की नकल उसके सर्किल के बाबत दी जावेगी, जो सुपरवाइजर के लिये सर्किल रिजस्टर का काम देगी, खाना नम्बर ३ से ५ तक पेन्सिल से लिखा जाना चाहिये। मकानों पर जब नम्बर पड़ चुके और सुपरवाइजर के जिरेये सही तादाद ब्लाक व सही तादाद मकान जो हरएक ब्लाक में रक्खे गये हैं मालूम हो जाय तो खाना नं० ३ से ५ तक स्याही में लिख जाना चाहिये। मकानों पर नम्बर पड़ जाने पर यह रिजस्टर दुरुस्त किया जाकर सही तैयार किया जावेगा और रिपोट बाबत सही तादाद मकानों व ब्लाक के चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट की तरफ से जिला सेन्सस आफीसर के पास १५-११-५० तक भेज दी जावेगी। देखिये दफा २५, २६, २७ हिदायत नम्बर २

चार्ज रजिस्टर मुकिन्मिल बन जाने पर यानी सही तादाद ब्लाक व मकानों की मालूम हो जाने पर चार्च सुपरिन्टेन्डेन्ट व डिस्ट्रिक्ट सेंसस अपसर को EnumerationPad का हिसाब लगा लेना होगा कि और जरूरत तो नहीं है अगर जरूरत और हो तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सेंसस किमिरनर विन्ध्य-प्रदेश रीवाँ के पास भेजना चाहिये, यह रिपोर्ट हर हालत में १-१२-५० के कब्ल रवाना कर दी जाना चाहिये।

मकानों पर नम्बर-इसके बाबत हिदायत नं० २ दिनांक १-५-५० में पूरी तफसील दर्ज की गई है (यहाँ पर हिदायत नं२ में,) दफा १० की ऋोर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि भारत सरकार की यह मंशा है कि मकानों पर नम्बर मुस्तकिल तौर से कायम रहे, ताकि आइन्दा कोई भी जांच इन्हीं नम्बरों के सहारे की जा सके । भारत सरकार इस मनुष्य गराना में इन्द्राज के आधार पर एक National Register भारतीय नागरिक रजिस्टर हर गांव के बाबत तैयार करायेगी । जिसमें हरएक नागरिक के बाबत आवश्यक इन्द्राज रहेगा। इस सम्बन्ध में श्राज्ञायें श्रलाहिदा से जिला सेंसस श्रपसर के पास भेजी जायेंगी । यहां केवल इतना ही बोधित करना है कि मकान में रहनेवालों से कहा जाय कि मकान में जो न • मनुष्य गणना के सम्बन्ध में डाला जाय बह नम्बर उन्हें कायम रखना चाहिये । पटवारियान, चौकी-दार, व गांव पंचायतों व गांव के स्कूल के मास्टरों को हिदायत की जानी चाहिए, कि मकानों में रहनेवालों के सम्बन्ध की हर प्रकार की लिखा पढ़ी में उनके मकान का नम्बर काम में लाया जावे, श्रीर उनकी हिदायत करते रहें कि मकान पर जो नम्बर बिखा गया है उसको कायम रक्खें।

१६ — मुद्रायना — जिला सेंसस अफसर, चार्ज सुपरिन्टेंडेन्ट को बराबर दौरा करके मनुष्य गणाना के काम की निगरानी करते रहना चाहिये कि हिदायत के अनुसार हरएक काम किया जा रहा है और जो समय हरएक काम के लिये मुकर्रर किया गया है उसमें देर तो नहीं हो रही है। जब तक जिला सेंसस अफसर दौरा करके हरएक तफसील को न समका- येंगे, या कि निगरानी न करेंगे, मनुष्य गणाना का काम पिछ्ड जायगा, और हिदायत के अनुसार न हो सकेगा। इसलिये जिला सेंसस अफसर व चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को काम की निगरानी करने के लिये मुतवातिर दौरा करते रहना चाहिये।

रि७— आखीरी रिपोर्ट-हरएक जिला अपस्तर से अपने जिले के सम्बन्ध में जिले की हर तरह की कैफियत-सेंसस का प्रबन्ध किस प्रकार किया गया और ज्यापार, आवागमन के साधन, बीमारियौँ हालत, किसान की हालत, पिछड़ी हुई जातियां, शिला, सफाई

तन्दुरुस्ती, राजनैतिक जाप्रती, पुराने रस्मरिवाज, आयन्दा तरकी के मार्ग इत्यादि के बाबत जितनी मुफस्सल रिपोर्ट तैयार कर सके तैय्यार करके सेंसस किमरनर रीवाँ के पास १-४-५१ तक भेजना चाहिये। इस सम्बन्ध में पहिले से अपने दौरे में अगर याददास्त नोट करते जायाँगे तो मार्च ५१ में रिपोर्ट मुफस्सल लिख डालने में दिक्कत न होगी।

१ = — तकरुरी के परवाना — सुपरवाइजरान व शुमार कुनिन्दा के तकरुरी के परवाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सा० के दस्तखत से इजरा किये जाना चाहिये। छुपे फार्म इसके बाबत भेजे जायँगे।

मनुष्य गगाना

१६—िहदायत शुमार कुनिन्दा नं० ५, शुमार कुनिन्दा टीक से समक गये हैं यह सुपरवाइजर को इतमीनान कर लेना चाहिये।

२० — ता० १ फरवरी से जब पहली गिनती शुरू की जाय सुषरवाइजरान को अपने सरिकल में घूमकर शुमार कुनिन्दा के काम की निगरानी करना चाहिये। जहाँ वे लोग लिखने में गलती करें उनका सुधार करना चाहिये।

२१—पहली गिनती खतम हो जाने पर सुपरवाइजर को पैड वापस ले लेना चाहिये और ता० २७ फरवरी को फिर हरएक एन्यूमरेटर को उसके ब्लाक का पैड वापस करना चाहिये ताकि ता० २० फरवरी को शाम को यात्री अथवा दूसरे बिना घर वाले लोगों को जो पड़ाव, धरमशाला में ठहरे हों या कंजड़ लोगों की गिनती कर लें। लेकिन गिनती करने के पहिले यह इतमीनान कर लेना जरूरी है कि उनकी गिनती पहले कहीं नहीं हुई है। १-३-५१ से आखीर जाँच शुक्त कर दें। हिदायत शुमार कुनिन्द। में पूरी तफसील इस बाबत दर्ज है।

२२ — इन्यूमरेटर का गोशवारा — आखीर जांच खतम हो जाने के बाद ३ मार्च के शाम को या ४ तारीख को सबेरे इरएक सर्किल के सब इन्यूपरेटरों को अपने सुपरवाइ जर से जो उस जगह जो कि उसने पहले से मुकरेर की हो, सब कागज लेकर मिलना चाहिये तब फिर सुपरवाइ जर को चाहिये कि वह (१) जितने पैड पेश हुए हैं वो अपने सर्किल के ब्लाकों की तादाद से मिला लेवें और उसको देखना चाहिये कि इरएक ब्लाक के वास्ते कम से कम एक पैड है या नहीं।

- (२) हरएक खाना पूरी को और उसमें जो जाहिस गलतियाँ या भूल हों उनको सुधारें।
- (३) ब्लाक के खास इन्यूमरेटर से और दूसरे दो एन्यूमरेटरों से, जुदे कागज के टुकड़ों पर उसी ब्लाक की आबादी मकानात मदीं व श्रीरत की तादाद की अलहदा २ जोड़ लगवावे। अगर ये मीजानें एक दूसरे में मिल जावें, तो उसको सही मानकर एन्यूमरेटर के गोशवारे में जिसका नकशा नीचे दिया है, दर्ज करावे। अगर तीनों की मीजानें आपस में नहीं मिलती हों, तो सुपरवाइजर खुद अपने अपप उन अक्टों की जांच करें।

इन्यूमरेटरों का गोशवारा

जिला
तहसील
करना या गाँव
गिनती का श्रारम्भ
गिनती का श्रंत
उपयोग की गई कितानों की संख्या

गोशवारा

आबाद मकानों की संख्या मनुष्य, आदमी, श्रीरतें जोड़ पढ़े हुये

एन्यूमरेटर के इस्ताह्नर

जाँच की और सही पाया

सुपरवाइ जर के इस्ताचर

२२ — सर्किल समरी — जब सब एन्यू मरेटरों के गोशवारे का काम खतम हो जाय और यह मालूम
हो जाय कि यह ठीक है तब सुपरवाइ जर दो
अच्छे एन्यू मरेटरों को चुनकर उनकी मदद से
नीचे लिखे हुये सरकिल समरी के नकशे को
तैयार करे, जिसकी पेशानी और खाना नम्बर
१ व २ की खाना पूरी पहिले से मर लेना चाडिये।

सक्तिल समरी

| जिला | | चार्ज | | | सर्किल | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------|------|---------|--------------|--|--|--|
| गाँव या मुहह्ने | ब्लाकों का सिल | ्रों का सिल त्राबाद मकाने | | त्रादमी | | | | |
| का नास | सिलेवार नम्बर | की तादाद | मर्द | भौरत | शरणार्थी | | | |
| 9 | ₹. | - | 8 | * | § 9 | | | |
| सरकिल की मीजान | | | | | | | | |

नोट समरी के लिये छुपे हुये फार्म (नक्शे) दिये जार्चेंगे । हरएक एन्यूपरेटर का गोशवारा सिलसिलेव,र जगाकर सरकिल समरी के साथ नत्थी कर देना चाहिये।

फिर सुपरवाइनर को अपने सरिकल के ब्लाकों के पैड को सिलसिल से नम्बर बार जमाना चाहिये। उनको ऐसे जमा कर उपर जोकि सिकल रिनस्टर ता० १ मार्च तक का दुरुस्त किया हुआ होगा उसको रखकर सफाई के साथ बाँधे और खुद हो यह पाकट (कागजात का बन्डल) जो जमह चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट ने पहले से मुकर्र की हो, वहाँ ले जाकर चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट या उनके मुकर्र किये हुये अमला के हवाले करें। चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट उसको एक रसीद किताबों की तादाद लिख कर देगा। रसीद देने के पेस्तर चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को अपना इतमीनान कर लेना चाहिये कि जितने ब्लाक सरिकल समगी में दर्ज हैं उन हरएक ब्लाक के लिए एक पैड आया है और हरएक एन्यूमरेटर के गोशवारा में दिखलांगे हुये अहू ठीक तीर से सिकल

समरी में लिखे गये हैं या नहीं, जो सरिकल दूर हों उनके कागजात ऊपर बताये हुये तरीके से भेजने में देरी होती हो तो सुपरवाइजर अपनी सरिकल समरी ज्यादा से ज्यादा जल्द पहुँचने के जरिए से चार्ज सुपरि-न्टेन्डेन्ट के पास भेज दे ताकि वह उसे अपनी चार्ज समरी में शामिल कर सके।

२४-चार्ज सम्भी-चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को हर एक सरिकल समरी को सरिकल रिजस्टर से और एन्य्मिरेटर के गोशवारे से मिलाना चाहिये ताकि खातरी हो जावे कि कोई सरकिल या व्लाक इत्तिफाक से छट तो नहीं गया और यह भी खातरी हो जाय कि एन्यूमरेटरों की लगाई हुई भीजान ठीक ठीक भरी गई है उसको इरएक सरिकल सगरी की मीजानें अलग दो सुपरवाइजरों से जचवाना चाहिये उसी तरीके से जैसा कि एन्यूमरेटरों के गोशवारा के लिए बनाया गया है फिर दो सरिकल समिरयों की मीक्षानें अपने चार्ज समरी में दर्ज करे अपीर अपने दो बहुत होशियार सुपरवाइजरों की मदद से उन मीजानों की जोड़ ऊपर बनाई हुई दोहरी जाँच से लगवाकर चार्ज की समरी को चार्ज की कुल सरिकल समरियों के साथ जो सिलसिलेवार जमा है नत्थी करके कुल समरियों का गद्रा जिला सेन्सस आफीसर के पास उनके सदर मुकाम पर या किसी दूसरे मुकाम पर जल्दी से जल्दी पहुँचानेवाले रास्ते से जो कि जिला सेंसस आफीसर ने पहले से मुकरि किया हो भेज दे।

इन समिरियों के भेजने के बाद चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट गिन्ती के बहत के पैड की खाना पूरी की जांच करके अपना इतमीनान करें कि बड़ी गलतियाँ या भूल तो नहीं हो गई है या कोई बात ब्रूट तो नहीं गई है। अगर ऐसा कुछ नजर आने तो वह उसके मुताल्लिक सुपरवाइजरों से उसको सुधरा लेने और यह दुरुस्ती ज्यादा से ज्यादा दो रोज में होना चाहिये जब कि हर एक बात ठीक सिलसिले में हुई दीखे तब चार्ज सुपरि- न्टेन्डेन्ट एन्यूमरेटरान के पैड को सरक्लिवार जमावे, सुपरवाइजरों को उन पैड की रसीद देवे।

श्रीर उन पैंड को जिला सेन्सस श्राफिसर के पास जिला हिदायतों के मुझाफिक जो जिला सेन्सस श्राफिसर ने पहिले से दी होगी, भेजने का बन्दोवस्त करें।

चार्ज समरी आगे दिये हुए फार्म के मुताबिक होगी।

चार्ज-समरी

जिला =— चार्ज

| रान | सर्किल का | श्राबाद | | न्त्रा | दमी | |
|---------------------------|--------------------------|---------|------|--------|------|----------|
| ें ज्या | सि ल सि ले | मकानी | | 1 | _ | ĺ |
| ल के मः तादाद | बार नम्बर | की | मर्द | ग्रीरत | मीआन | शरणार्थी |
| सरकिल के नम्बरान तादाद | | तादाद | | | | |
| 9 | 2 | 3 | 8 | Ł | Ę | • |
| चार्ज की मीजान | | | | | | |

समिरियों के लिये बये हुए फार्म दिये जायँगे।

२४— प्रोटिइ जनल टोटल चार्ज समिरियों के पहुँचने पर जिला सेन्सस झाफिसर संग्किल रजिस्टर और सरिकल संमिरियों से उनका मिलान करें और देखें कि संग्किल संमिरियों को ठीक ठीक दर्ज किया गया है? या कोई संग्किल रह तो नहीं गया। हरएक समरी का मीजान होशियारी से जाँचना चाहिये। फिर हरएक चार्ज की मीजान जिला की समरी में दर्ज करना चाहिये। इस बान की खबरदारी रखना चाहिए कि जो अंक दर्ज किये जाने हैं वह हरएक चार्ज की वड़ी मीजान का अंक हो और सिर्फ चार्ज सी समरी के एक वर्क के जोड़ का न हो।

मीजान दो क्लर्क से भलग २ लगवाना च।हिए-जब वे जोड़ जाँच लिये जायँ श्रीर ठीक उतरें तब हर

जिन श्रंकों की डाक के जरिये रिपोर्ट की जावेगी उनके दुरुस्त व सही होने का जिला सेन्सस श्राफी-सर जिम्मेदार रक्खा जावेगा । श्रागर ऊपर वयान की गई हिदायतों पर गौर से श्रमल किया जावेगा तो गलती होने की कोई गुन्जाइश नहीं रहेगी ।

पिछली महु म सुमारियों के बक्त प्राव्हिजनल टोटलों में जो गलतियाँ हुई थीं वे इतनी एन्युमरेटरों के सबब से न थीं जितनी कि नीचे बताये हुए कारणों से थीं कि:—

अ—सारे हिस्सों ही का छोड़ दिया जाना जैसे सर किलों या ब्लाकों का——

ब — सुपरवाइजरों व चार्ज सुपरियटेन्डेन्टों ने गजत मीजानें की-

क- जिला समरी में चार्ज समरी के आखीर के वर्क पर जो बड़ी जोड़ है उसके बदले में पहिले वर्क के जोड़ का अंक दर्ज कर लिया।

इसलिये ऐसी गलतियाँ न होने पार्वे इसकी खास एहतियात रक्खी जावै।

२६ — नतीजों का प्रसिद्ध होना-हरएक जगह का भीजान जिला सेन्सस आफिसर के नाम जिले के टोटल के पहुँचने पर प्रसिद्ध की जायगी।

२ ७ — दूर दूर के मुकामात दूर दूर के मुकामात के मुकामात में आमदरफ्त की अइचनों की वजह से कुल मीजान को इकट्ठा करने में देरी न होने पावे इसिलये जिला सेन्सस आफिसर मातहत आफिसरों के साथ ऐसे अच्छे तरीकों से अंकों की इतिला भेजने का बन्दोवस्त करें कि जिससे जल्दी से जल्दी इतिला पहुँचने का इन्तजाम हो जावे। जिला

सेन्सस आफिसर जनवरी सन् ५१ तक एक छोटा सा नोट (याददास्त) इस इतिला का क्या बन्दोत्रस्त किया है प्राव्हिन्श्यल सुपरिन्टेंडेन्ट साहब के पास भेजे। इसके साथ ही यह भी रिपोर्ट करें कि जिला के कीन से ऐसे हिस्से हैं कि जहां से चार्ज या सर्किल समिरया टीक वक्त पर सदर में न पहुँचने का अंदेशा है और इस वजह से जिला भर का मीजान सेन्सस किमश्नर व प्राव्हिन्श्यल सुपरिन्टेग्डेन्ट के पास बजिरेये डाक जल्दी से जल्दी न पहुँचने का अन्देश। है और तजवीज कि किस इन्तजाम के जिरेये यह मीजान जल्द पहुँच सकेगा।

२ = - शुमारकुनिन्दा के लिये मनुष्य गशाना सम्बन्धी हिदायत नम्बर ५ व मकानों पर नम्बर डालने की हिदायत नम्बर २ सेन्सस आफिसर व चार्ज सुपरिन्टेन-डेन्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये। हिदायत नं० २, ४, ५ जब तीनों इक्तद्वा पढ़ी जायेंगी, तब मनुष्य गणाना सम्बन्धी कुल काम के बावत इत्तिला प्राप्त हो सकेगी।

मनुष्य गणना द्वारा प्राप्त र्याकडों को जल्दी से जल्दी भारत सरकार के पास पहुँचाना

२६ — चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को हरएक सुपरवाइजर व एन्यूमरेटर के बाबत तजवीज तैयार कर लेना चाहिए कि किस प्रकार आखीर जांच के बाद शुमार कुनिन्दा कहां पर इकट्ठा होकर अपने ब्लाक का गोशवारा हर एक सुपरवाइजर को देंगे व किस प्रकार सुपरवाइजर का गोशवारा चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास पहुँचेगा । चार्ज में ३ या ४ संटर मुकरंर कर देना चाहिये । १० से १५ सुपरवाइजर को इकट्ठा होने के लिये एक सेन्टर कायम करना चाहिये । उस सेंटर में तहसीलदार साइब की तरफ से कानूनगो या पेरकार मीजूद रहकर उस सेंटर के सुपरवाइजरान का गोशवारा व पैड इकट्ठा करके तथा सेंटर का गोशवारा तैयार करके चार्ज धुपरिन्टेन्डेन्ट के पास भेज दें। सेंटर से तइसील हेड कार्टर में गोशवारा भेजने के लिये खास इन्तिजाम एका, तांगा, मोटर, साइकिल या सवार का इन्तिजाम करना चाहिए। इसी प्रकार तहसील हेड क्वार्टर से जिला सेन्सस आफिसर के पास गोशवार। भेजने का पहिले से इन्तिजाम तय कर लेना चाहिये।

३०-- कोड नम्बर:---

भारत सरकार ने जिला में कोड नम्बर हस्वजैल निरचय कर दिये हैं। एन्यूमरेशन पैड में ये नं० छुपे हुये हैं। हरएक चार्ज का कोड नम्बर नीचे लिखे प्रकार है। चार्ज का कोड नम्बर हरण्क स्लिप पर लिखा जायगा। इसके बाबत एन्यूमरेटर व सुपरवाइजर व चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को घ्यान रखना चाहिए।—

जिला के कोड नम्बरः—

जिला--दितया, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, कोडनं०१ २३४ सतना, रींवा, सीधी, शहडील, ५ ६ ७ ८

-चार्ज के कोड नम्बर:---

टाउन दतिया नाम चार्ज-तह० दतिया, २ कोड नं०--सेवधा सेवधा. टाउन तह० ₹ टीकमगढ़. टीकमगढ़. टाउन तह ० जतारा, तह• नेवारी, तह० झतरपुर = 3 बिजावर ञ्जतरपुर त० टाउन ११ 80 टाउन बिजावर, टाउन नौगांव, तह० लौंड़ी १४ 12 १३ पन्ना, पन्ना, तह० टाउन ₹ Ę 14

तह० अजयगढ़, टाउन अजयगढ़, तह० पर्वई 38 १८ १७ देवेन्द्रनगर. तह ० तह० रघुराजनगर, २१ २० मैहर, टाउन मैहर सतना, तह० टाउन **२२** २३ २४ नागौद. नागौद. टाउन तह ० ₹६ २५ टाउन उचेहरा, तह० अमरपाटन, तह० हुनूर २१ २७ ₹⊏ टाउन रावा, तह सिरमीर, तह मऊगंज, ३० 38 ३२ त्योधर गोपदवनास तह० तह० ३४ ३३ सेंगरीली देवसर, तह ० तह ० 34 ३६ तह० सोहागपुर, टाउन शहडोल, तह० बांधवगढ ३६ **३** ⊏ टाउन उमरिया, तह० व्यौहारी, तह० पुष्पराजगढ़, 88 ३१-सेन्सस ऐक्ट आफ इंडिया १६४ = विन्ध्य प्रदेश गजट की संख्या दिनांक ३०-१२-४१ में छप चुका है। जिला सेन्सस त्राफिसर साहब को उसे वगौर देख लेना चाहिये व उसकी एक कायी रेफरेन्स के लिये अपने आफिस के सेन्सस दफ्तर में रखना चाहिये।

३२--सॅंसस डिवीजन

सेंसस डिवीजन इस्व जैल है:—
१ — प्रान्त, २. जिला, ३. चार्ज, ४. सरिकल, ५. ब्लाक । प्रान्त के लिये सेंसस कमिश्नर की नियुक्ति हो चुकी है। जिला के लिये जिला सेंसस अपिसर की नियुक्ति बहुक्म जनाव चीफ कमिश्नर साहब के हो रही है। इसी प्रकार चार्ज के लिये चार्ज सुविरिटेन्डेन्ट की नियुक्ति के लिये इस्व

सिफारिश जिला सेंसस आफिसर श्री चीफ कमीरनर सा० की मंजूरी हासिल की जा रही हैं। मंजूरी हासिल होने पर जिन्ध्यप्रदेश गजट में शाया किया जायगा।

हरएक चार्ज सरिकलों में विभाजित रहता है। सरिकल के काम के जिम्मेदार सुपरवाइजरान रहते हैं। सुपरवाइजरान की तजवीज हो चुकी है। इनकी तकर्र री का परवाना जिला से सस आफिसर के दस्तखत से दिया जावेगा।

३३ — हरएक सरिकल जरूरी संख्या ब्लाक में बँटा रहता है। ब्लाक के काम के लिये एन्यूमरेटर मुकर्रर किये गये हैं। इनकी तकर्री का परवाना जिला सेंसस आफीसर के दस्तखत से इजरा किया जाना चाहिए।

> छुपे हुए फार्म बाबत तकर्रा सुपरवाइजर व एन्यूमरेटर सदर दफ्तर से खाना किये जावेंगे।

३ ४ — विन्ध्यप्रदेश में हस्वजैल शहर व कस्बे १८५१ की मनुष्य गग्राना के लिये माने गये हैं। इनके चार्जश्रालाहिदा कायम किये गए हैं।

> **शहर:--**१. रीवा

२. दतिया कस्बेः---

१. सेंबढ़ा ६. पत्रा ११. उचेहरा

२, टीन मगइ ७, अजयगइ १२, शहडोल

३. इतरपुर = सतना १३. उमरिया

४, बिजावर १, मैहर

५. नीगांव १०, नागौद

३५ — हर एक चार्ज में कौन कौन रेखवे स्टेशन हैं, व रेखवे लाईन कितने मील है व कहाँ कहाँ रेखवे किसग चौकी या कुली हट है उनका पता चार्ज सुपरिंटेन्डेन्ट की लगा लेना चाहिए व स्टेशन स्टाफ से मिलकर वहाँ पर नम्बर डालने व मनुष्य गराना का उचित प्रबन्ध पहले से कर लेना चाहिए। व इसकी इत्तिला जिला से सस आक्रिसर व से सस किमरनर विन्ध्वप्रदेश रीवा को भेज देना चाहिए।

रीवा

N. K. Dube

80-6-40.

Census Commissioner

Vindhya Pradesh

Rews.

भारत सरकार

विध्यपदेश मनुष्य गणना--१६५१

हिदायत शुमार कुनिन्दा

सेंसस कमिश्नर विध्यमदेश की आहा से मुद्रित

हिदायत नं० ५

दिनांक १५-६-५०

प्रश्नों की सूची 1. १--नाम व कुटम्ब के मुखिया से उसका सम्बन्ध 2. २--राष्ट्र, धर्म श्रीर खास जातियाँ 3. ३--- व्याहा या कुवाँरा 4. ४ — उम्र 5. ५ - जन्मस्थान जिला, प्रान्त अथवा देश 6. ६--शरगार्थी हो, क्या 7. ७---मातृमाषा 8 = बोलचाल की दूसरी हिन्दुस्तानी भाषा, ऋगर काम में लाई जाती हो। 9. ६- पहला भाग--क्या आप अपनी जीविका प्रे तरीके से खुद कमाते हो, या पूरी तौर से आंशिक तौर से दूसरों पर आश्रित है। द्सरा भाग-स्वयं जीविका उपार्जन करनेवाला क्या जीविका उपार्जन करने के काम के लिये दूसरों को नौकर खता है-या खुद दूसरे का नौकर है, या स्वतन्त्र काम करनेवाला है। 10. १० - जीविका उपार्जन करने का मुख्य जरिया,पूरा व्यौरा 11. ११--- जीविका उपार्जन करने का सहायक जरिया 12. १२ - क्या लिख पढ़ सकते हो, क्या कोई परीचा पास की है। 13. १३--- क्या बेकार हो |

14. १४—पुरुष यां **ख**ी ।

| • ५ ० |
|---|
| नमूना स्त्तिप 1 १ |
| 1. ? |
| 2. २ (ब्र)(ब)(व) |
| (#)····· |
| 3. ₹44 |
| 5. ५ |
| 6. ξ |
| 7. |
| 9, ₹ |
| 10. १० |
| *************************************** |
| 11. { ? |
| 12. {₹ |
| 13. १३ |
| स्लिप में अनंक अंग्रेजी में छुपे हैं। १०० स्लिप की |
| बन्दी को पैड कहते हैं। |
| अंग्रेजी अंक-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| हिन्दी श्रंक-१२३४ ५६७ = ६९० १११२ १३१४ |
| भारतीय मनुष्य गणना १६५१ विध्यमदेश |
| शुमार कुनिन्दा का गोशवारा |
| जिंबा |
| तहसील ···· ·· चार्ज न ० ··· ·· ·· क्रिक्त न ० ··· ·· ·· स्रिक्त न ० ··· ·· ·· · |
| भर्वा |

| मौजा स्लाक नं० |
|---|
| मोहल्ला |
| तारीख शुरू करने, पहिली गिनती |
| स्रतम करने |
| तादाद किताबें |
| पैंड जो काम में लाई गई |
| गोशवारा |
| श्राबाद घरों की संख्या |
| संस्या मनुष्य मनुष्य |
| स्री |
| मीजान••••••• |
| शरगार्थियों की संस्था |
| दस्तखत शुमार कुनिन्दा |
| जाँच किया श्रीर सही पाया |
| दस्तखत सुपरवाइजर ··· ·· ·· |
| ता <i>०</i> |
| सूचनादफा ६ में दर्ज की हुई हिदायत के अनुसार |
| इस पत्रे को फाइ कर काम में ताना चाहिये। |
| |

मनुष्य गण्ना करने की हिदायत-

भाग (अ) श्राम हिदायत :— नोट :—(१) एन्यमटेन या श्रमार क

नोट :—(१) एन्यूमरेटर या शुमार कुनिन्दा उस शब्स को कहते हैं, जो गिनती करते हैं, और स्थिप अथवा पूर्जी लिखते हैं।

(२) एक आदमी के लिये एक स्थिप काम में लाई जावेगी।

१---मनुष्य गराना का उद्देश्य

एक पुराने शुमार कुनिन्दा के शब्दों में मनुष्य गणाना का उद्देश्य है कि गिनती से कोई छूटने न पाने, इसे आप भी अपना उद्देश्य मानिये। लेकिन यह भली भाँति याद रिखये कि प्रत्येक मनुष्य की गणाना केवल एक ही बार हो, घर में आनेवाले अथवा घर से बाहर जानेवाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आपको निशेष सावधान रहना चाहिए कि वे गिनती से छुटने न पार्वे, अथवा उनकी गिन्ती दो बार मी न होने पाये।

३-- मनुष्य गणना की तारीखें

भारतं सरकार ने समस्त भारतवर्ष के लिये १ मार्च सन् १८५१ को सूर्योदय का समय जन गणाना का समय निश्चित किया है, इसका अर्थ है कि १ मार्च १८५१ के सूर्योदय के समय की स्थिति मनुष्य गणाना के कागजों में दर्ज की जावेगी। मनुष्य गणाना सम्बन्धी लिखाई १ फरवरी से शुरू कर दी जावेगी और २० फरवरी १९५१ तक खत्म कर दें। १ मार्च से ३ मार्च तक आखिरी जाँच कर ली जायगी।

र-धर में रहनेवाओं की गणना

- (१) र परवरी से २ = परवरी के बीच २० दिन के समय
 में आपको अपने ब्लाक के हरएक घर के रहनेवालों
 की गिनती खतम कर डालना चाहिए, हरएक घर
 में आपको ऐसे प्रत्येक आदमी की जो वहाँ आपको
 मौजूद मिले, या जो साधारणता उस घर में रहा करते
 हों, सबकी गणना कर लेना चाहिए।
- (२) फिर मालम किया जाने कि क्या ऐसा भी कोई आदमी है, जो उस घर में रहता हो, लेकिन आपके पहुँचने के समय नहीं मौजूद नहीं है। अगर ऐसा कोई है, तो उसकी गिनती आप करलें, ऐसे आदमियों की गिनती आपको न करना चाहिए कि जो र फरवरी से पहिले घर छोड़कर बाहर चला गया है, और १ मार्च तक नापस घर आने की उम्मेद नहीं है।
- (३) घर में ऐसे भी बाहर से आनेवाले पाये जा सकते हैं, जो वहाँ हमेशा न रहते हों, आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने अपना घर कब छोड़ा और कब बह वापस अपने घर पहुँच जावें गे। अगर उन्होंने र फरवरी या उसके बाद अपना घर छोड़ा है, या १ मार्च ५१ के सूर्योदय के पहिले घर वापस पहुँच जानेविले हैं, तो उनकी गिनती आप न कीजिए। अगर कोई मनुष्य अपने घर से मनुष्य गणना की

पूरी अविधि यानी र फरवरी से २० फरवरी तक बाहर रहा हो, और कहीं दूसरी जगह गिनती नहीं किया गया, तो जिस घर में वह मिले, वहीं उसकी गिनती कर लेनी चाहिए।

(४) गिनती करने का मतलब है कि स्लिप में हरएक प्रश्न का उत्तर हिदायत के अनुसार एक एक मनुष्य का आप दर्ज करें। एक मनुष्य या स्त्री या बच्चे के लिये एक स्लिप काम में लाई जायगी।

४-- वे घर द्वारवाले लोगों की जन गणना-

ऐसे लोग जो घर में नहीं रहा करते। (जैसे—कंजर, साधू, संन्यासी, यात्री इत्यादि) उन्हें २ ८ की फरवरी की शाम को जहाँ कहीं भी पाये जावें, वहीं गणाना कर लेनी चाहिए।

५--श्रास्तीरी जाँच

१ मार्च के सबरे से आपको अपने ब्लाक की अध्वीरी जाँच शुरू करना चाहिए, और ३ मार्च के अन्दर जितनी जल्दी हो सके, आखीरी जाँच खतम कर देना चाहिए। आखीरी जाँच के लिये आपको अपने ब्लाक के हर घर पर ! मार्च के सबरे से पहुँचना चाहिए और जो गिन्ती आपने १ फरवरी से २ परवरी तक में की हो, उसको १ मार्च के स्थॉदय के समय की स्थित के अनुसार दुहस्त कर लेना चाहिए।

अर्थात्—

- (१) आपके गिन्ती करनेवाले दिन से १ मार्च के सूर्योदय के समय तक अगर बच्चे पैदा हुए हों, तो उनकी गिन्ती कर लेना चाहिए।
- (२) इसी बीच में अगर आपके ब्लाक में किसी घर में कोई मृत्यु हो गई है, तो उस मृत ब्यिक्त की स्लिप पर आपको लकीरें एक कोने से दूसरे कोने तक खींचकर काट देना चाहिए। और उस पर लिख देना चाहिए कि मृत्यु हो गई है, और स्लिप को मोड़ देना चाहिए।
- (३) अगर कोई बाहर से आनेवाला मनुष्य आपको अपने ब्लाक में मिले, श्रीर पूछने पर आपको

,मालूम हो कि उसकी गिन्ती श्रभी नहीं की गई है तो श्रापको उसकी गिन्ती कर लेना चाहिए।

६---गोशवारा

पहिली गिन्सी खतम हो जाने पर पुरुष, स्त्री व पढ़ों की संख्या पैड पर लिखकर पैड सुपरवाइजर को वापस कर देना चाहिए अगैर आखिरी जाँच शुरू करने के लिये सुपरवाइजर से पैड फिर से ले लेना चाहिए। आखिरी जाँच पूरी हो जाने पर "शुमार कुनिन्दा का गोशवारा" फार्म जो इस हिदायत में 'नमून। स्लिप' के बाद छुपा है उस पन्ने को अजाहिदा करके उसी पर की व पढ़ों की संख्या दर्ज करके पैड, हाउस लिस्ट गोशवारा के साथ सुपरवाइजर को सौंप देना चाहिए।

७-कानूनी अधिकार व कर्तव्य

मारतीय सेंसस ऐक्ट के अन्दर प्रत्येक पुरुष बाध्य है, कि मनुष्य गणाना सम्बन्धी सवालों का उत्तर आपको दे, मनुष्य गणाना के लिये कोई गैर ताल्लुक या गैर जरूरी प्रश्न जैसे किसो की क्या आमदनी है, इत्यादि, आपको नहीं पूछ्रना चाहिए, मनुष्य गणाना के सिलसिले में जो जवाबात आपने किसी के बाबत इकट्ठा किये हों, वह भारतीय मनुष्य गणाना कानून के अनुसार आप बाध्य हैं, कि किसी को न जाहिर करें । मनुष्य गणाना सन्बन्धी हर तरह की लिखा पढ़ी व कागजात भारतीय सेंसस ऐक्ट के अनुसार गुप्त माने गये हैं, मनुष्य गणाना सम्बन्धी जुर्म के चालान के अलावा किसी प्रकार के दीवानी, माल, या फीजदारी, के मामलों में मनुष्य गणाना के कागजात भारतीय सेंसस ऐक्ट के अनुसार शहादत में नहीं पेश किये जा सकते।

श्चगर कोई शुमार कुनिन्दा मनुष्य गणना के सम्बन्ध में किसी बहाने से किसी से रूपया लेता पाया जावेगा, तो वह मनुष्य गणना कानून या ताजीरात हिन्द के श्चनुसार दण्डनीय होगा।

 गिन लीजिए । देख लीजिये, कि आपके ब्लाक के लिये कम तो न होगी, इसी प्रकार आखिरी जाँच शुरू करने के पिहले अगर स्लिपों की जरूरत हो, तो सुपरवाइजर से स्लिपों ले लीजिये । सुपरवाइजरान अगर जरूरत समर्फें, तो पैड-अर्थात् बंदी की जिल्द तोड कर स्लिपें एन्यूमरेटर को दे सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब सुपरवाइजर को रखना होगा, और गोशवारा के साथ वह दिसाव भी मेजना होगा, कि कितने पैड सुपरवाइजर को मिले थे । अगर किस प्रकार सुपरवाइजर ने इन पैडों को एन्यूमरेटरों को तकसीम किये, कितने पैड की नत्थी तोड़ी गई वा किस प्रकार स्विपें तकसीम की गई ।

६-- प्रास्तीर भिन्ती खतम करने के बाद

शुमारकुनिन्दा कहाँ पर किस समय व किस दिन इकड़ा होंगे, सुपश्वाइजर को पैड व गोशवारा सीपेंगे। इसके बाबत पहिले से सुपरवाइजर से निश्चय करके मालूम कर लेना चाहिए।

भाग-(व)

गिन्ती की स्लिप अथवा पुर्जी या चुटका की खाना पूरी करने के सम्बन्ध में खास हिदायतें:—— (१) स्लिप के ऊपर शिनास्त के लिये खपी हुई संस्था ।

भारत सरकार ने-गिन्ती की स्लिपें छुपाकर भेजी हैं, उन पर जिलों का सांग्रेतिक नं ० छुपा हुआ है कि जिससे एक जिले की स्लिपें भारतवर्ष के किसी दूसरे जिले के काम में न लाई जा सकें, आपको अपनी तहसील सरिकल, ब्लाक का नं ० सुपरवाइजर के जिरेये बतलाया गया होगा। वहीं सब नं ० व मकान का नम्बर आप स्लिप (पुर्जी) के ऊपर जिला के नं ० के बगवरी में लिख देंगे।

जब आपको पैड अथवा स्लिपों की बन्दी मिल जावें, तब प्रत्येक स्लिप पर अश्रापको चार्ज, सरकिल, व इसक का नम्बर प्रहिले से लिख देना चाहिए। फिर जब आप गराना करने के लिये प्रत्येक घर में जानें, तक आपको उस घर में गराना किये जानेवाले प्रत्येक मनुष्य से सम्बंधित प्रत्येक स्लिप अथवा पुजों में घर का नम्बर लिखना चाहिए। अगर किसी घर में एक कुटुम्ब से ज्यादा कुटुम्ब हों, तो ऐसी सूरतों में प्रत्येक कुटुम्ब को पहचानने के लिये घर के नम्बर में आ, ब इत्यादि अच्चर छोंड़ देना चाहिए, जैसे कि यदि घर नं० ४६ में दों कुटुम्ब हैं, तो पहिलेबाले से सम्बन्धित स्लिप में नं० ४६ ब लिखना चाहिए। जिससे कुटुम्बों की संख्या मालूम की जा सके।

प्रश्न इस पुस्तक के पृष्ठ न ० १ में. छापे गये हैं, गिन्ती किये जानेवाले लोग प्रश्नों का जो उत्तर दें, वह आप स्लिप पर सम्बन्धी प्रश्न की लकीर पर दर्ज करें, उत्तर सांकेतिक रूप में दर्ज करना चाहिए। संकेत में लिखने का तरीका इसलिये जारी किया गया है कि जिसमें अधिक लिखना न पड़े, और अधिक कागज न खर्च हो। संकेत लिखने में साजधानी से काम लिया जावे, जिससे कोई गलती न हो। आपको उत्तर लिखते समय अपने सामने प्रश्नों की सूची रखना चाहिए।

जिस मनुष्य की गणना आप कर रहे हैं, उससे स्पष्ट और सीधे प्रश्न करना चाहिए। अधिकतर लोग आपका प्रश्न समझ लेंगे और उसी समय ठीक-ठीक उत्तर दें देंगे। अगर कोई आपका प्रश्न न समझे, तब आप प्रश्न को सरल शब्दों में समझा देंगे। जो कुछ उत्तर आपको प्रश्नों का मिले उसको उसी रूप में दर्ज करना आवश्यक है।

प्रश्न १-(नाम और कुटुम्ब के मुखिया से सम्बन्ध)

मनुष्य गणाना के लिए "घर" की व्याख्या यह की गई है, कि मनुष्यों के रहने की जगह, जिसमें अलग एक मुख्य द्वार हो। कुटुम्ब का अर्थ है, ऐसे सभी मनुष्य जो एक ही कर में एक साथ रहते हों, और उनका एक ही भोजनालय हो, सम्भव है किसी घर में एक से अधिक कुटुम्ब रहते हों और एक ही भोजनालय में खाना खाते हों। ऐसी दशा में उन सब की एक कुटुम्ब न मानकर जितने कुटुम्ब हों, उतने कुटुम्ब माने जावे में। कुटुम्ब की मुखिया वह है जिस पर घर के प्रबन्ध की मुख्य जिम्मेदारी निर्भर हो। आपको इसके सम्बन्ध में और कुछ अधिक पूँ छताछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुटुम्ब के ऐसे आदमी को घर का मुखिया मान लेना चाहिए जिसको कुटुम्ब के लोग मुखिया मानते हों। एक कुटुम्ब के अन्दर ऐसे आदमी आ जाते हैं (कैसे बरेलू नौकर, बाहर से आकर ठहरने वाले मनुष्य इत्यादि) जिनका सम्बन्ध कुटुम्ब के मुखिया से नहीं है लेकिन साथ रहते हैं और उनका एक ही भोजनालय है, पहिले आपको कुटुम्ब के मुखिया को गिनती करना चाहिए।

सांकेतिक चिह्न

कुटुम्ब के मुखिया के नाम के बाद में मुखिया के लिये १ लिखिये। नजदीकी सम्बन्धियों के लिये (जैसे, पत्नी, पुत्र, लड़की, बहन, माई, पिता, माता) जैसा हो, पूरा सम्बन्ध लिखिये। इसके अलावा दूसरे सम्बन्धियों के लिये २ लिखिये। अगर कोई ऐसे हों जिनसे कोई सम्बन्ध न हो, ० लिखिये।

प्रश्न २-(ग्र) राष्ट्र (ब) धर्म (स) खास जातियाँ---

हिस्सा-(अ)---

राष्ट्र-हिन्दुस्तानी राष्ट्र के लिये १ लिखिये। हिस्सा-(ब)---

धर्म हिन्दुओं के लिये हि० मुसलमानों के लिये मु० अप्रेजों के लिये अर्थ सिक्खों के लिये मि० जैनों के लिये जै॰ लिखिये, दूसरों के लिये पूरा नाम धर्म का लिखिये।

हिस्सा-(म)---

खास जातियाँ एंग्जों इंडियन (हिन्दुस्ताना अप्रेजे मिश्रित जाति) के लिये आहा लिखिये, जो मनुष्य यह कहता है कि वह किसी जाति या वर्ग का सदस्य नहीं है, उसके लिये ० लिखिये। इस पुस्तक के परिशिष्ट में दी हुई सूची के जाति के लोगों के लिये १ लिखिये। अन्य जातियों के लिये जाति या फिरके का नाम लिखिये।

प्रश्न ३-(ब्याहा या कुँवारा)

बिन ब्याहा के लिये १, ब्याहा के लिये २, विधवाया विधुर के लिये ३, लिखिये। अगर तलाक दी हुई है, या दिया हुआ है तो ० लिखिये।

प्रश्न-४-(उमर)

यह जरूरी प्रश्न है । बहुत से आदमी अपनी सही-सही उम्र बतलाने में कठिनाई जाहिर किया करते हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, श्रीर जहाँ तक सम्भव हो, गणना किये जाने वाले मनुष्य की सही उम्र लिखने की कोशिश करना चाहिए । अगर श्राप सीधे सही उम्र नहीं मालूम कर पाते, तब आपको बीती हुई किसी जरूरी स्था नीय घटना का जो प्रत्येक आदमी को स्मरण हो, हवाला देकर सही-सही उम्र मालूम करना चाहिए । आपको घट-नात्रों की सूची सुपरवाइजर की मदद से बना लेना चाहिए। श्रीर उसी की मदद से उम्र मालूम करने की कोशिश करना चाहिए। स्थानीय घटनाओं का सन्, सम्बत् नोट रखना चाहिए । श्रक्सर गाँवों में रहने वाले लोग बतला-येंगे कि अमुक महाराजा के जन्म या मृत्यु के साल वह ५ बरस का था, अगर आपको उनके जन्म या मृत्यु का सन् मालूम है, तो आप उस मनुष्य की उम्र ठीक-ठीक दर्ज कर सकेंगे । इसी प्रकार स्थानीय घटनाओं की सूची सुपरवाइजर की मदद से बनाई जाकर हरएक शुमार कुनिन्दा के पास मौजूद रहना चाहिए। एक साल से कम उगर के बचौं की उमर ० लिखे बाकी के लिये पूरे साल व महीना लिखिये।

प्रश्न-५-जन्म स्थान

गणाना किये जाने वाले जिला में पैदा हुआ हो, तो १ लिखिये। अगर िस्सी दूसरे जिले की पैदाइश हो तो उस जिले का नाम लिखिये। अगर विध्य प्रदेश के बाहर की पैदाइश है, तो जिला व प्रान्त देश लिखिये।

प्रश्न-६-श्राणी

शरगार्थी की व्याख्या यह है:— "शरगार्थी" से अभिप्राय यह है, कि जो कोई मनुष्य पश्चिमी पाकिस्तान से अपना घर १ मार्च १८४७ को या उसके बाद छोड़कर या जबरदस्ती छोड़ने को मजबूर किया जाकर हिन्दुस्तान में आया हो, या पूर्वी पाकिस्तान से अपना घर १५ अक्तूबर १८४६ या उसके बाद छोड़कर आया हो, जिसका कारगा राजनैतिक उपद्रव या ऐसे उपद्रव का भय या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हो।

सांकेतिक-चिह्न-

श्रगर शुभार होने वाला मनुष्य शरणार्थी नहीं है, तो उसके लिए इस खाना के दोनों भागों में ० लिखिये। श्रगर वह शरणार्थी है, तो उसकी हिन्दुस्तान में आने की तारीख इस खाने के पहिले हिस्से में लिखिये। श्रीर पाकिस्तान का असली जिला दूसरे हिस्से में लिखिये।

प्रश्न-७-मातृभाषा

मातृमाषा वह भाषा है, जो बचपन से बोली जाती है, नाबालिंग अगैर बहरे व गूँगों की मातृभाषा के मामलों में उनके माता की मातृभाषा लिखिये।

हिन्दी के लिये १ जिसकी मातृमाषा हिन्दी नहीं है, बंगाली, मराठी, गुजराती इत्यादि हो, तो उस भाषा का पूरा नाम लिखिये।

प्रश्न-८-दूसरी भाषा

श्रगर कोई मनुष्य मातृभाषा के श्रलावा कोई दूसरीं हिन्दुस्तानी भाषा बोलता है, तो उस भाषा का नाम लिखिये। श्रगर हिन्दी के साथ दूसरी हिन्दुस्तानी भाषा नहीं बोलते तो उनके लिये ० लिखिये।

प्रश्न-६-

(१) जिसकी गिनती आपको करना है, उसके बाबत यह जानने की जरूरत है कि वह "स्त्रयं पूरी जीविका कमाने बाजा है" अथवा "आशिक जीविका कमाने वाला" आश्रित है या विलकुल जीविका न कमाने वाला आश्रित है।"

भेद नीचे समकाकर श्रंकित किया जाता है:--

"स्वयं पूरी जीविका कमाने वाला"वह मनुष्य है—जिसकी आमदनी इतनी है, कि वह अपना गुजर-बसर चलाने के लिये काफी है, जो मनुष्य अपने जिए पूरी जीविका नहीं कमाता वह आश्रित है।

श्राश्रित दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो "श्राशिक जीविका कमानेवाला श्राश्रित" अथवा "बिलकुल जीविकान कमानेवाला श्राश्रित" उसकी कसौटी यह है, कि क्यावह नियमित श्रामदनी प्राप्त करता है? चाहे वह थोड़ी ही क्यों न हो,ऐसी श्रामदनी नकद हो सकती है, या जिन्स गल्ला के रूप में हो सकती है, जहाँ किसी मनुष्य की श्रामदनी इतनी काफी नहीं है, कि वह श्रादमी "श्राशिक जीविका कमानेवाला कहा जावेगा।"

जिस आदमी को कोई आगदनी नकद या गल्लाया किसी दूसरे रूप की नहीं है, तो बह ''बिलकुल जीविकान कमाने वाला आश्रित कहा जायगा।

नोट — जहाँ एक ही कुटुम्ब के दो या दो से ज्यादा श्रादमी जमीन को जोतते हैं श्रीर उससे श्रामदनी प्राप्त करते हैं, उनमें से प्रत्येक श्रादमी श्रामदनी का एक हिस्सा कमाता हुश्रा सममा जाना चाहिये। इसलिये इनमें से कोई श्रादमी बिलकुल न कमाने वाला नहीं है, इनमें से प्रत्येक को या तो स्वयं पूरी जीविका कमानेवाला मनुष्य या श्राशिक जीविका कमानेवाला मनुष्य सममा जाना चाहिए। यह सिद्धांत सामेदारी में चलाये हुए-दूसरे रोजगार के सम्बन्ध में भी लागू होता है।

इसका मतलब यह नहीं हैं, कि हर एक काम करने वाला पूरी जीविका स्वयं कमाने वाला या आशिक कमाने नाला जरूर माना जानो चाहिए। उदाहर एए — के लिये घर की ली जो कुटुम्ब के लिये मोजन पकाती है, बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, या घर गृहस्थी का इन्तिजाम करती है, वह निरचय ही बहुत उपयोगी काम करती है, परन्तु वह घर या गृहस्थी की आमदनी नहीं बढ़ाती, इसिलिये उसकी आर्थिक दशा बिलकुल न कमानेवाले आप्रित की तरह है, और वह बिलकुल न कमानेवाली आप्रित ही शुमार की जाना चाहिए।

मांकेतिक-चिह

स्वयं पूरी जीविका-उपार्जन करनेवालों के लिये १ लिखिये, बिलकुल अपनी जीविका न कमानेवाले आश्रित के लिये २, आश्रिक जीविका कमानेवालों के लिये ३ लिखिये। खाने के पहिले हिस्से में जवाब लिखिये।

प्रश्न—६—(२)

इस प्रश्न द्वारा आपको यह मालूम करना है, कि स्तरं पूरी जीविका कमानेवाला मनुष्य दूसरों को नौकर रखने-वाला है, या दूसरों का नौकर है, या स्वतन्त्र काम करने-वाला है।

- (अ)— आपको दूसरे को नौकर रखनेवाला उसी को मानना चाहिए, जो अपने उद्यम रोजगार को चलाने के लिये दूसरे मनुष्य को नौकर रक्खा करता हो, परन्तु यदि कोई आदमी अपने घरेलू काम के लिये रसोइया या किसी दूसरे आदमी को घरेलू खिदमतगारी के काम में नौकर रखता है, तो उसे दूसरों को नौकर रखनेवाला नहीं लिखना चाहिये।
- (ब)—दूसरों का नौकर, वह श्रादमी है, जो साधारणतया श्रापनी जीविका कमाने के लिये तनख्वाह या मजदूरी नकद या गल्ला या जिन्स के लिये किसी दूसरे श्रादमी के श्राधीन काम करता हो, बहुत से ऐसे श्रादमी हो सकते हैं। जो मैनेजर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, एजेन्ट की हैसियत से काम करते हैं श्रीर इस हैसियत से काम करते हैं, मैनेजर, एजेन्ट, भी

केवल नीकर हैं श्रीर उन्हें दूसरों का नीकर जिखना चाहिए।

(स)— "स्वतन्त्र काम करनेवाला" से अमिप्राय यह है, कि कोई मनुष्य जो अपनी जीविका कमाने के लिये दूसरे के द्वारा काम में न लगाया गया हो, और न किसी को काम में लगाता हो।

नोट-इसे भली भाँति ध्यान में कर लीजिए, कि आश्रित (चाहे आशिक जीविकाकमाता हो, या बिलकुल न कमाता हो) इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी दर्जन किया जावे।

सांकेतिक चिक्र-

अगर दूसरों को नौकर रखने की हैसियत से कोई अपनी जीविका स्वयं कमाता है, तो उसे १ लिखिये। जो दूसरों के नौकर हैं, उसके लिये २ लिखिये। स्वतन्त्र काम करनेवालों के लिये ३ लिखिये। अन्य दशाओं गें ० लिखिये, जवाव खाने के दूसरे हिस्से में हिखिये।

प्रश्न-१०जीविका के मुख्य साधन

यह बहुत जरूरी प्रश्न है, इसलिये इसमें बहुत ही सावधानी रखिये, अगपको प्रत्येक मनुष्य से पूछना है, कि उसकी जीविका का क्या जरिया है, और इसका उत्तर यहाँ लिख दीजिये। एक आदमी का एक से ज्यादा जीविका का साधन हो सकता है, इस हाजत में ऐसा धंधा जिसके जरिये आमदनी का सबसे ज्यादा हिस्सा आता हो, वही उसके जीविका/का भुख्य साधन कहा जायगा। श्रीर ऐसा दूसरा धंधा जिसके जरिये उसके आगदनी का उसके बाद मुख्य जरूरी हिस्सा आता हो, वहीं उसके जीविका का सहायक साधन कहा जायगा । आपको प्रश्न १० के सामने जीविका का केवल मुख्य साधन ही लिखना है. प्रश्त ११ के आधीन अलग सहायक साधन दिखलाया जाना चाहिए। बिलकुल जिविका न कमानेवाले आश्रित अपने निजा जीविका का कोई साधन नहीं रखता, उसके जीविका का मुद्ध्य साधन वहीं लिखना चाहिए, जो उसके पूरी जीविका कमानेवाले घर के मुखिया का हो. इसी तरीका से जीविका का राधन आशिक जीविका वमानेवाले आश्रित के बाबत भी जिस पर वह आशिक आश्रित है उसका मुख्य साधन जीविका का लिखना चाहिये।

(नीचे के पैरा ११ को देखिये)

अर्थात — जीविका स्वयं कमानेवालं मनुष्य के सम्बन्ध ना प्रश्न १० का जवाब जो लिखा है, वही जवाब उसके आश्रित मनुष्यों का होना चाहिये। चाहे वह आश्रिक जीविका कमाता हो, या बिल्कुल जीविका न कमाता हो।

खेती की जीविका दर्ज करने के लिये चार सांवेतिक िह्न नियत किये गये हैं, अगर आप पाते हैं, कि
कोई मनुष्य इन चार श्रेशियों में से दो के अन्दर आ
जाता है, तो इसे ध्यान रिखये कि वह श्रेशी जो सबसे
ज्यादा आमदना बतलाती है, उसे प्रश्न १० के सामने
लिखना चाहिये। और जो दूसरी सहायक आमदनी
बतलाती है, उसे प्रश्न ११ के सामने लिखना चाहिये,
किसी भी हालत में ऐसी दो श्रेशी से ज्यादा लिखने की
आवश्यकता नहीं है।

खेती से जिनकी जीविका नहीं है, उनके बाबत साफ तौर से पता लगाइये, ऋौर साफ-साफ लिखिये, वह क्या उद्यम, या रोजगार, या नौकरी करता है, श्रीर कहां करता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये जितनी ज्यादा तफसील दर्ज की जा सके, रिलप सवाल नं ० १० में तीन लकीर रक्खी गई हैं उन तीन लकीरों को लिखने के काम में लाना च। हिये, ऐसे शब्द न लिखिये, जिनसे पूरी तफसील न मालूम हो सके, जैसे नौकरी, मजदूरी, रोजगार, इत्यादि । अगर आप व्यापारी की गगाना कर रहे हैं, तो वह जिन चीजों का व्यापार करता हो, उन खास-खास चीजों का नाम लिख्ये। श्रीर साफ तौर से जाहिर की जिये, कि वह धोक का या फुटकर का व्यापारी है। फुटकर व्यापारी वह है जो जन साधारण को बेचता है, श्रीर थोक व्यापारी वह है, जो जन साधारण को नहीं बेचता है, बिल्क दूसरे छोटे व्यापारी को बेचता है।

ऋगर ऋगण किसी कारखाने के मजदूरों की गराना कर रहे हैं, तो ऋगण फैक्टरी का नाम दीजिये। ऋौर फैक्टरी में बननेवाली चीजों का नाम भी दीजिये। जैसे कोयला की खदान, दियासलाई का कारखाना या चूना का भट्टा, मेज, कुरसी बनाने का कारखाना इत्यादि।

अगर कोई नौकर है, तो किस काम या अगेहदा पर नौकर है, लिखिये। व किसका नौकर है, यह भी जाहिर कीजिये, मजदूर हो तो किस काम या रोजगार का नौकर है, तफसील लिखिये।

सांकेतिक चिड

अपने खुद की जमीन में स्वयं जोतनेवाले मनुष्य के लिये, अर्थात् जो जमीदारी हक या पट्टेदारी हक रखता हो, १ लिखिये । दूसरं की जमीन को जोतनेवाले मनुष्य के लिये अर्थात्—शिक्षमी काश्तकार के लिये २ लिखिये। जमीन जोतनेवाले मनुष्य की तरफ से जो मजदूर काम में लगाये जावें, उन मजदूरों के लिए ३ लिखिये।

जो मनुष्य अपनी जमीन लगान पर या बटाई में उठा देता है, अपीर जमीन शिकमी द्वारा जोती जाती है तो ऐसे जमीन का लगान पानेवाले मनुष्य दे लिये ४ लिखिये।

दूसरे सभी हालतों में बड़ी सावधानी के साथ जीविका उपार्जन करने का पूरा साधन व स्थान व्यौरान् वार लिखिये!

प्रश्न-११-जीविका के सहायक साधन

आपने प्रश्न १० के सामने जो जवाब लिखा है, उसे इस प्रश्न के सामने दुबारा मत लिखिये।

(अ) कुळ्ळ हालतों में ''स्वयं पूरी जीविका कमानेवाले मनुष्यं' का एक से ज्यादा कमाने के साधन हो सकते हैं, अगर ऐसा है, तो प्रश्न ११ के सामने जीविका का सहायक साधन लिखना चाहिए। (ब) "आंशिक जीविका कमानेवाले आश्रित" का निर्वाह अंशतः किसी दूसरे की आमदनी पर होता है, और अंशतः अपनी खुद की आमदनी पर, यह पूजना जरूरी नहीं है, कि कौन सा ज्यादा आवश्यक है, स्वयं पूरी जीविका कमानेवाला मुखिया का जो कमाने का मुख्य साधन होगा, वही उसके आश्रित मनुष्यक। मुख्य साधन होगा। यही साधन सवाल न ० १० के उत्तर में आंशिक आश्रित के बाबत जिखिये।

वह धंषा जिससे आंशिक आश्रित की आंशिक आगदनी होती है, वह हमेशा उसके कमाने का सहा-यक साधन होगा। जो प्रश्न ११ के सामने आंशिक आश्रित के बाबत लिखना चाहिए।

(स) "बिलकुल न कमानेवाले आश्रित" के पास जीविका का कोई सहायक साधन नहीं रहता है, इसिलये प्रश्न नं०११ में उसके बाबत × निशान लगाया जावे।

सांकेतिक चिह्न

प्रश्न १० में दिये चिह्नों को इस्तेमाल की जिए।
स्वयं कमानेत्राले मनुष्य जिनके पास जी विका उपार्जन का एक ही साधन हो, खाना नं० ११ में उसके
बाबत • जिखिये। बिलकुल न कमानेवाले आश्रित के
लिये भी • लिखिये।

प्रश्न-१२-(पढ़ा लिखा ऋौर शिचा)

पढ़ने की पहचान यह है कि छुप। हुआ या हाथ से लिखा हुआ कोई भी मामूली चिट्ठी पढ़ने की थोग्यत। रखता हो।

सांकेतिक चिक्र

जो न लिख सकता है, न पढ़ सकता है, उसके लिये • लिखिये। जो केवन पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसके लिये १ लिखिये। जो पढ़ व लिख सकता है, उसके लिये २ लिखिये। लेकिन जिसने कोई परीचा पास की है, तो उसमें २ न लिखकर अन्तिम पास की हुई परीक्षा का नाम लिखिये | जैसे दर्जा ४, हिन्दी मिडिल, अंग्रेजी दर्जा ८, मैट्रिक, बी० ए०, एम० ए०, एल० एल० वी इत्यादि |

प्रश्न-१३-बेकारी

जो नाबालिंग १६ साल से कम या बृहे ६० साल की उम्र से ज्यादा हैं, घर के मुखिया की खी, विद्यार्थी, अपंग, अंग-भंग इत्यादि। जो किसी श्रामदनी के लिये काम नहीं करते हैं, उनके लिये ० लिखिये।

जो मनुष्य गणना के दिन आमदनी के लिये काम करता हो, या उस दिन आमदनी वाले काम से छुट्टी पर हों, उनके लिये १ लिखिये। जो मनुष्य गणना होने की तारीख से किसी काम में न लगा हो, अर्थात् वेकार हो, और मनुष्य गणना होने की तारीख से ३ माह से कम समय से काम हूँ द रहा हो, ऐसे मनुष्यों के लिये २ लिखिये।

जो मनुष्य गर्मा होने की तारीख से ३ माह या ३ माह से ज्यादा समय से काम की तलाश में हों और काम न पाया हो, अर्थात् वेकार हों, ऐसे मनुष्यों के लिये जितने माहों से काम न पाया हो, अर्थात् लगातार वेकार हों, ऐसे पूरे माहों की संख्या लिखिये जैसे ३,. ४, ५, ६, ७ इस्यादि से १२ तक।

प्रश्न-१४--(पुरुष या स्त्री)

जनखों व हिजड़ों को मनुष्यों में शुमार करना चाहिए।

सांकेतिक चिह्न

मतुष्य के लिये १ व स्त्री के लिये २ लिखिये।

अभ्यास

श्रापको प्रश्नावली व हिदायत को बहुत सावधानी-पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के समक्षने व जवाब लिखने का अभ्यास जितना ज्यादा हो सके कीजिये। आप कागज के टुकड़ों पर या तस्ती या पृष्टी पर ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, मुकाबिलों के लिये जिस प्रकार तैथ्यारी की जाती है, उसी प्रकार तैथ्यारी प्रश्नों को समझने व उनका उत्तर ठीक-ठीक लिखने का अभ्यास करना चाहिए।

कठिनाई की किसी भी हालत में अपने सुपरवाइजर

से सहायता लीजिये। यह बात ध्यान में रिखए, िक भारतीय जन गराना की सफलता के बिए अर्थात् सही आंकड़े इकट्टा करने के लिये भारतवर्ष आप पर निर्भर है।

--:0:---

१६५१ भारतीय जनगणना

विन्ध्यप्रदेश

हिदायत नम्बर ५ अ

दिनाङ्क १५-१२-५०-

शुमारकुनिन्दा के लिये--

हरएक सुपरवाइजर श्रीर शुमारकुनिन्दा को हिदायत नम्बर ५ के साथ साथ यह हिदायत नम्बर ५ श्रामी दी जाना चाहिये।

भारत सरकार का आदेश है कि गिनती करनेव बाले परचे में व राष्ट्रीय रिजस्टर में हर शख्स की बिल्दियत और व्याही खी के पित का नाम लिखा जाना चाहिये।

इसके लिखने के लिये गिनतीवाले परचे में कोई जगह खास नियत नहीं की गई थी, लेकिन लिखने का अब आदेश है। इसलिये इस तरीके से यह आदेश पूरा किया जावे कि प्रश्न १ के लिये जो जगह है उसमें नाम के साथ पिता का नाम और व्याही खी के नाम के साथ उसके पति का नाम लिखा जावे और उसके बाद संवेत बाबत होने मुखिया या रिश्ता जैसा कि पृष्ठ १५ (हिदायत नम्बर ५) में लिखा है, लिखा जावे।

अगर प्रश्न नम्बर १ की लकीर में विल्दियत लिखने के लिये जगह कम जान पड़े तो प्रश्न नम्बर ५ की लकीर में जिसमें सकेत बाबत जन्मस्थान सिर्फ लिखना होगा जो श्रिधिकतर लोगों के बाबद सिर्फ १ लिखा जायगा, उसमें कोष्ठ में (वहद) या (स्त्री) लिखा जा सकता है।

शुमारकुनिन्दा जहां सुभीता समर्भे लिखें परन्तु यह ध्यान रक्खें कि हर गिनती किये जानेवाले के पिता का नाम या ब्याही स्त्री के पित का नाम हरएक पर्चे में जरूर लिखें, भूजें नहीं।

राष्ट्रीय नागरिक रिजस्टर जो स्लिपों के साथ २ नौ फरवरी से २० फरवरी तक लिखा जायगा, उसमें खाना नम्बर ३ में हर शख्स के बाबत नाम के साथ पिता का नाम या ब्याही स्त्री के पित का नाम लिखा जावे।

N. K. Dube
१५-१२-५०
सेंसस कमिश्नर,
विन्ध्यप्रदेश, रीवा।

परिशिष्ट

जातियाँ जिनके बाबत खाना नं० २ (स) में सांके-तिक चिद्व १ लिखा जावेगा | जैसा कि प्रश्न नं० २ के उत्तर में दिदायत दर्ज की गई है |

- १-बेहना, जुलाहा, पठान, सैय्यद, शेख, साई इत्यादि हर तरह के मुसलमान।
- ्—कायस्थ, जोगी, कलार, प्रधान, पाइक, बोधी, बर्र्ड, गोसाई, चिकवा, छीपा, दरजी, खेरिपा, बरगाही, सोनार, नाई, माली, कचेर, धोबी, श्रौधिया, पटवा, भरभूजा।
- ३--- अप्रवाल, कसौधन, केसरवानी, दुसरिया वगैरह हर तरह के बनिया।
- ४— बघेल, बुन्देल, चन्देल, चौहान, दिखित, गहरवार, कछवाह, करचुली, परिहार, परमार; रघुवंशी, किचर, गौर, राठौर, संगर, सोमबंशी, वैश, तोमर वगैरह हर किस्म के सम्बद्धा।
- ५ कनीजिया, सरवरिया, सनाट्य, जुक्कीतिया, गीइ वगैरह हर तरह के बाह्यसा ।

--:0:--

भारत सरकार जन गणना १६५१ विन्ध्य-प्रदेश

हिदायत नम्बर ६ दिनांक १-७-५० (सुपरवाइजर के लिये) वावत तैयारी नागरिकों का राष्ट्रीय रिजस्टर

१-भारत सरकार ने मनुष्य गराना के साथ साथ समस्त भारतवर्ष में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का निरचय किया है, यह रजिस्टर छुपे हुए फार्मों पर तैयार होगा, छुपे फार्म भेजे जा रहे हैं।

२-एक लकीर एक स्त्री या पुरुष के इन्द्राज के लिये काम में लाई जाय, इरएक स्त्री, पुरुष बच्चों का इन्द्राज इस रजिस्टर में हो जाना चाहिए।

३-१ परवरी ५१ से २ परवरी ५१ तक के दरिमयान यह रिजस्टर तैयार किया जाना चाहिए।
मनुष्य गराना का जो इन्द्राज स्लिपों परिकया जानेगा,
उसी के अनुसार इस रिजस्टर का भी इन्द्राज होना
चाहिए।

8-रजिस्टर को तैयार करने के लिये हरएक १०० नाम के इन्द्राज के लिये॥) उजरत दी जावेगी।

५ – हर २५ लकीर के बाद २ लकीरों की जगह खाली - छोड़ दी जावे मीजान के लिये।

६-यह रजिस्टर साफ श्रीर अच्छे तरीका से लिखा जाना चाहिए। ७-लिख जाने के बाद एक सरिकल के लिखे हुए फार्म ब्लाक के नम्बर सिलिसिला वार नत्थी किये जाकर चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट की हाउस लिस्ट व पैड व गोशवारा के साथ दिये जायँगे।

=-चार्ज सुपिन्टेन्डेन्ट साहबान पैड हाउस लिस्ट गोशवारा चार्ज के साथ चार्ज के राष्ट्रीय रजिस्टर रावा सेंसस दफ्तर में दाखिल करेंगे।

१-जिला सेंसस अफसर सा० राष्ट्रीय नागरिक रिजस्टर के फार्म हरएक चार्ज की जनसंख्या का अन्दाजा लगाकर फार्म देंगे। हरएक फार्म पर दोनों तरफ १०० नाम लिखे जा सकते हैं।

१०-सुपरवाइजगन को सरिकल की आबादी का अन्दाज लगाकर १०० की आबादी के लिये एक फार्म दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार सुपरवाइजर शुमार कुनिन्दा को फार्म तकसीम करेंगे। ५० से कम आबादी के लिये आधा फार्म दिया जा सकता है।

N. K. Dube Census Commissioner, Vindhya Pradesh, Rewa,

Census of India

विन्ध्यप्रदेश के अन्दर घरेलू धन्धे व दस्तकारी की संख्या व हालत जानने की गिनती १६५०

Instructions for taking a Census of Small Industries in Vindhya Pradesh during 1950.

छोटे घरेलू दस्तकारी गिनती

यह गिनती सिर्फ उन कारखानों में होगी (क) जो विजली, भाष, तेल वगैरह से नहीं चलाये जाते स्पौर उनमें काम करनेवालों की गिनती बीस से कम है (स्त) जो बिजली भाष, तेल वगैरह से चलाए जाते हैं मगर उनमें काम करनेवालों की गिनती दस से कम है सिवाय उन कारखानों के जिनको प्रान्तीय सरकार ने फैक्टरी ऐक्ट की दफा ५ में कारखाना मान लिया है। यह गिनती उन खानों में जिस पर माइन्स ऐक्ट (Mines Act) लागू नहीं होता है, ऋौर घरेलू दस्त-कारी में भी. होगी]

सवाल

- १. कारखाने काया मालिक का नाम
- २. क्या काम होता है.?
- ३. कितने मालिक हैं!
- क्या सब मालिक एक ही खानदान के हैं या कोई बाहर का आदमी भी है ?
- ५, कारखाना पूरे साज चलता है या किसी मौसम में चलता है तो किन-किन महीनों में चलता है ?
- ६ अप्रगर बुनाई का काम होता है तो करघों की तादाद श्रीर कच्चे माल का नाम जैसे रुई, ऊन, रेशम क्या बुना जाता है !
- ७ काम करनेवालों की तादाद

भौरत वादमी क-जवान (१८ सां से ऊपर) ख-नीजवान (१५ साल से १८ साल) ग-बच्चे (१५ साल से कम) घरेलू कारखाने या दस्तकारी की गिनली के फार्मका ममूना ।

| नाम गाँ | व | नाम तहर | तील | .नाम जिला | Ţ. |
|---------------|---------|-------------------------|---|-----------|------|
| न\म व | श्रोहदा | गिनती | करनेवाले | का | |
| ₹ | | ••••• | ••• | | |
| ₹ | | ••••••• | ••••••• | | |
| ₹ | | | ••• •••• | | |
| 8 ·· | •• •••• | | ••• •••• | | |
| ¥ | | | ••••• | ٠. | |
| ξ | | ···· · · · · · | | | |
| ٠.و | | | | | |
| | | • | , , , , , | | |
| क | | | • | | |
| ख | | · · · · · · · · · · · · | ······································ | | |
| ग | | •••• | *** **** **** | | |
| घरेलू व | कारखाने | व दस्तव | नारी की | गिनती के | लिये |
| हिद ।य | तें । | | | | |

यह गिनती छोटी घरेलू दस्तकारी-जिसमें चीजें बनती हों, मरम्मत होती हो या उनपर किसी और किसम का काम चीज को बेचने या इस्तेमाल वरने के लिये किया जाता हो । श्रीर छोटी खानों के बाबत मालूम करने के लिये की जा रही हैं। इसमें गिनती उन्हीं जगहीं के बाबत की जायगी जहाँ लोग काम करने के लिये बराबर जमा होते हों।

२--- करघों की गिनती करना है श्रौर उनसे क्याः काम लिया जाता है, मालूम करना है।

3 - नीचे लिखी इालतों में गिनती नहीं करनी है-

अगर कोई आदमी खुद अपने ही आप काम करता हो अपीर कोई काम करनेवाला न स्वया हो मगर उस हालत में भी अपर उस जगह करधाः लगाहो तो आयापको फार्मभरना चाहिए जैसा कि उत्परनम्बर २ में लिखाहै।

ख. अप्रार काम करनेवालों की गिनती २० या उससे ज्यादा हो ।

ग. श्रार कारखाना बिजली, भाष या तेल वगैरह से चलता हो मगर उसमें काम करनेवालों की गिनती इस या इससे कम हो।

- माइन्स ऐक्ट के मुताबिक प्रान्तीय सरकार को बराबर फार्म भेजे जाते हों।
- श्रुगर किसी जगह एक से ज्यादा किस्म की दस्तकारी होती हो ऋगैर श्रुलग-श्रुलग काम करनेवाले हों तो हर दस्तकारी के लिये श्रुलग-श्रुलग कार्म भरना चाहिए।
- प्र. हर जगह या दस्तकारी के लिये जिसको अप्राप गिनती में लेना जरूरी समर्के अलग-अलग फार्म भरना चाहिये। मरे हुए फार्म गिन-कर तहसीलदार साहब को दे देना चाहिये।
- इ. घरेलू धन्धों की गिनती का फार्म भरने का तरीका पहले गाँव, तहसील व जिला व गिनती करनेवाले का नाम लिखा जावे। सवाल : १ (नाम)

अध्यार कारखाने का कोई खास नांम है तो बह् बिखे नहीं तो मालिक का नाम बिखना चाहिये। सवाब नं० २ (काम)

कारखानों में किस किस्म का काम होता है साफ तौर पर लिखें ताकि पहचान करने व तफ-सील करने में आसानी रहे जैसे साइकिल मरम्मत, रुई धुनाई, मूँज के पायदान बनाना वगैरह। अगर वहीं काम करनेवाले कई किस्म के काम करते हों तो सब कामों के नाम लिखना चाहिये जैसे फरनीचर बनाना और मरम्मत करना। सवाल न ० ३ (मालिकों की गिनती)

अप्रगर एक से ज्यादा मालिक हों तो उनकी गिनती लिखनी चाहिये।

सवाज नं ० ६ (करघों की संख्या श्रीर काम)
करघों की गिनती श्रंकों में श्रीर बुने जानेवाले
कच्चे माल का नाम कोष्टक में लिखना चाहिये !
जैसे ६ (रुई) वगैरह श्रगर एक ही जगह उन्हीं
करघों पर एक से ज्यादा किस्म का कच्चा माल
इस्तेमाल होता हो तो भी लिखना चाहिये ! जैसे
६ (रुई-रेशम) वगैरह श्रीर श्रगर एक ही जगह पर
श्रलग-श्रलग कच्चेमाल के लिये श्रलग-श्रलग करघे
हों तो भी लिखना चाहिये जैसे ६ (रुई) ५ (रेशम)
वगैरह ।

सवाल नं० ७ (काम करनेवाले)

उम्र का हिसाब लगाने के लिये सिर्फ पूरे साल
ही गिनने चाहिये।

सवाल नं० ४-(खानदान बाहर के मालिक)
अगर सब मालिक एक ही खानदान के हों तो
जवाब में (१) लिखना चाहिये, अगर बाहर के
हों तो (२) लिखना चाहिये, अगर जवाब (२)
हों तो बैकिट (Bracket) में बाहर के आदिमियों
की गिनती भी लिखना चाहिये।

भारतीय मतुष्य गणना १६५१ विन्ध्य-प्रदेश

(HOUSE-LIST) वरों की फेररिस्त

| | १नम्बर व्लाक |
|---|---|
| १—नाम मनरा टोबा […] मोहरूबा या वार्ड | ·······२ — नाम शुमार कुनिन्दा |
| २नाम शहर या गाँव | ३—नग्बर सर्किल |
| | ४—नाम सुपरवाइजर |
| ४—नाम जिला | १—नम्बर चार्जे |
| | (हर एक ब्लाक की अलहदा फेहरिस्त होगी) |
| नम्बर जो तफसील दर्ज की जाय नम्बर जो कि रहने का मकान या मकान पर दूकान या मंदिर या जिल्ला गया पदाव | घर में रहनेवालों के मुक्तिया का नाम तादाद घर में रहनेवालों की कैकियत |

भारतीय मनुष्य गणना सन् १६५१

| विन्ध्य | उट्टेज | क्रे | जिला |
|----------|--------------|------|--------|
| 1यम्ब्यू | १५ ९। | 43 | 1 अस्म |

तहसील कसवा

का चार्ज रजिस्टर

| | "चार्जं नम्ब | र | | t | | सकि | ल नम्बर |
|----------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|----------|
| न | ाम चार्ज सुपरि | न्टेन्डेन्ट | | | | नाम सुपर | वाइजर |
| नाम मौजा | नम्बर सिलसिखा मौजा का जो जनरल विकेत रजिस्टर में हो | नभ्यर सिलसिला ब्लाक का | साद्दाद् मकान ब्लाक | नाम गिनती करनेवाले का | मकानों पर नम्बर लगाना स्थतम हुआ उसकी तारीख | तारीस जिस रोज सुपरवाइजर ने मकानों पर नम्बर जगाने की जाँच की | कैफियत |
| 3 | ર | 3 | 8 | ł | Ę | 6 | 5 |

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर

| | विन्ध्य प्रदे तहसील | • | | | | | | | गाँव या व | र्डकानम् | | - | सना १६ | |
|--------------------------------------|------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|------|--|-------------------------|------|-----------|---|------|---|--|--------|
| मकान या कुटुम्ब का नम्बर | सिला | नाम | कुटुम्ब के मुखिया से सम्बन्ध | पुरुष या स्त्री | धर्म | पिछड़ी हुई या शिडूल जाति का नाम | ब्याहा या कुंदारा | उम्र | भाशिक | दशा त दूसरों को नौकर रखने- वाला है या खुद नौकर है या खुद मुख्सार रोज- गार करने- वाला है | साधन | जीविक उपार्जन का दूसरा साधन | ा साचरता ग्रियोर शिखा इसति- हान जो पास किया हो | कैफियत |
| 1 | 3 | <u> </u> | 8 | Ł | Ę | 9 | <u> </u> | ŧ | 90 | 31 | 12 | 13 | 18 | 14 |

Extract of Census Act 1951.

Section 11. Penalties:-

- (1) (a) Any Census Officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a Census who refuses or neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this act, or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or in obeying any such order, or
- (b) Any Census Officer who intentionally puts any offensive or improper question or knowingly makes any false return or, without the previous sanctioned of the Central Government or the Provincial Government, discloses any information, which he has received by means of, or for the purposes of, a Census return, or

| (c) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | , or |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| (d) | | **** | **1* | •••• | **** | **** | , or |
| (e) | | **** | | 4010 | | •••• | , or |
| (f) | •••• | | •••• | **** | **** | **** | , or |
| (g) | **** | **** | | •••• | **** | •••• | , or |
| (h) | | | | | | | OF. |

shall be punishable with fine which may extend to one thousand Rupees and in case of a conviction under part (b) or (e) shall also be punishable with imprisonment which may extend to six months.

तकरुरी सुपरवाइजर शुमार कुनिन्दा विन्ध्यमदेश मनुष्य गणना १६५१

| जिल। · · · · · · | ··तहसीलः ''' ···· शह र ···· शाहर |
|------------------|---|
| नाम | |
| सेंसस ऐक्ट १६ | :४ = के घारा ४ के उपधारा ३ |
| | के अन्तर्गत आप |
| तहसील | शहर गाँव |
| ्सरिकल नं० | सुपरवाइजर |
| क | ···· के सुपरवाइजर शुमार कुनिन्दा |
| जाते हैं। | |

श्राप सेंसस ऐक्ट ११८० के घारा ५ के श्रन्तर्गत ताजीरात हिन्द के श्रर्थ के मुताबिक जन-सेवक (पिन्तिक सरवेंट) समके जायेंगे। श्रापको श्रपने कर्तव्य-पालन में कोई मुस्ती न करना चाहिये श्रीर न श्रापको श्रपने स्थिति का श्रनुचित लाम उठाना चाहिये। भारतीय-जन-गणना कानून ११८० की घारा ११ (१) (क) (ख) की श्रीर श्रापका ध्यान श्राकित किया जाता है।

| | तारीख | ··डिस्ट्रिक्ट | सेंसस | श्राफिसर | के | दस्तखत | •••• | |
|------|-------|---------------|---|---------------------------------------|----|--------|------|----|
| जिला | | | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | •••• | •••• | •• |

भारत सरकार के ग्रहमंत्री माननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीजी की श्रोर से प्रत्येक शुमार कुनिन्दा को सन्देश

मनुष्य गणना के कार्य में लगे हुये पिय सहयोगी-

यह पहिली मनुष्य गणाना है जो स्वतन्त्र भारत की प्रजातन्त्र सरकार की आजा से हो रही है। मैं यह सन्देशा प्रत्येक गिनती करनेवाले के पास भेज रहा हूँ। श्रापका यह गौरव है कि आपको स्वतंत्र भारत की पहली मनुष्य गणाना करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। दस वर्ष बाद फिर दूसरी मनुष्य गणाना होगी। श्रापको सबसे पहले यह गौरव प्राप्त हुआ। आप गिनती करेंगे और उसके द्वारा आप महान् निर्माण की नींव डालेंगे। श्रापको बात है कि नींव ही भवन निर्माण का अत्यन्त आवश्यक काम होता है। जो सूचनार्ये आप एकत्रित करेंगे वह अगले दस वर्ष तक सुरक्तित रक्ली जावेंगी श्रीर भविष्य के निर्माण में काम में लाई जावेंगी।

र फरवरी से गिनती करना श्रारम्भ किया जावेगा । उस तारीख से १ मार्च के स्थोंदय तक श्राप अपने ब्लाक के हरएक मकान पर पहुँचेंगे श्रीर उस ब्लाक के हरएक घर में रहनेवालों को श्राप लिखेंगे। हरएक के बाबत स्लिप पर श्रिष्कत किये हुये हरएक प्रश्न का उत्तर श्राप श्रिष्कत करेंगे श्रीर मार्च की १,२,३ तारीखों पर श्राप फिर हरएक घर पर पहुँच कर श्राखिरी जांच करेंगे। इस प्रकार श्राप निश्चय कर बेंगे कि श्रापने मनुष्य गणना सम्बन्धी स्चनायें ठीक ठीक श्रादेशानुसार लिख दी हैं श्रीर तब श्राप अपने सुपरवाइजर को श्रापके जिखे हुवे जन गणना सम्बन्धी सब कागजात सींप देंगे।

आप ही अकेले इस काम में नहीं व्यप्न हैं बल्कि आप

उन छ: लाख स्वदेशानुरागियों में से एक हैं जो एक ही समय में इसी काम में समस्त भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। आप जोग सब मिलकर समस्त जनगणना के लिये भारतवर्ष में जिम्मेदार हैं। मिल करके आप जोग हमारे प्रजातन्त्र के लिये हरएक मनुष्य व कुटुम्ब के जीवन व जीवका सम्बन्धीमूल दशाओं का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

यदि यह प्रमाण शुद्ध व पूर्ण होगा तो आपने जो अम किया वह भी शुद्ध व पूर्ण श्रेणी का कहा जायगा——। आपको जो हिदायतें दी गई हैं उनको पूर्ण रूप से मनन कर लेना चाहिये और उनके अनुसार अभिन्न और सद्विवेक रूप से गणना करनी चाहिये। हिदायतें समस्त भारतवर्ष के लिये एक सी हैं।

मधुमिक्खयों की तरह जो अपना छत्ता रेखागणित के नियमों के अनुसार रहस्यमय शक्ति की प्रेरणा से बनाती हैं उसी प्रकार आपको अपना काम सच्चाई और सद्विवेक गुर्णों के साथ जो जन्म से इम्में हैं पूरा करना चाहिये।

याद रखने योग्य त्रावश्यक बातें

१—प्रत्येक मनुष्य एक ही बार गिना जाना चाहिये।
कोई मनुष्य एक बार से अधिक नहीं गिना जाना चाहिये।
अधिकतर मनुष्य अपने साधारणतः रहने के स्थान में
गिने जायँगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो जहां पाये जावेंगे वहाँ
गिने जायँगे।

२-परिश्रम अभैर समय जो आपका प्रश्न न ० ६-१०-११ के उत्तर प्राप्त करने व लिखने में लगे उसमें कोताही न करिये |

मुके पूर्ण आशा है कि आप इस राष्ट्रीय कार्य को सुचार रूप से सम्पादन करने में अपने को सम्मानित माने गे और उसके उत्तम रूप से पूरा करने में गर्व का अनुभव करें गे और उसके लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य लगा दें गे। ईश्वर आपकी सहायता करें।

भारत सरकार द्वारा विनध्य प्रदेश में घरेलू कारखाने या दस्तकारी की गिन्तां (१६४०)

| गाँव ••• जिला ••• जिला ••• ••• | ξ, | | | | | | |
|---|------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| न।म व पता गिनती करनेवाले का | ۰۰۰۰۰۰ | •• •••• •••• ••• ••• ••• ••• | * **** **** **** **** **** **** / | | | | |
| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | त्र⊬दमी | श्रौरत | | | | |
| ₹ | | | | | | | |
| 3. | ন — | **** **** **** **** | **** **** *** *** | | | | |
| 8 | ख— | | **** >*** **** *** | | | | |
| · | ग | **** **** **** | **** **** **** **** | | | | |

१६५१ जनगणना विनध्यप्रदेश

Circle Summary

| ~ | | • | |
|-------|----|---|-------|
| सक्ति | का | ग | शवारा |

| जुनरनाष्ट्रभार नात नात्त | | (1641) | | । अस्ता | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|-------|---------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|
| सर्किल का नम्बर''' | | चार्जे नम्बर''' | | | | | जिलाकानः वर | | | | |
| गाँव का नाम ^ट | ब्लाकों का सिल- सिन्नेवार नम्बर | ासिल- इर एक ब्लाक में प्राचाद सकानों की नम्बर ताइगइ | | जनगणना (शर्गाधियों की संख्या समेत) | | | | शरणाधियों की संख्या भक्ताहदा से | | | |
| | | · • • | g e 4 | स्त्री | मीजान | पु रुष | क्री | मीजान | | | |
| , | . 1 | | | | | | | | | | |
| | २ | | • | | | | | | | | |
| | ą | ; | | | | | | | | | |
| | ¥ | | | | | | | - | | | |
| | ¥ | • | | | | - | | | | | |
| | Ę | | , | | | | | | | | |
| | • | | | | | | | | | | |
| | द | | | | | | | | | | |
| | ŧ | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |
| | 9 9 | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | i | | | | | |
| | 1 • | | | | | • | | | | | |
| 1 | 15 | | | | | | | | | | |
| | . 38 | | | | | | | | | | |
| | ₹ 0 | | | | | | | | | | |
| मीजान सर्वि | _ | • | | | | | • | | | | |

नोट---श्रगर २० से श्रधिक ब्लाक किसी सिर्कल में हैं तो दूसरा सफा काम में लाया जावे। श्रगर दो सफा काम में लाये जायें तो सिर्कल का मीजान दूसरे सफे में जहाँ कुल इन्द्राज ब्लाक खतम हो जावें दर्ज किया जावे। पहले सफे में कोई मीजान न दर्ज किया जाकर यह जिल्ल दिया जावे कि मीजान सिर्कल दूसरे सफे में दर्ज है।

तारीख

हिदायत के लिये पन्ना उलटिये

हिदायत सुपरवाइजरों के लिये

(सरकिल समरी की पुरत पर छपी)

१ मार्च सन् १६४१ को श्राह्मिरी जांच के बाद सका ३ को हिदायत नम्बर ४ से फाइ कर ब्लाक का गोशवारा शुमारकुनिन्दा को तैयार करना चाहिये। उसमें पढ़े -िलिखों की संख्या के बजाय शरणाधियों की संख्या दर्ज करना चाहिये। पढ़े -िलिखों की संख्या गोशवारा में न दर्ज की जावेगी। हर एक ब्लाक के गोशवारा को श्रच्छी प्रकार जांच सुपरवाहजर को कर लेना चाहिये जिससे जोड़, मीजान, व खानापूरी में गलती न हो। शुमारकुनिन्दा के गोशवारा से सरिकल का गोशवारा तैयार करना चाहिये। सुपरवाहजर को श्रपने सरिकल में होशियार शुमारकुनिन्दों से सरिकल का गोशवारा तैयार करने में व शुमारकुनिन्दों के गोशवारा की जांच व स्लिपों की जांच कराने में मदद लेना चाहिये—।

सरकिल गोशवारा के साथ ब्लाकों के गोशवारा नत्थी करके सरकिल गोशवारा व कुल कागजात जनगणना-सम्बन्धी चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास जल्ही से जल्ही पहुँचाना चाहिये।

शुमारकुनिन्दा से ब्लाक का गोशवारा, ब्लाक की हाउस-लिस्ट- ब्लाक की स्लिपें बब्लाक का नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर सब हरएक की पूरी जांच करके व श्रगर कहीं जरूरत हो तो दुहस्ती करावे लेना चाहिये। हरएक स्लिप पर जिला, चार्ज, सरकिल, ब्लाक का नम्बर व गांव का नाम व मकान का नं० जरूर दर्ज होना चाहिये व हरएक खाने की खानापूरी स्लिप में व नागरिक रजिस्टर में दज होना चाहिये।

सुपरनाइजर को सरिकल में पिष्टले एक मुकाम निश्चय कर रखना चाष्टिये जहां सरिकल के सब शुमारकुनिन्दों को आखीर जांच के बाद अपने सब कागजात के साथ इकट्टा होकर गोशवारा व सब कागजात सुपरवाइजर के सिपुर्द करना चाहिये।

जनगणना सही २ हो व हर एक मनुष्य के बाबत हरएक सवालों की खानापूरी ठीक ठीक हो इसके लिये सुपरवाइजरान को हिदायत नं०१ शुमारकुनिन्दाँ को भली प्रकार समस्ता चाहिये। प्रश्न ६, १०,५१, खास तौर से समस्ताये जाना चाहिये। जिसमें जीविका उपार्जन करने को जिरये व स्वयं जीविका उपार्जन करनेवाले व शाश्रित का इन्द्राज ठीक ठीक हो। टाउन में जहां का चार्ज अब्बाहदा कायम है बजाय तहसील के टाउन का नाम लिखा जाय व बजाय गांव के वार्ड वा मोहल्ले का नाम जिखा जावे। सर्राकल के गोशवारा का फार्म पन्ना उलटा कर देखिये।

[७१] १९५१ जनगणना विन्ध्यप्रदेश

Charge Summary

चार्ज समरी (देखिये सफा १०, ११, १२ हिदायत नं० ४)

| नाम चार्ज | | नाम चार्ज | सुपरिन्टेन्डेन्ट | Į. | ÷ | + | जिला |
|--|----------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|--------|
| चार्जं में कुल कितने सर्किल कायम किये | | हरएक सर्किल के ब | गबत ग्रलाहदा | प्रजाहदा श्रंक | दिये जाना च | गहिये | |
| सकिल कायम किय गये थे उनकी तादाद | नं भित्तसित्ना | त्राबाद मकानों | जनगणना (| शरणार्थी समेत) | शरणार्थी सं | ल्या श्रताहदा से | कैफियत |
| | सर्किल | की तादाद | पुरुष : | स्त्री मीजान | पुरुष | स्त्री मीजान | काफसत |

भीजान

| ₹• | चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट |
|----|------------------------|
| | सा॰ *** *** |

एका उस्तिवे

हिदायत तैयारी चार्ज समरी (चार्ज समरी की पुरत पर खपी)

- (1) एक प्रति चार्ज समरी बनाकर डिस्ट्रिक्ट सेंसस त्राफिसर के पास जल्दी से जल्दी खास सिपाही के हाथ पहुँचना चाहिये। ऋच्छी प्रकार जांच कर लोना चाहिये कि कोई सिकेल दर्ज करने से रह न जावे।.
 - (२) एक प्रति जरिए डाक सुपरिन्टेन्डेन्ट सेंसस विनन्यप्रदेश रीवा भेजना चाहिये।
- (३) श्रावागवन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये तहसीलदार सा० को हरएक तहसील में ४, ६ सेंटर मुकर्रर करना चाहिये। इन सेंटरों में नायब तहसीलदार या गिरदावर कानूनगोयान या पेशकार इत्यादि जिम्मेदार श्रोहदेदारान को मुकर्रर करना चाहिये कि ता० र या ३ मार्च १६४१ को सेंटर में मौजूद रहकर सुपरवाहजर से सरिकल का गोशवारा उस सिकल के कुल जनगणना सम्बन्धी कागजात सहेज करके लें व उस सेंटर में हाजिर होनेवाले कुल सुपरवाहजरान के गोशवारा की जांच करके सेंटर का गोशवारा बनाकर तहसीलदार सा० के पास खुद जलदी से जलदी पेश करें। किस सेंटर में कौन सुपरवाहजरान किस तारील व वक्त पर हाजिर होंगे इसकी इत्तिला सुपरवाहजरान को पहिले से रहना चाहिए।

भारतीय मनुष्य-गणना, १६५१

रंजिस्टर बाबत गाँव व उसके स्रांतर्गत खेरा, पुरवा, टोला व मनरा वास्ते तहसील जिला विन्ध्यपदेश

| क्रमांक | Andreas Constant | कमांक घोर नाम खेरा,पुरवा, टोला व मजरा जो गांव के श्रंतर्गत हैं | गाँव मजरा, खेरा, पुरवा व टोला में घरों की संख्या | | तजवीज तादाद ब्लाक | शस्स जो वास्ते मुकर्ररी तजवीज किये गये | | | | नम्बर | | |
|---------|------------------|---|--|------------------------|-------------------------|---|------|------------|------|--------|-------|--------|
| | नाम गाँव | | | | | सुपरवाद्द्रजर | | एन्युमरेटर | | | | कैफियत |
| | | | ऋावे (ड् | गैर श्राबा द | | नाम | पेशा | नाम | पेशा | सर्किल | ब्साव | |
| 3 | ं २ | 3 | 8 | \ | Ę | 9 | 5 | | 30 | 1 99 | 18 | 13 |

जनगणना १९५१ पैंड भरने के लिये काम में आने योग्य संकेत

प्रश्न

उत्तर

| १ नाम (पिता या पित के नाम सहित) ऋौर कुटुम्ब के मुखिया से सम्बन्ध | |
|---|---|
| (म्र) (ब) (स) २ राष्ट्र धर्म जाति | (अ) भारतीय राष्ट्र के लिए (व) हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैनी, अंग्रेजों को दूसरों के लिए दूसरों के लिए १ हि॰ मु॰ सि॰ जै॰ अं॰ प्रा नाम धर्म (स) एंग्लो इण्डियन के लिए; किसी जाति का न हो; परिशिष्ट को जातियों के लिए अन्य जातियों के अ १ जिए जाति का नाम |
| ३ ब्याह विन ब्याहा | विन ज्याहा व्याहा विधवा या विधुर तत्ताक दी हुई या दिया हुन्ना १ २ ३ ० |
| ४ उमर | सही उमर वर्ष श्रीर महीनों में दर्ज की जाय |
| ५ जनम स्थान | र्शिता टीकमगढ़ के लिये; दूसरे जिले के लिए तिल्ला का नाम जिला ग्रीर प्रान्त का नाम |
| ६ शरणार्थी | { शरणार्थी न हो पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए को तारीख आमद जिला का नाम |
| ७ मातृभाषा | हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उद्के लिए प्रन्य भाषा के लिये 1 नाम भाषा |
| म बोलचाल की दूसरी भाषा | भाग के प्रजावा कोई दूसरी भाषा बोलता है हिन्दी के साथ दूसरी भाषा नहीं बोलता भाषा का नाम |
| (ऋ) पूरी जीविका कमाने वाला ऋाश्रित या ऋांशिक जीविका कमाने वाला | किमाने वाले के लिये <u>भाभित के लिये</u> <u>भांशिक भाभित के लिये</u> १ २ |
| (व) नौकर रख कर जीविका कमाते या खुद नौकर हैं या स्व- तन्त्र काम करते हैं | र्यसरों को नौकर रखकर जीविका कमाना र्यूसरे के नौकर हैं स्वतन्त्र काम करते हैं श्रन्य दशा के लिये २ ३ ० |
| १० जीविका उपार्जन का मुक्य जरिया | र्श्वन्य साधन के लिये; खेती के लिये: पट्टेदार शिकमी मजदूर लगान लेने वाले के लिये पुरा ज्योरा खेती के लिये: |
| ११ सहायक साधन | त्रिन्य रोजगार म्रालावा मुख्य साधन के लिखा जाय; एक ही रोजगारवाले को ११ खाने में म्राक्षित के लिए ० |
| | अनिपद को पद सकता हो, लिख न सकता हो पदे लिखे को पास शुदा के लिये १ २ दर्जी डिगरी |
| १३ वेकारी | विकार न हो १६ वर्ष से कम व ६० वर्ष ज्यादा उमर को, घर के मुखिया की स्त्री, विद्यार्थी व त्रपंग त्रादि |
| १४ पुरुषयास्त्री | ि पुरुष स्त्री १ २ नीटजनस्ता या हिजड़े मर्द माने जायँगे। |

मुख्य तिथियाँ

सन् १८७६ जन्म महाराज ब्यंकट रमणसिंह
सन् १८८० स्वर्गवास महाराज रघुराज सिंह
सन् १८८५ पूर्ण अधिकार ब्यंकट रमण सिंह
सन् १८८६ –१७ तिरवन का अकाल
सन् १८८१ जन्म महाराज गुलाब सिंह
सन् १८०५ रीवां में प्लेग
सन् १८११ दिल्ली दरबार
सन् १८१७ जन्म श्री रावेन्द्र रामानुज प्रतापसिंह

सन् १११ = स्वर्गवास मक्षाराज व्यंकट रमण सिंह
सन् ११२२ महाराज गुलाब सिंह को पुर्णाधिकार तथा
श्री दादू साहिबा की शादी
सन् ११२३ जन्म महाराज मार्तंड सिंह
सन् ११४० स्वर्गवास श्रीरावेन्द्र रामानुज प्रताप सिंह
सन् ११४२ महाराज गुलाबसिंह का प्रथम निर्वासन
सन् ११४३ महाराज गुलाबसिंह की शादी
सन् ११४४ महाराज गुलाब सिंह की वापसी

चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट सेन्सस रीवा टाउन

उम्र कूतने के लिये कलेंडर

| सन् | १८६३ | पत्नेरा टूटा |
|-----|------|--|
| | 1801 | मलका विक्टोरिया का देहान्त |
| | 1611 | दिल्ली दरबार |
| | 3838 | इन्फ्लुऐंजा की महामारी |
| | 9870 | ग्रसहयोग ग्रान्दोलन |
| | 1830 | बड़े महाराज का देहान्त तथा महाराज वीरसिंह की गई। |
| | 1837 | गुजाशाही के स्थान पर कस्दार का चलन |
| | 1838 | विन्गु राजा का ब्याह |
| | | |

Census of 1951 Vindhya Pradesh,

Total No. of villages in which supervisors whose House Numbering training has been inspected by District Charge Census Superin-Officer. tendent. Training. Charge Superin-tendent. District Census ! Total No. of Circles of which charge Register has been completed. willages in willages in which number in the period of House has been completed pleted up to up to the end of the fortnight. House Numbering. Total No. of Total No. of Total No. of villages in which numbering of houses has commenced during the fortnight. Blocks. Total No. in the charge. Circles. Villages. Houses. Names of charges in the District.

Signature of District Census Officer

(1) *Strike off which is not wanted.

c

(2) In cities and towns ward should be read for villages.

Census of 1951 Vindhya Pradesh.

Statement showing the progress of Training of the Census enumeration staff, and distribution of Enumeration Pads and National Citizen Register forms in District.......V. P. for the fortnight ending 15th January, 1951*/ 31st January, 1951*/ 1951*/ 1951*/ 1951*

| ı | į | | ı | [7 | 7] | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|-----------------|-----|---|--------------|----|----|----|----|----|
| Remarks. | | | | | | | | | | ١ | | |
| Number of village in which writing of Pads and National Register is inspected between 9th and by 28th February. | | Charge Superin- tendent. | | | | | | | - | | | |
| Number | in which of Paragrams is inspective of Paragrams is inspective of Z8th Fe | District Census Officer. | | | | | . | | | | | |
| to whom | Hidayat No. 5 and 5A, and Pads and National register forms have been distributed. | Enume- rators. | | | | | | | | | | |
| Total No | Hidaya and 5A, and N registe have distril | Super- | | | | | | | | | | |
| Training Total number trained. | Enume- rators, | | | | | • | | | | | | |
| Trai Total r trai | Super- | | | | | | | | | | | |
| House Numbering. | House Numbering. Total No. of villages in which number- ing of Houses pleted and flouse list has been written and charge Register com- | | | | | | | | | | | |
| | Total population as noted in Col. 4 of the House lists. | | | | | | | | | | | |
| s ascer- | Census Blocks, | | | 4 | _ 1 | | 3-4: | | | | | |
| io. in the charges as ed after Completion House Numbering. | Census Circles. | | | ф. ¹ | | | | 1. | | | | |
| Total No. in the charges as ascertained after Completion of House Numbering. | Occupied Houses. | | | • | , — | | | | | | , | |
| Total N tain | Inhabi- ted Villages. | , | | | | | | | | | | |
| | Names of charges in the District. | | | | 6 | 4 | · vo | • | 7: | 89 | ġ. | 10 |

Signature of District Census Officer

(2) In cities and towns, wards should be read for villages.

(1) *Strike off which is not wanted.

Studies & Research Section.